

Vol. 262
No. 6



Monday,
11th December, 2023
20 Agrahayana, 1945 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 - 13)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel,
Public Grievances, Law and Justice - *Presented* (page 14)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer
Affairs, Food and Public Distribution - *Laid on the Table* (page 14)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Water
Resources - *Laid on the Table* (page 15)

Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Water
Resources - *Laid on the Table* (page 15)

[P.T.O]

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology - *Laid on the Table* (pages 15 - 16)

Statements by Ministers -

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 40th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel- *Laid on the Table* (page 17)

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 30th and 38th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel- *Laid on the Table* (pages 17 - 18)

Panel of Vice-Chairpersons (page 18)

Matters raised with permission -

Timely disposal of pensions under Artist Pension Scheme and Welfare Fund (pages 19 - 20)

Demand to develop Kannur International Airport (pages 20 - 21)

Need to address the problems being faced by the farmers of Punjab due to financial recession (pages 21 - 22)

Demand to start 8 lane road project between Karur and Coimbatore and 6 lane road project between Karur and Trichy (pages 22 - 23)

Demand to change the logo of the National Medical Commission (pages 24 - 25)

Rising cases of crime against women (pages 25 - 26)

Demand for electrification and doubling of railway track between Kolhapur and Miraj (pages 26 - 27)

Resolving infrastructural deficiencies of Eklavya Model Residential School (EMRS) in Odisha (pages 27 - 29)

Demand for declaration of assets and liabilities by the Judges of Supreme Court and High Courts (pages 29 - 30)

Rising Cases of Human Trafficking (pages 30 - 31)

Demand to include '*Ahimsa*' in Preamble of the Indian Constitution (pages 31 - 32)

The issue of Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) in Hingoli, Maharashtra (pages 32 - 33)

Website: <http://rajyasabha.nic.in>

<http://parliamentofindia.nic.in>

E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Demand to release dues under National Health Mission and Rural Development Fund to the State of Punjab (pages 34 - 36)

Concern over health problems among youngsters due to consumption of junk food and energy drinks (pages 36 -37)

Oral answers to questions (pages 37 - 65)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part – I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise>]

Government Bills - *Passed*

The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 (pages 66 - 185)

The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 (pages 66 - 185)

Amendment for reference of The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 to a Select Committee of the Rajya Sabha - *Negatived* (pages 66 - 185)

RAJYA SABHA

Monday, the 11th December, 2023 / 20 Agrahayana, 1945 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : जय हिन्द तो बोलिए!

श्री सभापति: आपने क्या कहा? Hon. LoP, were you saying something?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं यह कह रहा था कि वे जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहे थे, वे जय हिन्द तो बोलें!

श्री सभापति: नहीं, नहीं। मेरा तो यही अनुरोध है कि जो भी रिक्वेस्ट हो, चाहे इधर से हो, चाहे उधर से हो, मेरे माध्यम से हो। यह डायरेक्ट कनेक्शन ठीक नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मैं आपके माध्यम से ही करता हूँ।

श्री सभापति: हाँ, तो ठीक है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: लेकिन वे ज्यादा करते हैं, इसलिए मालूम नहीं है।

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल): माननीय सभापति जी, आप लिस्ट ऑफ बिजनेस लें, उसके पहले मैं सिर्फ एक खुशी की बात सदन में सबके साथ शेयर करूँ। अधिकांश लोग जानते ही हैं और एक दुख की बात भी है कि इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने कैसे अपने-अपने तरीके से देश में एक मेसेज दिया है। एक तरफ एक माननीय सदस्य, विष्णुदेव साय जी, जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, वे अब छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री के रूप में जाने वाले हैं। यह हम सबके लिए बड़े आनन्द की बात है। छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, वहाँ एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर मिले हैं। दूसरी तरफ, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: We end with this. ...*(Interruptions)*...

श्री पीयूष गोयल : *

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid. ...*(Interruptions)*... नहीं, नहीं। We end with this. ...*(Interruptions)*... No. We end with this. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing has gone on record. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*... Pramodji, I thought you would appreciate the sense of anticipation of your Chairman that he got the matter concluded and nothing has gone on record beyond the first part of it. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सर, यह अच्छी खबर है।

श्री सभापति: यह अच्छी खबर है कि ...**(व्यवधान)**... मि. पीयूष गोयल, यह अच्छी खबर है कि आपने एक ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये उसको एन्डोर्स कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... दूसरी खबर is not on record. ...**(व्यवधान)**... सिर्फ एक ही खबर रिकॉर्ड पर है। ...**(व्यवधान)**... Please hear the LoP. ...*(Interruptions)*... He will help us calm down the atmosphere.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, आपका धन्यवाद। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मैं थोड़ा उनको पास करता हूँ।

श्री सभापति : वह आप प्राइवेटली कर दीजिए, वह मेरे माध्यम से नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: नहीं, मैं आपके थू ही करता हूँ। झारखंड में हमारे कोएलिशन गवर्नमेंट में कौन चीफ मिनिस्टर हैं, जेएमएम के, क्या वे ट्राइबल नहीं हैं! अच्छा, और आपको तो मालूम है, आप बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं, वसंतराव नाईक जी, जो बंजारा कम्युनिटी से थे, वह भी महाराष्ट्र में, 11 साल वे उनकी स्टेट में मुख्य मंत्री थे। ऐसे एग्जाम्पल देकर आप लोगों को कमजोर करने की जो बात करते हैं, यह ठीक नहीं है। आप हमेशा यह चीज करते हैं।

श्री पीयूष गोयल: सर, यह वास्तविकता है कि माननीय वसंतराव नाईक जी हमारी स्टेट में मुख्य मंत्री थे और यह भी वास्तविकता है कि जेएमएम वहाँ पार्टनर है, पर हमारा कहना तो यही है कि कांग्रेस इतिहास में रहती है। वर्तमान की कांग्रेस ...**(व्यवधान)**... आज टूजी के अलावा कुछ सोचती नहीं है, ...**(व्यवधान)**... वर्तमान की कांग्रेस ट्राइबल्स के लिए कुछ चिंता नहीं करती है, ...**(व्यवधान)**... वर्तमान की कांग्रेस कोएलिशन पार्टनर्स के बलबूते ही चल पाती है, ...**(व्यवधान)**... वर्तमान की कांग्रेस में ट्राइबल के लिए कुछ भी सपोर्ट या कुछ भी चिंता दिखती नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have a middle ground. Rather than talking of the Chief Ministers, who are associated with a particular party, we are all grateful that the nation today has a tribal woman as President and that is a matter of joy for all of us.

And she is our President, not a president of any specific party. So, it is a sense of elation, not only nationally but globally. That is a great achievement.

Now, Papers to be laid on the Table.

I. Reports and Accounts (2022-23) of MOIL Limited, Nagpur; MECON Limited, Ranchi; and KIOCL Limited, Bengaluru and related papers

II. MoUs between the Government of India and various companies

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगनसिंह कुलस्ते): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) (a) Sixty-first Annual Report and Accounts of the MOIL Limited, Nagpur, Maharashtra for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10398/17/23]

(ii) (a) Fiftieth Annual Report and Accounts of the MECON Limited, Ranchi, Jharkhand for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10397/17/23]

(iii) (a) Forty-seventh Annual Report and Accounts of the KIOCL Limited, Bengaluru, Karnataka for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10399/17/23]

II. A copy each (in English and Hindi) of following papers:-

(i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Steel) and the MOIL Limited, for the year 2023-24.

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry

of Steel) and the MOIL Limited, for the year 2024-25.

[Placed in Library. For (i) and (ii) See No. L.T. 10407/17/23]

- (iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Steel) and the NMDC Limited, for the year 2023-24.

[Placed in Library. See No. L.T. 10406/17/23]

- (iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Steel) and the Steel Authority of India Limited (SAIL), for the year 2023-24.

- (v) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Steel) and the Steel Authority of India Limited (SAIL), for the year 2024-25.

[Placed in Library. For (iv) and (v) See No. L.T. 10404/17/23]

Notification of the Ministry of Civil Aviation and related paper

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (a) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Civil Aviation Notification No. G.S.R. 396 (E), dated the 26th May, 2022, publishing the Airports Economic Regulatory Authority (Secretary) Recruitment Rules, 2022, under Section 53 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.
- (b) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the Notification mentioned above.

[Placed in Library. See No. L.T. 10484/17/23]

I. Notifications of the Ministry of Mines

II. Report and Accounts (2022-23) of NALCO, Bhubaneswar and related papers

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. S.O. 3684 (E), dated the 17th August, 2023, notifying the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 2023 with effect from 17.08.2023, issued under sub-section (2) of Section 1 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023.

[Placed in Library. See No. L.T. 10890/17/23]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Mines, under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:-

- (1) G.S.R. 642 (E), dated the 31st August, 2023, notifying M/s Engeotech Consultant under 'Category A Exploration Agencies'.
- (2) S.O. 3890 (E), dated the 1st September, 2023, amending the Notification No. G.S.R. 860 (E) dated the 16th December, 2021.
- (3) G.S.R. 648 (E), dated the 1st September, 2023, publishing the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023.
- (4) G.S.R. 669 (E), dated the 14th September, 2023, notifying M/s Kartikay Exploration and Mining Services Pvt. Ltd under 'Category A Exploration Agencies'.

[Placed in Library. For (1) to (4) See No. L.T. 10891/17/23]

- (5) G.S.R. 682 (E), dated the 22nd September, 2023, publishing the Atomic Minerals Concession (Amendment) Rules, 2023.
- (6) G.S.R. 736 (E), dated the 12th October, 2023, amending Second Schedule to the said Act.
- (7) G.S.R. 737 (E), dated the 12th October, 2023, publishing the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession (Amendment) Rules, 2023.

[Placed in Library. For (5) to (7) See No. L.T. 10408/17/23]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. S.O. 3685 (E), dated the 17th August, 2023, notifying the commencement of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2023 with effect from 17.08.2023, issued under sub-section (2) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library. See No. L.T. 10892/17/23]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (a) Forty-second Annual Report and Accounts of the National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10410/17/23]

Action-taken Statements on various assurances, promises and undertakings given during the Session

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Statements showing action taken by the Government on the various assurances, promises and undertakings given during the Session shown against each:-

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Statement No. XXXIII | Two Hundred and Twenty First, 2010
[Placed in Library. See No. L.T. 10893/17/23] |
| 2. Statement No. XXXII | Two Hundred and Twenty Eighth, 2013
[Placed in Library. See No. L.T. 10894/17/23] |
| 3. Statement No. XXXII | Two Hundred and Thirtieth, 2013-14
[Placed in Library. See No. L.T. 10895/17/23] |
| 4. Statement No. XXV | Two Hundred and Thirty Seventh, 2015
[Placed in Library. See No. L.T. 10896/17/23] |
| 5. Statement No. XXV | Two Hundred and Thirty Eighth, 2016
[Placed in Library. See No. L.T. 10897/17/23] |
| 6. Statement No. XX | Two Hundred and Forty First, 2016
[Placed in Library. See No. L.T. 10898/17/23] |
| 7. Statement No. XX | Two Hundred and Forty Second, 2017
[Placed in Library. See No. L.T. 10899/17/23] |
| 8. Statement No. XVIII | Two Hundred and Forty Fifth, 2018
[Placed in Library. See No. L.T. 10900/17/23] |
| 9. Statement No. XIX | Two Hundred and Forty Sixth, 2018
[Placed in Library. See No. L.T. 10901/17/23] |
| 10. Statement No. XVII | Two Hundred and Forty Seventh, 2018-19
[Placed in Library. See No. L.T. 10902/17/23] |
| 11. Statement No. XIV | Two Hundred and Forty Ninth, 2019
[Placed in Library. See No. L.T. 10903/17/23] |
| 12. Statement No. XVI | Two Hundred and Fiftieth, 2019
[Placed in Library. See No. L.T. 10904/17/23] |
| 13. Statement No. XV | Two Hundred and Fifty First, 2020
[Placed in Library. See No. L.T. 10905/17/23] |
| 14. Statement No. XII | Two Hundred and Fifty Second, 2020
[Placed in Library. See No. L.T. 10906/17/23] |
| 15. Statement No. XIV | Two Hundred and Fifty Third, 2021
[Placed in Library. See No. L.T. 10907/17/23] |

16. Statement No. XII Two Hundred and Fifty Fourth, 2021
[Placed in Library. See No. L.T. 10908/17/23]
17. Statement No. VII Two Hundred and Fifty Fifth, 2021
[Placed in Library. See No. L.T. 10909/17/23]
18. Statement No. IX Two Hundred and Fifty Sixth, 2022
[Placed in Library. See No. L.T. 10910/17/23]
19. Statement No. IV Two Hundred and Fifty Seventh, 2022
[Placed in Library. See No. L.T. 10911/17/23]
20. Statement No. IV Two Hundred and Fifty Eighth, 2022
[Placed in Library. See No. L.T. 10912/17/23]
21. Statement No. III Two Hundred and Fifty Ninth, 2023
[Placed in Library. See No. L.T. 10913/17/23]
22. Statement No. I Two Hundred Sixtieth, 2023
[Placed in Library. See No. L.T. 10914/17/23]

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, is it in the name of Shri V. Muraleedharan or is it in his colleague's name?

MR. CHAIRMAN: I think, let them use their own discretion. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: It is in his name only and no typographical error!

MR. CHAIRMAN: No, no. They are fully equipped. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: So, there is no clerical error!

MR. CHAIRMAN: No, no. And we can take pride in his senior colleague absolutely doing justice to all of us. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, Jairamji is worried because there were some news reports that machine went wrong and machine had to be repaired. So, he is doubting whether this has happened in this also. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Always remember, his name has 'Ram' in it. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश : सर, दो 'राम' हैं।...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : दो 'राम' कैसे?

श्री जयराम रमेश : दूसरे में भी 'राम' है। दो 'राम' हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : अच्छा, दो 'राम' हैं! श्री रामेश्वर तेली।

I. Reports and Accounts (2022-23) of various oil companies, corporations and institutes and related papers

II. MoUs between the Government of India and various companies

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

I. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10169/17/23]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Oil India Limited (OIL), Dibrugarh, Assam, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10165/17/23]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10168/17/23]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller

and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10166/17/23]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Balmer Lawrie and Co. Limited, Kolkata, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10164/17/23]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the Balmer Lawrie Investments Limited (BLIL), Kolkata, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10171/17/23]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (4) of Section 26 of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, Uttar Pradesh, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (II) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 10173/17/23]

II. A copy (in English and Hindi) of the following papers:-

- (i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), for the year 2023-24.
- (ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and M/s Balmer Lawrie & Co. Ltd., for the year 2023-24.

[Placed in Library. See No. L.T. 10172/17/23]

I. Notifications of the Ministry of Housing and Urban Affairs

II. Reports and Accounts (2022-23) of various Corporations and Commission and related Papers

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Housing and Urban Affairs Notification No. S.O. No. 3915 (E), dated the 5th September, 2023, notifying alignment of Nagpur Metro Rail Project Phase-II, under sub-section (2) of section 32 of The Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978.

[Placed in Library. See No. L.T. 10182/17/23]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Housing and Urban Affairs Notification No. LM/PM/0024/2020/UDAY/POL., dated the 15th September, 2023, publishing the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies), Second Amendment, Regulations, 2023, under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957.

[Placed in Library. See No. L.T. 10174/17/23]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Housing and Urban Affairs Notification No. S.O. 4370 (E), dated the 6th October, 2023 regarding commencement of the provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, in so far it relates to amendments in the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 specified against serial number 33 of the Schedule to the said Act with effect from 06.10.2023, issued under sub-section (2) of Section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023.

[Placed in Library. See No. L.T. 10183/17/23]

(iv) A copy (in Hindi only) of the Ministry of Housing and Urban Affairs Notification No. S.O. 4939 (E), dated the 16th November, 2023, publishing a Corrigendum to the Hindi version of the Notification No. S.O. 3915 (E) dated the 29th August, 2023.

[Placed in Library. See No. L.T. 10182/17/23]

II. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Noida Metro Rail Corporation Limited (NMRC), Noida, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller

and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10175/17/23]

- (ii) (a) Seventeenth Annual Report and Accounts of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10178/17/23]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, Nagpur, Maharashtra for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10176/17/23]

- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the National Capital Region Transport Corporation Limited, (NCRTC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 10177/17/23]

- (v) (a) Fifty-third Annual Report and Accounts of the Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10179/17/23]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 19 and sub-section (4) of Section 20 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973:-

- (a) Annual Report of the Delhi Urban Art Commission (DUAC), New Delhi, for the year 2022-23.

- (b) Annual Accounts of the Delhi Urban Art Commission (DUAC), New Delhi,

for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Commission.

[Placed in Library. See No. L.T. 10180/17/23]

I. Reports and Accounts (2022-23) of various Companies and related Papers

II. Report and Accounts (2022-23) of MP-IDSA, New Delhi and related Papers

III. MoU between the Government of India and BEL

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Fifty-ninth Annual Report and Accounts of the BEML Limited, Bengaluru, Karnataka, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10195/17/23]

(ii) (a) Fifty-third Annual Report and Accounts of the Bharat Dynamics Limited (BDL), Hyderabad, Telangana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10200/17/23]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10194/17/23]

(iv) (a) Seventy-first Annual Report and Accounts of the Hindustan Shipyard Limited (HSL), Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments

of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10199/17/23]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Goa Shipyard Limited (GSL), Vasco-da-Gama, Goa, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10197/17/23]

- (vi) (a) Sixtieth Annual Report and Accounts of the Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10196/17/23]

- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the Bharat Electronics Limited (BEL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 10198/17/23]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (a) Annual Report and Accounts of Manohar Parikkar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10192/17/23]

III. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Department of Defence Production, Ministry of Defence) and the Bharat Electronics Limited (BEL), for the year 2023-24.

[Placed in Library. See No. L.T. 10204/17/23]

**REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE**

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): महोदय, मैं विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (i) 134th Report on Action Taken on 103rd Report of the Committee on "Functioning of the Virtual Courts/Court Proceedings through Video Conferencing" pertaining to Department of Justice ;
- (ii) 135th Report on Action Taken on 126th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Personnel and Training ;
- (iii) 136th Report on Action Taken on 127th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Administrative Reforms & Public Grievances; and Department of Pension and Pensioners' Welfare ;
- (iv) 137th Report on Action Taken on 128th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Justice;
- (v) 138th Report on Action Taken on 129th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Legal Affairs ;
- (vi) 139th Report on Action Taken on 130th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Legislative Department ; and
- (vii) 140th Report on "Appointment of Notaries".

**REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले) से संबंधित 'बीआईएस हॉलमार्किंग एण्ड ज्वेलरी' विषय पर विभाग संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति (2023-24) के तैंतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

**REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON WATER RESOURCES**

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): महोदय, मैं विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (i) Twenty-Fifth Report on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in its Twenty Second Report on the subject "Groundwater: A Valuable but Diminishing Resource".
- (ii) Twenty-Sixth Report on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in its Twenty Third Report on the subject "Glacier Management in the country – Monitoring of Glaciers/Glacial lakes including Glacial Lake Outbursts leading to Flash Floods in the Himalayan region".

**STATEMENT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON WATER RESOURCES**

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): महोदय, मैं जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदान मांगों (2023-24) के संबंध में विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

**REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING
COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the Statements showing further Action Taken by the Government on the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology (2023-24):-

- (i) Thirty-seventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Suspension of Telecom

- Services/Internet and its impact' relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications);
- (ii) Thirty-eighth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Ethical Standards in Media Coverage' relating to the Ministry of Information and Broadcasting;
- (iii) Thirty-ninth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications);
- (iv) Fortieth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty Third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' relating to the Ministry of Communications (Department of Posts);
- (v) Forty-first Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' relating to the Ministry of Information and Broadcasting;
- (vi) Forty-second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' relating to the Ministry of Electronics and Information Technology;
- (vii) Forty-ninth Action Taken Report by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications);
- (viii) Fiftieth Action Taken Report by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to the Ministry of Information and Broadcasting; and
- (ix) Fifty-first Action Taken Report by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to Ministry of Communications (Department of Posts).
-

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 40th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते): महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों (2023-24) के संबंध में विभाग-संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 40^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

Status of implementation of recommendations/observations contained in the 30th and 38th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Status of implementation of recommendations/observations contained in the 30th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Coal.
- (b) Status of implementation of recommendations/observations contained in the 30th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Coal.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, two notices under Rule 267, received from Shri Syed Nasir Hussain and Dr. Ameer Yajnik, do not merit admittance. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Sir, what is the subject? ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: What is the subject? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, I have stopped the practice. I have reverted to the earlier wholesome practice. ...*(Interruptions)*...

PANEL OF VICE-CHAIRPERSONS

MR. CHAIRMAN: I have to inform the hon. Members that the panel of Vice-Chairpersons has been reconstituted with effect from 11th December, 2023, with the following Members:

1. Shrimati Kanta Kardam;
2. Ms. Saroj Pandey;
3. Shrimati Jaya Bachchan;
4. Shrimati Priyanka Chaturvedi;
5. Dr. C.M. Ramesh;
6. Shri Akhilesh Prasad Singh;
7. Shri Tiruchi Siva;
8. Shri Sushil Kumar Modi...I correct myself, Shri Sushil Kumar Gupta, the correct name. शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर नाम में बहुत-कुछ रखा है। नाम में ज्यादा रखा है।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): आपके मन में सिर्फ मोदी ही मोदी है। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: My Secretary-General is Shri Mody. ...*(Interruptions)*... So, you think that I am 'Mody-fied! ...*(Interruptions)*... Actually, let me tell you that I do not betray my heart. मेरे दिल में डा. सुदेश धनखड़ के अलावा कोई नहीं है and my heart is fully occupied. This has been endorsed by the Leader of the Opposition.

श्री जयराम रमेश: सर, जैसा कि इन्होंने कहा - मोहब्बत हमसे, शादी उनसे। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: आप तो कह रहे हैं, दूसरे लहजे में। आपने सात्विक तरीके से बात कही थी। The Leader of Opposition had said so in sublimity, in elegant style with positivity. There was no sarcasm in that. I think you are so close to such a veteran, you can learn a lot. You only have to be in reception mode. ...*(Interruptions)*... Not many people here have that kind of a track record in political functioning. Sharad Pawarji is another. Now, matters raised with permission.

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Timely disposal of pensions under Artist Pension Scheme and Welfare Fund

डा. प्रशांत नन्दा (ओडिशा): सर, मैं उन कलाकारों के बारे में बोलना चाहता हूँ, जिन कलाकारों ने देश की अस्मिता के लिए अपनी सारी जिंदगी दे दी है। सर, ये वे कलाकार हैं, जो स्टार्स नहीं हैं। इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास बंगले नहीं हैं, इनके पास सिर्फ देश के लिए प्रेम है। सर, ये वे कलाकार हैं, जो देश की अस्मिता के लिए जब काम कर रहे थे तो इनके पास खाने के लिए समय नहीं था। ये वे कलाकार हैं, जिनके पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं इस विषय पर इस हाउस में एक और बार बोल चुका हूँ।

सर, ओडिशा की एक सरस्वती देवी हैं। उनकी पेंशन अप्रैल, 2000 में बन्द हो गई। इस देश में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, जिनकी पेंशन बन्द है। मैं आपको यह चीज़ भी बता दूँ कि मैं भी खुद लिख-लिख कर थक गया, पर यहाँ बोलकर थका नहीं, बल्कि मैंने आशा रखी, परंतु 'न कोई खबर, न कोई संदेशवा, ऋतु आए ऋतु जाए।' सर, मैंने चिट्ठी मंत्री जी को दी थी और ये जो सरस्वती देवी हैं, इन्होंने अंडर सेक्रेटरी को 2022 में लिखकर दिया था। ये कलाकार, जिन्होंने अपने देश की अस्मिता को बचाकर रखा है, उनको इस समय में हेल्प करने के लिए सरकार ने व्यवस्था भी की है। उसके पास पेंशन स्कीम और वेलफेयर फंड स्कीम है, जिसमें से इनको पेंशन मिल सकती है। उनकी पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि उनको चार-पाँच हजार रुपये मिलते हैं और इन चार-पाँच हजार रुपये में भी वे जी जाते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से कल्चर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे इनके लिए थोड़ा सा समय दें। अगर आप इनको थोड़ा सा समय देंगे तो ये कलाकार लोग बच जाएंगे। यह भी हमारी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? सर, आपने इस संवेदनशील मामले पर मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि हमारे जो कल्चर मिनिस्टर, श्री जी. किशन रेड्डी जी हैं, वे इस बार इस मामले पर जरूर ध्यान देंगे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Prashanta Nanda: Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Niranjan Bishi (Odisha), Smt. Sulata Deo (Odisha), Smt. Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri

P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amanr Patnaik (Odisha), Smt. Vandana Chavan (Maharashtra), Shri Jawhar Sircar (West Bengal).

धन्यवाद, माननीय श्री प्रशांत नन्दा जी। डा. वी. शिवादासन; Demand to develop Kannur International Airport. जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपने नाम यहां भेज दें। डा. वी. शिवादासन।

Demand to develop Kannur International Airport

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Chair, I would request the Union Government for their intervention in the development of the Kannur International Airport. The Kannur International Airport is the hope of the people there. The catchment area of the Airport includes Kannur, Calicut, Kasargod and Wayanad Districts. People from Coorg also make use of this Airport. In Kannur, around 5,000 acres of land owned by the State Government has been acquired for the development of the Kannur International Airport project. The KIAL also invested heavily in the infrastructure facilities. There is a sizeable number of NRI population in this region. Historically, Malabar has been involved in trade and bilateral relations with foreign countries like Saudi Arabia. Cargo such as marine products, handlooms and handicrafts have enormous potential in this region. Kannur, the land of looms and lores, and the surrounding region has a high tourism potential. The biggest drive-in beach in Asia, the Indian Naval Academy, great centres of Indian freedom movement, as also noted places of folk arts, are also here. Sir, thousands of tourists visit Kannur to see the beauty of the land, to study the historical monuments and enjoy the weather and flora and fauna. On one side of the border of the District, there is Arabian Sea and on the other side is Western Ghats. Thousands of tourists are visiting this area. The development of this area is inevitable for the sustainable development of the people. Foreign airlines are requesting for providing their services to this airport but the Ministry is not ready to give the permission. At the same time, they have given the permission to some other airport. The entire people of Kerala are requesting for granting 'point of call' status to Kannur International Airport. But the Union Government is not ready to give the permission. By trying to cage the Kannur International Airport, they are trying to cage the dream of the people. Some of them in the Ministry are targeting the people of Kannur and the International Airport; the dream project of Kerala. Sir, Mangalore Airport and Trivandrum Airport are run by a big corporate company. If the Government is trying to protect the profit of this big corporate company, their own friend, then, I am telling, and I am sure, they will be punished by the people today or tomorrow. With these words, I am concluding, Sir.

Please protect the airport; please try to help the Kannur International Airport. The Government should do their duty. This is my request. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Dr. V. Sivadasan: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Elamaram Kareem (Kerala), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh) and Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Amanr Patnaik (Odisha).

The next speaker is Shri Sant Balbir Singh; demand to address the problems being faced by the farmers of Punjab due to financial recession.

Need to address the problems being faced by the farmers of Punjab due to financial recession

SHRI SANT BALBIR SINGH (Punjab):* "Hon'ble Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this important issue. I wish to draw the attention of all the hon. Members of Parliament and the Government towards the poor condition of the farmers of Punjab. There is a proverb in Punjabi,

“उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच चाकरी कुक्कर निदान”

That is, farming is considered the best profession in our society, business is said to be a medium level work, job is considered as an inferior profession and our elders have been comparing it with wagging the tail like a dog.

Agriculture is considered as the best profession in the Indian society. However, today the youth of Punjab is going abroad, leaving farming at home. Since the youth is migrating to foreign countries, the wealth of India is also going away alongwith them. Farmers and labourers are committing suicide. As per a recent report, everyday 114 farmers and labourers of our country are committing suicide. During the farmers' agitation, the Government had accepted a few demands, but still the demands pertaining to MSP have not been fulfilled. There is restlessness amongs the farmers on this account and, hence, these demands must be fulfilled. Every year, the Government offers the Minimum Support Price for 23 crops. But the purchase of these crops remains confined only to wheat and paddy. The Government has

* English translation of the original speech delivered in Punjabi.

announced Rs. 1962 as the MSP for maize. However, the farmers are not getting this price. They are being given Rs. 700 -1200 only for their maize crops. Thus, the announcement of MSP is just a sham that we have announced an MSP but nobody is buying those crops and this is a very big problem in Punjab. Hence, it is my humble request that the law guaranteeing the purchase of crops at the Minimum Support Price must be implemented. Also, the recommendations of the Swaminathan Committee Report must be implemented. Dr. Swaminathan has left this world. I also offered my homage to him. And the true tribute to Dr. Swaminathan would be the implementation of the recommendations for farmers that he gave in his report. It must henceforth be ensured that agriculture becomes remunerative. I hereby thank the Government and our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, for the commendable work that he has done for operationalising the Kartarpur corridor. But I demand that the Wagah Border route should be opened for trade purposes. It is worth noting that when the price of potatoes in Punjab is Rs. 5/- per kilogram, at the same time potatoes in Pakistan are selling at the rate of Rs. 150/- per kilogram. Potatoes are cultivated in Punjab, however they are exported to Pakistan via Gujarat or via Dubai. So this silk route may be operationalized. We are also trading with China. Do they everyday welcome us with bouquets? If the Wagah border is opened for trade, it would be a great financial benefit to our country and the State of Punjab in particular. It is thus my humble request to you to consider the above demands. Thank you very much."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Sant Balbir Singh: Shri Sanjeev Arora (Punjab), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Rajmani Patel (Madhya Pradesh) and Shri Vikramjit Singh Sahney (Punjab), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab).

Now, Dr. M. Thambidurai - Demand to start eight-lane road project between Karur and Coimbatore and six-lane road between Karur and Trichy.

Demand to start 8 lane road project between Karur and Coimbatore and 6 lane road project between Karur and Trichy

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, I would like to draw attention of the hon. Minister of Road Transport and National Highways to a

road project which is pending for a long time in Tamil Nadu. Sir, Karur to Coimbatore National Highway's eight-lane project was approved a long time ago by the Ministry of the Union Government, but it is not yet implemented. Likewise, Karur-Trichy National Highway's six-lane project is also a necessity in the present circumstances. I request the hon. Minister to start these projects for the reasons that I am explaining now. Karur is a city in Tamil Nadu famous for production and export of handlooms, textiles and mosquito nets. Further, it is also a famous city for bus body building industry. There are also cement factories established in Karur. It is a very big city in itself. Coimbatore is also a Manchester of South India. Coimbatore is a very well-known place. Trichy is also a major city having a lot of industries in that area. Therefore, Sir, you know very well that during the time of our former Chief Minister, Edappadi Palanisami, he had made a lot of efforts to implement this project and tried to cooperate with the Central Government. He appointed many officials to acquire land and complete other things. But, in spite of efforts made by our former Chief Minister, Edappadi Palanisami, I don't know why this project is still pending. These are important and strategic cities having their own corporations. Karur is a corporation. Trichy is also a corporation. Coimbatore too is a corporation. These corporations have several thousand square meters to travel from one city to another on daily basis. If the eight-lane project between Karur and Coimbatore and six-lane project between Karur and Trichy are implemented, travel time between Trichy and Coimbatore can be reduced to two hours and it will be a boost to the economy. A lot of accidents are taking place due to lack of these roads and especially people of Karur are suffering a lot. Many accidents have taken place. Many people have died. We are seeing these tragic things in these areas. Therefore, these projects are very necessary. I request the National Highways Authority of India and the hon. Minister to see that these projects between Karur to Coimbatore and Karur to Tiruchirappalli are connected. If we connect Coimbatore Airport and also Thrichy Airport, we can travel this distance in two hours. This can be a great facility. Therefore, I would request the hon. Minister and the Central Government and also the State Government to cooperate in this regard and see that the project is implemented. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Dr. M. Thambidurai: Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra, Dr. Amanr Patnaik (Odisha).

Dr. Santanu Sen - request to change the logo of the National Medical Commission.

Demand to change the logo of the National Medical Commission

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, the country as a whole and the entire medical fraternity demand the restoration of previous logo of National Medical Commission. Sir, earlier it was Indian Medical Degree Act, 1916, which became Indian Medical Council Act, 1933 and finally it became the Indian Medical Council Act, 1956. Thereafter, despite having several objections from different corners of the society and the fraternity, it was repelled and the National Medical Commission came into force from 25th September, 2020 repealing the 64 years old Indian Medical Council Act, 1956. Sir, earlier it was termed as Western Medicine, then it became Medicine and finally, it was termed as Modern Medicine. The logo of Modern was caduceus. There was no need and there was no permissible condition so far as the National Medical Commission is concerned that this logo can be changed, but, unfortunately, we have seen in the recent past, I don't know whether it is because of the Government's instruction or by the National Medical Commission itself, they have changed the logo and they have brought a photograph of Dhanvantari in the logo. Sir, the change of logo was absolutely not needed. It symbolizes one particular religion. What is the function of the National Medical Commission? It regulates the medical curriculum; it gives sanction to the new medical colleges. Its function is not to promote any particular religion. Even the AYUSH Department did not change its logo. But, the National Medical Commission has changed its logo. It is against the basic oath which we, the doctors, take after passing MBBS, be it the Charak oath or be it the Hippocratic Oath. We take oath that we will treat each and every patient irrespective of their caste, creed and religion. We are not bound to treat one particular religion. Sir, again, it is against the basic essence of the Indian Constitution which, through its Articles 25 and 26, after the 42nd Amendment in 1976, speaks that India is a secular country and we should promote dovetailing of religion. There are eight major religions of the world that very much exist in our country. We know, by now, we worship Lord Ram and some use the religion for their political benefit. It is known to all that in Uttar Pradesh, one Dalit is forced to lick his spit from ground because his son gets married to a woman who belongs to another community. And, it is known to us by now that in the Lok Sabha, their MP openly abuses one Muslim MP*

* Expunged as ordered by the Chair.

So, we, and the Indian Medical Association, being the largest organization, demand that immediately the previous logo which does not symbolize any particular religion should be restored. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Dr. Santanu Sen: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shrimati Mausam Noor (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) and Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal).

Shri Ramji. He is not present. माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डा. मनसुख मांडविया): धन्वन्तरि हिंदुस्तान की मेडिकल साइंस के एक प्रतीक हैं। उसमें ऑलरेडी वह लोगो था। उसमें थोड़ा-सा कलर किया है और कुछ नहीं किया है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, not allowed, Dr. Thambidurai. ...(*Interruptions*)... No, no; please. ...(*Interruptions*)...

डा. मनसुख मांडविया: उपसभापति महोदय, हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यह हिंदुस्तान की विरासत है। यह मेडिकल साइंस का प्रतीक है, जिन्होंने मेडिकल साइंस में इतनी रिसर्च की थी, उसके एक प्रतीक के रूप में हमने वह फोटो रखा है। उसमें हमारा और कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे लिए तो यह प्राउड फील करने का समय है, उसके लिए क्वेश्चन करने का समय नहीं है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। माननीय श्री रामजी। He is not present. ...(*Interruptions*)... Dr. Thambidurai, you are not allowed. ...(*Interruptions*)... You are a senior Member. Now, Shri Abir Ranjan Biswas.

Rising cases of crimes against women

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for allowing me. My subject is, 'Need to address the rising cases of crime against women.'

Sir, I wish to bring to your notice that recently the National Crime record Bureau (NCRB) has reported revealing a staggering figure of 4,45,256 cases of crimes committed against women in 2022. This translates into about 51 FIRs filed every hour! The issue of the safety of women has become very paramount. It is imperative for authorities to address this concerning trend and implement robust measures for ensuring safety and security of women all across the nation.

While the data underscores the urgent need to have comprehensive strategies to combat gender-based crimes, it is noteworthy that Kolkata stands out as the safest city in the country. This distinction highlights the effectiveness of local initiatives and law enforcement efforts in creating a secure environment for women.

Sir, to further enhance women safety nationwide, it is crucial for policy-makers to analyze successful models like that of Kolkata and replicate best practices available all over the nation. This may include increased police presence, community engagement programmes and leveraging technology for a rapid response to such incidents.

This alarming statistics underscores the responsibility of both, law enforcement and roping in and engaging the community to work collaboratively in tandem in creating a society where women can live without fear.

Sir, it is essential to prioritize and invest in women's safety, ensuring that every city and region becomes a safe haven for women to thrive and contribute to the nation's progress. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Abir Ranjan Biswas: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Mausam Noor (West Bengal), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niran Bishi (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Rajmani Patel (Madhya Pradesh) and Dr. Santanu Sen (West Bengal), and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

**Demand for electrification and doubling of railway track between
Kolhapur and Miraj**

श्री धनजंय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही समृद्ध जिला है। हम पर-कैपिटा इनकम में दूसरे स्थान पर हैं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का एक प्राचीन मंदिर है। देवी महालक्ष्मी जी का तिरुपति बालाजी से धार्मिक संबंध होने की

वजह से रोज़ लाखों श्रद्धालु कोल्हापुर आते हैं। वहां पर टूरिज्म की कई सारी साइट्स हैं, बहुत अच्छे मंदिर हैं। वहां पर 13 किले हैं, उनमें से विशालगढ़ और पन्हालगढ़ हैं, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वास्ता रह चुका है। सर, छत्रपती शाहू महाराज जी का जन्म स्थान भी कोल्हापुर है। कोल्हापुर में बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से शुगरकेन की रिकवरी देश में सबसे ज्यादा नंबर वन पर कोल्हापुर में है। यहां के लोग बहुत मेहनती हैं। यहां पर इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बन चुका है। यहां पर कपड़ा, गुड़, चीनी की कई सारी मिलें हैं, फाउंड्री है, कार्स्टिंग है और रेमन्ड जैसी बड़ी इंडस्ट्री भी यहां पर है।

सर, 2015 में रेलवे विभाग ने कोल्हापुर में पुणे से लोंडा वाया मिरज रेलवे ट्रैक की डबल लाइनिंग और विद्युतीकरण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। मिरज से कोल्हापुर केवल 47 किलोमीटर है। जब मैं लोक सभा में था, तब से यह मांग कर रहा हूँ कि मिरज से कोल्हापुर तक डबल लाइनिंग होनी चाहिए। जो पुणे-लोंडा-मिरज तक का काम लगभग पूरा हो चुका है, अभी डबल रेलवे लाइन होने से, कोल्हापुर के लिए अधिक ट्रेन्स होने से व्यवसाय को फायदा हो सकता है।

सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि कोल्हापुर-मिरज रेलवे ट्रैक की डबल लाइनिंग और विद्युतीकरण को मंजूरी दी जाए। इसका भविष्य में कोंकण रेलवे लाइन के विस्तार के लिए भी फायदा होगा। इसके साथ ही 'वन्दे भारत ट्रेन', जो कि बहुत पॉपुलर हो चुकी है, उसकी भी announcement कोल्हापुर-मुंबई के लिए हो चुकी है, उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सर, प्रधान मंत्री मोदी जी एक विज़नरी लीडर हैं। उन्होंने कोल्हापुर के लिए बहुत कुछ दिया है। यातायात के आवागमन के लिए छह लेन की रोड कोल्हापुर से जा रही है। जो industrial hub corridor बन रहा है, वह भी कोल्हापुर से जा रहा है। कोल्हापुर के एयरपोर्ट के लिए हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 274 करोड़ रुपये दिए और वह भी फुलफ्लेज रूप से चल रहा है। वहां से 5-6 फ्लाइट्स चल रही हैं। पीएम-ई बस सेवा केन्द्र के माध्यम से 100 बसें आवंटित हुई हैं। वहां पर सिर्फ रेलवे का ही काम पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कोल्हापुर-मिरज जल्द से जल्द डबलिंग विद इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

धन्यवाद, धनजय भीमराव महादिक जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी।

Resolving infrastructural deficiencies of Eklavya Model Residential School (EMRS) in Odisha

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, मैं आदिवासी बच्चों की शिक्षा के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, मेरा विषय है कि जो

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, EMRS हैं, उनका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है और दूसरा जो EMRS नॉन फंक्शनल हैं - मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेयर्स की 2020 की एक रिवाइज्ड गाइडलाइन है, जिसके तहत EMRS की स्थापना करने के लिए एक ब्लॉक में कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या होनी चाहिए और कम से कम 20 हजार आदिवासियों की जनसंख्या होनी चाहिए।

महोदय, Standing Committee on Social Justice and Empowerment ने अपनी 31वीं रिपोर्ट अप्रैल, 2020 में दे दी थी, जिसका टाइटल 'Review of the Functioning of EMRSs' है। उसने इस पॉपुलेशन क्राइटेरिया को अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। उन्होंने 41वीं रिपोर्ट में भी इसी बात को दोहराया है और चिंता जाहिर की है। देश में ऐसे बहुत से ब्लॉक्स हैं, जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत न होकर 45 प्रतिशत, 42 प्रतिशत, 40 प्रतिशत है। उन ब्लॉक्स के बच्चों की इसमें क्या गलती है कि उनको EMRS एजुकेशन से वंचित किया जाए!

महोदय, मैं आपको तीन उदाहरण देना चाहूंगा, ओडिशा में एक ब्लॉक पल्लाहाडा है, जो अंगुल जिले में है, जिसमें आदिवासी जनसंख्या 40 प्रतिशत है। दूसरा, ब्लॉक कांकडहाड़ में है, जो ढेंकनाला जिले में पड़ता है, जिसमें 43 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है। तीसरा, पाइकमाल ब्लॉक है, बरगढ़ जिले में है, जिसमें करीबन 36 प्रतिशत आदिवासी हैं और इन तीनों जिलों में पॉपुलेशन की वजह से EMRS नहीं खुल सकते हैं। सर, यह बहुत अच्छी स्कीम है, Excellent स्कीम है, लेकिन जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, इसकी वजह से बहुत सारे आदिवासी बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं।

सर, अभी ओडिशा में 104 EMRS सैंक्शन हुए हैं, उनमें से सिर्फ 32 EMRS ही फंक्शनल हो पाए हैं और 72 स्कूल्स अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए हैं। महोदय, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि ईएमआरएस स्कूल्स में टीचर्स की एपॉइंटमेंट के लिए करीबन 40 हजार करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। महोदय, जब स्कूल्स ही फंक्शनल नहीं होंगे, तो इन टीचर्स की एपॉइंटमेंट करके भी क्या फायदा होगा? मेरी सरकार से यही विनती है कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया को रीविजिट किया जाए। सर, मैंने इस बारे में मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी और मेरे पास माननीया मंत्री रेणुका सिंह जी का रिप्लाई भी आया था कि 2025-26 में इस क्राइटेरिया पर पुनर्विचार किया जाएगा। सर, उन्होंने मुझे अपनी चिट्ठी में ऐसा रिप्लाई दिया था, लेकिन तीन साल में बहुत देर हो जाएगी, तीन साल में आदिवासी बच्चे डिप्राइव हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Sujeet Kumar: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

माननीय सुशील कुमार मोदी जी, Need for declaration of assets and liabilities by the Judges of the Supreme Court and the High Courts.

Demand for declaration of assets and liabilities by the Judges of Supreme Court and High Courts

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, ऑल इंडिया सर्विसेज़ यथा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। सीएजी भी वेबसाइट पर अपने एसेट्स का प्रति वर्ष डेक्लरेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं को एमपी, एमएलए का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार है। जब कोई एमपी, एमएलए चुनाव के लिए खड़ा होता है, तो उसे अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। एमपी बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी एमपीज़ को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। महोदय, यहाँ तक कि सेंट्रल कैबिनेट यानी प्रधान मंत्री तक के साथ-साथ सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

उपसभापति महोदय, मंत्री, एमपी और आईएएस के समान जजेज के लिए भी एसेट डेक्लरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कोलीज़ियम मैकेनिज़्म विकसित करे। महोदय, anybody holding public office and drawing salary from Exchequer should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds. जिस प्रकार से वोटर को एमएलए, एमपी की संपत्ति जानने का अधिकार है, उसी प्रकार से litigant has a right to know the assets of Judges. This will repose the confidence and trust of the litigating public in the judicial system. If the Minister who decides about awarding a tender has to disclose his assets, why not the judge who decides if the Minister's decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function. उपसभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 7 मई, 1997 को यह निर्णय लिया था कि सभी जजेज अपनी प्रॉपर्टी का मंडेटरी डेक्लरेशन करेंगे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने उसे वॉलंटरी कर दिया। महोदय, मैं आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया था, मैंने देखा कि 2018 के बाद से इसे अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि यह वॉलंटरी है और इसमें केवल 55 जजेज की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। महोदय, केवल पाँच हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध है और वह भी केवल कुछ ही जजेज की उपलब्ध है। **..(समय की घंटी)..** इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसका संज्ञान ले।

MR DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Sushil Kumar Modi: Shri

Sandosh Kumar P. (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimat S. Phangnon Konyak (Nagaland), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Dr. Ashok Bajpai (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Kailash Soni (Madhya Pradesh), Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Dr. Laxmikant Bajpayee (Uttar Pradesh), Shri Harnath Singh Yadav (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shri Surendra Singh Nagar (Uttar Pradesh).

माननीय सुशील कुमार मोदी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, kindly send your names here; you know the process. Now, Dr. Ashok Kumar Mittal - Concern over rising cases of human trafficking.

Rising cases of Human Trafficking

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं इस सदन के समक्ष एक बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह मुद्दा ह्यूमन ट्रेफिकिंग का है। यह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें सिर्फ इंटर स्टेट ही नहीं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेफिकिंग भी शामिल है। यह नेशनल सिक्युरिटी का इश्यू भी बन जाता है, क्योंकि इससे जो ब्लैक मनी जनरेट होती है, वही आगे जाकर आतंकवाद, ड्रग ट्रेड, आर्म्स ट्रेड और ऐसे अन्य गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल की जाती है। हमारे संविधान में केवल दो मुद्दों को डायरेक्टली पनिशेबल बनाया गया है - ट्रेफिकिंग और अनटचेबिलिटी। इसे आर्टिकल 23 के माध्यम से फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड पर जाएँ, तो 2022 में जो केसेज़ रिकॉर्डेड हुए, वे 2,112 थे, लेकिन यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यदि हम गहराई में जाएँ, तो शायद ऐसे केसेज़ लाखों में आएँगे। मैं इस सदन में पंजाब से आता हूँ, जहाँ क्रॉस-बॉर्डर ट्रेफिकिंग के केसेज़ भी सामने आते रहते हैं, जहाँ महिलाओं को नौकरी के नाम पर अच्छी तनख्वाह देने के लालच में दुबई, ओमान वगैरह ले जाया जाता है और वहाँ ले जाकर उनसे हैरासमेंट शुरू होती है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं,

उनको कैद में रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, स्लेवरी कराई जाती है, डोमेस्टिक हेल्प जबरदस्ती कराई जाती है, जिसकी पेमेंट भी नहीं की जाती है। इसके साथ-साथ सेपरेटली चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, प्रॉस्टिट्यूशन, बॉन्डेड लेबर जैसे कारण भी ह्यूमन ट्रेफिकिंग से पैदा होते हैं।

महोदय, भारत सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए 'The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill' 2018 में लोक सभा में पास करवाया, लेकिन लैप्स होने की वजह से लोग यह पारित नहीं हो पाया। इसलिए मैं चाहूँगा और भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि वह ह्यूमन ट्रेफिकिंग पर फिर से संज्ञान ले और इसके लिए एक डेडिकेटेड कानून लेकर आए, ताकि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकें और जो क्रॉस-बॉर्डर ह्यूमन ट्रेफिकिंग हो रही है, उस पर सख्त एक्शन ले सकें, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Dr. Ashok Mittalji. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Ashok Kumar Mittal: Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Sandosh Kumar P.(Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandeep Kumar Pathak (Punjab), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha). Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha); Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra); and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Hon. Dr. Sasmit Patra, 'Demand to include 'Ahimsa' in Preamble of the Indian Constitution.'

Demand to include 'Ahimsa' in Preamble of the Indian Constitution

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Hon. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity on this very important topic. The topic is, 'Demand to include Ahimsa in the Preamble of the Indian Constitution' as proposed by hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaikji.

Sir, in May, 2018, Odisha's hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaikji, during the first meeting of the Committee for 150th Birth Anniversary Celebrations of Mahatma Gandhi had proposed that the idea of ahimsa or non-violence should be included in the Preamble of the Indian Constitution. Hon. Deputy Chairman, Sir, he had said, 'this would inspire future generations not only of India but also people around the world who would be reminded of the profound truth of this principle.' He further said that 'this is the most important aspect of Mahatma Gandhi, the doctrine of non-violence, because it talks about poverty and social injustice as the greatest violence against humanity.' Again in December, 2019, hon. Deputy Chairman, Sir, hon. Chief

Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaikiji, reiterated his demand for inclusion of ahimsa, non-violence, in the Preamble of the Indian Constitution while addressing the second meeting of the National Committee for Celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi, and he said that 'Ahimsa is the most powerful message given by India to the world and that Ahimsa has made our freedom struggle a unique freedom struggle in the entire world while Ahimsa is the only path of peace, development and equality.'

You would be happy to know hon. Deputy Chairman, Sir, that in March, 2021, the Odisha Vidhan Sabha, the Odisha Assembly, unanimously passed a Resolution to include Ahimsa, non-violence, in the Preamble of the Indian Constitution. The Resolution was passed to commemorate the 100th Anniversary of Mahatma Gandhi's visit to the State of Odisha. He had first visited on March 23rd, 1921, and, in this way, hon. Deputy Chairman, Sir, hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaikiji, has been repeatedly requesting for 'Ahimsa' to be added in the Preamble of the Indian Constitution. The Odisha Vidhan Sabha, unanimously, all MLAs, both BJP, Congress, BJD, Independents, everyone came together and said, "अहिंसा को भारत के संविधान के प्रीएम्बल में शामिल करिए।" This is beyond party; this is about the very philosophy of India; this is about the very identity of India, which is Ahimsa and non-violence.

In this regard, I reiterate that let the Government bring about a proposal and an amendment to include Ahimsa in the Preamble of the Indian Constitution. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Dr. Sasmit Patra. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sasmit Patra: Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Rajmani Patel (Madhya Pradesh), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Amar Patnaik (Odisha); and Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar).

**The issue of Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) in Hingoli,
Maharashtra**

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, as India takes off into the realms of scientific advancement, as a proud Indian, I would like to say:

"न तू जमीं के लिए है, न आसमाँ के लिए,

Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaikji, reiterated his demand for inclusion of ahimsa, non-violence, in the Preamble of the Indian Constitution while addressing the second meeting of the National Committee for Celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi, and he said that 'Ahimsa is the most powerful message given by India to the world and that Ahimsa has made our freedom struggle a unique freedom struggle in the entire world while Ahimsa is the only path of peace, development and equality.'

You would be happy to know hon. Deputy Chairman, Sir, that in March, 2021, the Odisha Vidhan Sabha, the Odisha Assembly, unanimously passed a Resolution to include Ahimsa, non-violence, in the Preamble of the Indian Constitution. The Resolution was passed to commemorate the 100th Anniversary of Mahatma Gandhi's visit to the State of Odisha. He had first visited on March 23rd, 1921, and, in this way, hon. Deputy Chairman, Sir, hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaikji, has been repeatedly requesting for 'Ahimsa' to be added in the Preamble of the Indian Constitution. The Odisha Vidhan Sabha, unanimously, all MLAs, both BJP, Congress, BJD, Independents, everyone came together and said, "अहिंसा को भारत के संविधान के प्रीएम्बल में शामिल करिए।" This is beyond party; this is about the very philosophy of India; this is about the very identity of India, which is Ahimsa and non-violence.

In this regard, I reiterate that let the Government bring about a proposal and an amendment to include Ahimsa in the Preamble of the Indian Constitution. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Dr. Sasmit Patra. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sasmit Patra: Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Rajmani Patel (Madhya Pradesh), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Amar Patnaik (Odisha); and Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar).

**Issue of Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) in Hingoli,
Maharashtra**

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, as India takes off into the realms of scientific advancement, as a proud Indian, I would like to say:

"न तू जमीं के लिए है, न आसमाँ के लिए,

”جहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए।“
 † لیے، کے آسمان نہ ہے، لیے کے زمیں تو نہ
 لیے کے جہاں نہیں تو لیے، تیرے ہے جہاں

Sir, India has embarked upon a momentous journey, marking its celestial prowess by touching the Moon and nearing the Sun. Yet, our quest to unravel cosmic mysteries has only just commenced. In the heart of Maharashtra's Hingoli, a barren expanse of land is poised to become the ground for one of the world's most ambitious scientific initiatives, the LIGO Observatory, dedicated to unraveling gravitational waves. I extend my heartfelt gratitude to the hon. Prime Minister of India for swiftly considering the plea that I personally made to him and granting the Government's wholehearted approval and a sanctioned fund of Rs. 2,600 crore for LIGO India.

Sir, this project promises an impactful change for the underprivileged in the Marathwada region of Maharashtra, making it a big hub for science. It pledges not only extensive scientific research, but also substantial investments in education, healthcare and infrastructure, revitalizing the entire area. Sir, I implore the Government to seize this opportunity by establishing a science city, fostering a world-class research university and constructing state-of-art infrastructure with robust connectivity all around the LIGO Project. Moreover, I propose the creation of a dedicated committee tasked with overseeing and guiding this monumental project. This committee would offer recommendations and strategies to harness this opportunity for the comprehensive development of the Marathwada region. This endeavour is not merely about a scientific exploration. It is about fostering a future where knowledge, innovation and progress thrive. Let us unite in our commitment to leverage this endeavour for the holistic advancement of our nation and its people. Sir, this is only the third location in the world that NASA has identified to set up this Laboratory. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Fauzia Khan: Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

† Transliteration in Urdu script.

**Demand to release dues under National Health Mission and Rural Development Fund
to the State of Punjab**

श्री संदीप कुमार पाठक (पंजाब): उपसभापति महोदय, आज मैं पंजाब के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके समक्ष और आपके माध्यम से इस पूरे देश और सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

सर, पंजाब का बहुत सारा पैसा केन्द्र सरकार के पास अटका हुआ है। केन्द्र सरकार ने वह पैसा रोक कर रखा हुआ है। RDF (Rural Development Fund) का लगभग 5,500 करोड़, National Health Mission का 621 करोड़, MDF का लगभग 850 करोड़, Special Assistance का 1,800 करोड़ - टोटल लगभग 8,000 करोड़ पंजाब का पैसा केन्द्र सरकार के पास अटका पड़ा है, उसे किसी-किसी कारणों से रोका हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि पंजाब के साथ अन्याय नहीं हो, पंजाब के अधिकार का पैसा उसे मिलना चाहिए।

सर, अगर मैं RDF की बात करूँ, तो Rural Development Fund mostly मंडी के रख-रखाव और निर्माण के लिए होता है। इसके साथ-साथ लगभग 67 किलोमीटर मंडी के आसपास का जो रोड होता है, सड़कें होती हैं, उनके रख-रखाव के लिए वह होता है। पिछली सरकारों ने किसी भी कारण से वह पैसा किसी दूसरी चीज में खर्च कर लिया, तो केन्द्र सरकार ने वह पैसा रोक दिया कि आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही है, लेकिन अब वहाँ सरकार बदल गयी है। पिछली सरकार से एक गलती हुई होगी या उसके जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन पंजाब की जनता का हक सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता है। मेरा यह मानना है कि इसमें कई बार चिट्ठी लिखी गयी, केन्द्र सरकार ने बड़े सकारात्मक तरीके से उत्तर भी दिये कि आप नियम बनाइए कि आप उस पैसे का सही जगह पर उपयोग करेंगे, पंजाब सरकार ने नियम बनाया, नियम के बाद केन्द्र सरकार ने सहमति भी दे दी और पंजाब सरकार ने तो केन्द्र सरकार को धन्यवाद तक दे डाला कि हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं, लेकिन पैसा फिर भी रुका हुआ है। सर, अब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया है और वह सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है।

सर, दूसरी बात नेशनल हेल्थ मिशन के संबंध में है। यहाँ माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। सर, नेशनल हेल्थ मिशन के लगभग 621 करोड़ रुपये रुके पड़े हैं। इसमें यह कहा जाता है कि जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हैं, केन्द्र सरकार उनका सपोर्ट नहीं करती है। जो एनएचएम के पैसे हैं, वे उस पर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें रोका गया है। लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे तो दवाइयों में भी जाते हैं, मशीनों में भी जाते हैं, जिला अस्पतालों में भी जाते हैं, तहसील के अस्पतालों में भी जाते हैं, और भी कई अस्पताल हैं, उनमें भी जाते हैं। अगर केन्द्र सरकार चाहे, तो वह स्पेसिफाई कर दे कि आप आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। भले ही, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसा न दें, लेकिन बाकी के लिए तो दें। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के लिए पंजाब सरकार अपनी जेब से पैसा लगा रही है, यह उनका फंड है। मेरा यह मानना है कि इस पर ध्यान देना चाहिए।

सर, बड़ी मुश्किल से जीएसटी का पैसा मिला, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर वे नहीं भी देते, तो हम क्या कर लेते, हम केवल सुप्रीम कोर्ट का चक्कर

लगाते रहते। सर, राज्य और केन्द्र सरकार के मुद्दों से संबंधित 35,000 केसेज़ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। सर, यह देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों पर...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sandeep Kumar Pathak: Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sanjeev Arora (Punjab) and Shri Sant Balbir Singh (Punjab).

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डा. मनसुख मांडविया) : सर, जो क्वेश्चंस रेज़ किए गए हैं, मुझे लगता है कि इनके संबंध में सदन को क्लेरिफाई करना आवश्यक है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। भारत सरकार फेडरल डेमोक्रेसी का सम्मान करती है। कोई राज्य अपने अधिकारों से वंचित न रहे, इसकी हम स्वयं चिंता करते हैं, लेकिन सरकार के दायित्व होते हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*...

डा. मनसुख मांडविया: सरकार के दो दायित्व होते हैं।...(व्यवधान)... सरकार दो व्यवस्थाओं के प्रति रिस्पॉंसिबल होती है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।...(व्यवधान)...

डा. मनसुख मांडविया: माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, एक तो सरकार नीति-नियमों से बंधी हुई होती है।...(व्यवधान)... दूसरा, सरकार पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉंसिबल होती है।...(व्यवधान)... सरकार कोई स्कीम बनाती है, पार्लियामेंट की अनुमति से कोई योजना बनाती है......(व्यवधान)... भारत सरकार कोई स्कीम बनाती है, वह सरकार की योजना के लिए होती है।...(व्यवधान)... जो योजनाएं सभी सरकारें चलाती हैं, उन सभी सरकारों के लिए हमने कभी कोई फंड नहीं रोका है।...(व्यवधान)... चेयरमैन साहब, अभी यहाँ माननीय सदस्य ने नेशनल हेल्थ मिशन के संदर्भ में अपनी बात कही है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसका पुराना नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मॉडर्नाइज़ेशन के लिए भारत सरकार पैसे देती है।...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... There is a process for it, Derekji. ...*(Interruptions)*...

डा. मनसुख मांडविया: उनमें जो कॉन्ट्रेक्टुअल एम्प्लाइज़ हैं, उनकी सेलेरी का 60 परसेंट देने के लिए सम्माननीय सदन ने हमें अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)*... वहाँ पर जो मुफ्त मेडिसिन आती है, उसमें 60 परसेंट देने की अनुमति हमें सम्माननीय सदन ने दी है। ...*(व्यवधान)*... जो सरकार इस योजना पर इसी स्थिति में अमल करती है, हम उसकी भलीभांति मदद करते हैं। लेकिन कोई सरकार यह योजना अपने नाम से चलाए और हमारी योजना ही न रहे, जिसे पार्लियामेंट की अनुमति न हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं आती हो, जिसको कैबिनेट का अप्रूवल न हो, उसे हम कैसे पैसे दे सकते हैं? ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

डा. मनसुख मांडविया: इसलिए किसी को पैसा देने में हमारी कोई मनाही नहीं है। ...*(व्यवधान)*... वे भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Shri Vivek Thakur. ...*(Interruptions)*... There is a process for it. ...*(Interruptions)*... देरेक जी, आप जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है। ...*(व्यवधान)*... माननीय विवेक ठाकुर जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...*(व्यवधान)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

Concern over health problems among youngsters due to consumption of junk food and energy drinks

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ...*(व्यवधान)*... यह विषय हमारे युवा बच्चे, युवा पीढ़ी और उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a process for it. ...*(Interruptions)*...

श्री विवेक ठाकुर: जैसा कि कहा जाता है, आरोग्यम् धनसंपदा, परंतु आज युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ जिस प्रकार से कुछ कंपनीज़ - जो जंक फूड के बिज़नेस में हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के बिज़नेस में हैं - व्यवहार कर रही हैं, मैं आपके माध्यम से उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शुगर और सॉल्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खान-पान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन इसका अति-उपयोग स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार से हानिकारक होता है कि भारत में डायबिटीज़,

हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, इसका कुछ डेटा मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आईसीएमआर की एक स्टडी है, जो विश्व के बहुत प्रतिष्ठित जरनल्स में पब्लिश हुई है। 'The Lancet Diabetes and Endocrinology' - "India is home to a whopping 315 million with hypertension, 101 million with diabetes, 136 million Indians are pre-diabetic, 213 million people live with high cholesterol, 185 million suffer from high LDL cholesterol or bad cholesterol, while 254 million people live with generalised obesity and 351 million have abdominal obesity"? These non-communicable diseases were also behind 65 per cent of deaths in India. महोदय, युवा पीढ़ी के साथ-साथ हम सब इस समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन जो जंक फूड है....

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Vivek Thakur: Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shrimati Sulata Deo (Odisha).

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Consumption status under PMUY

*76. SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

- (a) the number of Ujjwala beneficiaries and total refills consumed by them in last 3 years;
- (b) the per capita consumption of refilling under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) in Financial Year 2020 to 2023;
- (c) the number of Ujjawala beneficiaries who took only 1 refill, 2 refills, 3 refills and 4 refills in last two financial years;
- (d) the steps taken to encourage consumption of LPG by PMUY beneficiaries; and
- (e) the number of LPG bottling plants and distributors increased since 2021?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) was started in May, 2016 with the objective of providing access to clean cooking fuel to poor households across the country according to a defined criteria. Under PMUY, deposit free LPG connections are provided to adult women from poor households. As of 30.09.2023, 9.59 Crore PMUY connections have been released in the country. A total of 100.85 crore refills were taken by PMUY consumers in last 3 years i.e. FY 2020-21, 2021-22 & 2022-23.

(b) Per capita consumption of PMUY Beneficiaries has increased from 3.01 Refills/annum (in terms of 14.2 Kg refill) during FY 2019-20, to 3.71 Refills/annum during FY 2022-23 & further to 3.8 refills in 2023-24 (till October 2023).

(c) The number of PMUY beneficiaries who took 1 refill, 2 refills, 3 refills and 4 refills including installation refill in last two financial years is as below:

(in lakh)

Financial Year	One refill	Two refills	Three refills	Four refills	Five & more refills
FY 2021-22	161.5	148.74	130.89	103.62	260.48
FY 2022-23	155.81	149.24	131.19	104.27	300.28

Source: Indian Oil Corporation Limited on industry basis

(d) Government has taken several steps to encourage consumption of LPG, which include targeted subsidy of Rs.200/- per 14.2 Kg refill upto 12 refills/year for PMUY beneficiaries for years 2022-23 and 2023-24, increase in targeted subsidy to Rs. 300 per 14.2 kg cylinder for up to 12 refills per annum since October 2023, option of 5 Kg Double Bottle Connection (DBC), swap option from 14.2 kg to 5 Kg, upto 3 free refills to PMUY beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package from April 2020 to December 2020 etc. For ease of refill booking various methods have been provided viz. Interactive Voice Response System(IVRS), Short Message Service(SMS), Whatsapp, calling directly on the phone of distributor, e-commerce platforms, OMC mobile applications, OMCs web-portals etc. The effective price of domestic LPG

cylinder in neighboring countries as on 01.12.2023 is as below :

(In Indian Rupees)

Country	Domestic LPG (Rs./14.2 kg. cyl.)#
India	603.00*
Pakistan	1059.46
Sri Lanka	1032.35
Nepal	1198.56

#Source: Petroleum Planning and Analysis Cell

*Effective cost to PMUY beneficiaries in Delhi

To improve LPG usage amongst PMUY beneficiaries, Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) have organized LPG panchayats, social media campaigns, public events for the distribution of connections and public awareness campaigns etc. across the country.

(e) OMCs continuously expand the distribution network by commissioning new LPG distributorships. Between April 2021 and November 2023, while the number of LPG distributorships has increased from 25083 to 25437, the number of LPG bottling plants has increased from 200 to 210.

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि यूपीए-॥ के दौरान कितनी राशि के ऑयल बॉण्ड्स इश्यू किए गए थे, कितनी राशि की पेमेंट हो चुकी है, कितनी राशि बकाया है और इसका भुगतान सरकार कब तक करेगी?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the question is on the utilization of cylinders by the beneficiaries of Ujjwala Yojana, but I have a learned colleague and he has asked a question which is not directly but somewhat distantly related to the issue and he has sought answer to a question which is interesting. The question seeks to know that during the tenure of previous Government, how the issue of price rise -- I think that should be the question -- was confronted. It was confronted, as the hon. Member has said, through the floating of oil bonds, which, in a sense, means that if you have a financial difficulty that you have to confront, then, you float bonds and someone else will have to pay them back. So, those oil bonds floated between the years 2004 and 2014 -- I think that was the period -- were close to Rs.1,44,000 crores. I seek forgiveness if my figure is slightly misaligned.

MR. CHAIRMAN: You mean numerical figure!

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Yes, Sir, numerical figure. As regards my figure, I am trying to lose weight, and it's a constant struggle also. And, the hon. Member has said, "How do you do it?" In the Punjabi language, if I may be permitted, because the hon. Leader of the Opposition had once said, "Why don't you speak in Hindi?", I was tempted to speak in Punjabi. सर, पंजाबी में हम रिश्ते जरा जल्दी जोड़ लेते हैं। But, I was not implying that in totality. नाना जी ने जो 1,44,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, उनके जो पोते हैं, the second generation, we are paying back Rs.3,20,000 corers. This is what I call absolute irresponsible governance model.

Regarding what we did during the current Prime Minister's period, I would like to inform that we took a number of steps to do it very differently. We diversified the sources of supply. The hon. Prime Minister, who is very sensitive to the requirements of the most vulnerable sections of the society, reduced the Central Excise Duty on petrol and diesel on two occasions -- in November, 2021, and in May, 2022. As a result of this reduction in this Excise Duty -- and this is very interesting -- the loss of revenue to the Government was Rs. 2.2 lakh corers. The BJP-ruled States reduced the VAT, and I want to thank them for that. As a result of this, what happened was that we had two differential levels of petrol and diesel pricing. You had the BJP-ruled States where petrol, on an average, sells for Rs.96 a litre and you have the non-BJP ruled States. I don't want to name any because that is not, I think, the question, but the price difference is about Rs.12 per litre. And, a person never goes to a petrol pump to just fill one litre of petrol. An average car which a citizen uses, or a two-wheeler or three-wheeler, fills many litres. So, if you have a car with 30 litre petrol tank and the price differential is Rs.12 per litre, you will realise what the issue involved is. We have to deal with this on many different fronts. Since the question is on utilisation of gas cylinders under the Ujjwala Yojana, I also want to thank the hon. Member for raising this. There are two kinds of 'gas', which I would like to refer within quotes, and I want to do some context setting. There is something called Natural Gas, which comes along with the crude oil from below the surface or deep sea. The other is the Liquefied Petroleum Gas (LPG). India imports approximately sixty per cent of the LPG and that import of sixty per cent of the LPG has to be seen in the context of some of the crude oil, which we import, which is utilized in our refineries and refined to produce LPG.

As the body of the answer indicates, our average per capita consumption for the Ujjwala beneficiaries per annum has gone up from 3.01 earlier to 3.8 per household now, which means that the number of Ujjwala connections have increased

-- 9 crore 60 lakhs is the number -- and the utilisation per household by our sisters, who are utilizing the same, has also increased. So, there is good news on all fronts. There has been a narrative which I have found difficult to understand. उज्ज्वला का कनेक्शन ले लिया, पर यूटिलाइज़ेशन नहीं है। Sir, if you look at how many people utilized the first cylinder, second cylinder, third, fourth, fifth and so on, it is increasing all the time. There is a variation between urban households, where they may be large families, large number of people and smaller families but the average of 3.8 cylinders per annum per household is a very good feature but, I think, a normal family size, husband, wife and two children, would be utilising about four.

श्री सभापति : रिश्ते जल्दी बना लेते हैं। आपने कहा कि रिश्ते बहुत जल्दी बना लेते हैं।

श्री हरदीप सिंह पुरी : सर, पंजाबी।

श्री सभापति: पंजाबी की बात छोड़िए। You have opened upfront on the homeground. Second supplementary, Shri Sushil Kumar Modi.

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 'पीएम उज्ज्वला' के कारण pollution-related premature deaths से कितने लोगों को बचाया जा चुका है, क्योंकि जब पॉल्यूशन होता है तो हम कहते हैं कि लंग्स और बाकी चीज़ें affect होती हैं। My question is: How many people were we able to save from pre-mature deaths because of PM Ujjwala scheme? साथ ही पीएम 2.5 का जो एमिशन है, वह इसके कारण कितना कम किया जा चुका है? क्योंकि अखबार में एक रिपोर्ट छपी है कि 15 लाख लोगों को मरने से बचाया जा चुका है and helped in avoiding 1.8 million tonne PM 2.5 emissions which could have gone into...

MR. CHAIRMAN: Modi ji, we cannot give credence to newspaper reports.

श्री सुशील कुमार मोदी : ठीक है, सर।

MR. CHAIRMAN: We love to be on a firm ground.

श्री सुशील कुमार मोदी : इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि 'पीएम उज्ज्वला' के कारण premature pollution-related deaths से कितने लोगों को बचाया जा चुका है, तथा पीएम 2.5 एमिशन कितना कम किया जा सका है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I want to thank the hon. Member for putting this question. सर, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने मई, 2014 में दिल्ली में दायित्व संभाला था, उस समय देश भर में जो गैस कनेक्शंस थे, वे करीब 14 करोड़ थे, आज के दिन ये 14 करोड़ से बढ़कर close to 31.5 crore हो गए हैं। 14 करोड़ से 31.5 करोड़ के बीच में उज्ज्वला की स्कीम रोल आउट की गई, उसमें 9 करोड़, 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस हैं। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, कि हम 75 लाख और उज्ज्वला कनेक्शंस देंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से 75 लाख में से करीब 34 लाख एप्लीकेशन्स को examine कर लिया गया है और लगभग 29 लाख को ठीक पाया गया है। It is very clear that shifting from firewood, kerosene, coal and other traditional methods on to gas, which is a much cleaner cooking medium, has very significant health benefits and it impacts lives of the rural households, especially, women while the wood, dung, crop residues resulted in all kinds of air pollution and more toxicity. सर, मैंने इसमें कई एस्टिमेट्स देखे हैं। The hon. Member has referred to one such report. उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं, मैंने वे भी देखे हैं। मैंने कुछ और भी फिगर्स देखे हैं, जो इससे ज्यादा हैं। There have also been some discussions in the context of World Health Assembly. मेरा सबमिशन, through your good offices, Sir, यह है कि exact quantification क्योंकि यह उज्ज्वला की भी है और जो 14 करोड़ से 31.5 करोड़ एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर लगे हैं, उसका भी लाभ है। There are some other steps which are being taken. On exact quantification, as to how many lives were saved due to this initiative, we can say 'millions of lives'. I have no doubt in associating myself with or endorsing the hon. Member's assessment that a lot of lives have been saved. But on precise quantification, it is difficult, because when something as unfortunate as morbidity takes place, then the causation becomes a problem. There were people during the pandemic who, at the end of the day, suffered from Covid but the actual cause of death may have been different because immune system was down. But I think the hon. Member is right on target. This has been, in terms of health parameters, a transformational initiative by the Prime Minister, both the number of cylinders going up from 14 crore to 31.5 crore and subsequently, 9,60,00,000 Ujjwala connections and the additional ones. I would submit that I feel a little hesitant because of my civil service training perhaps to put an exact number to it. But I think it would be very close to the millions that my colleague, the hon. Member referred to.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary question. Shri Biplab Kumar Deb.

श्री बिप्लव कुमार देब : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एलपीजी सिलेंडर के टोटल प्राइस के साथ 20 रुपये डिलीवरी चार्ज भी include रहता है। सेमी रूरल और रूरल एरियाज़ में distributor consumer को 20 रुपये के बारे में बताता नहीं है,

कन्ज्यूमर को जानकारी भी नहीं है और वह उनसे 50 से 100 रुपये चार्ज करता है। क्या मंत्री जी को इस बारे में जानकारी है या नहीं है? यदि जानकारी है, तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं और नहीं हुई है, तो वह कब तक होगी? मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ।

श्री हरदीप सिंह पुरी : महोदय, शुरु में 1,100 रुपये जो सिलेंडर का दाम था, उसमें हमने देश भर के लिए 200 रुपये कम किए। आज उस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का दाम करीब 900 रुपये है। But there are regional variations. It is quite one thing to deliver a cylinder, say, in Delhi from a dispensing point and quite another to have a cylinder reached in the farthest reaches of the North East. So, there are some small differences there. We are not only aware -- the hon. Member asked इसके बारे में हमें जानकारी है या नहीं, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है -- we monitor it all the time. अगर हमें कहीं लगेगा कि additional logistical constraints के कारण जो चार्ज किया जा रहा है, whether it is unreasonable, we would be very happy to receive it from others and I keep receiving it. The situation is, पहले जो डिलीवरी चार्ज 30 रुपये है और वह cost of cylinder में included है। दूसरा, जहां बहुत difficult geographical areas हैं - यह हमारी हर योजना में बात है। हम गैस की पाइपलाइन ले जाते हैं to a point, यदि वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग है, तो वहां पर एक ही पाइपलाइन से you can deliver hundreds of connections. But if the point of consumption and the households are several kilometers apart, then the cost of delivering cylinder also goes up marginally. So we are aware of both the things. We monitor this. And the effort is to bring the price down on a continuing basis. इसमें जो उज्ज्वला के बेनिफिशियरीज़ हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमने सिलेंडर का दाम नेशनल लेवल पर 1,100 से 900 रुपये कर दिया, तो हमने उज्ज्वला बेनिफिशियरीज़ को 200 रुपये की राहत दी और उसके बाद अगस्त, 2023 में 100 रुपये की और दी। So the Ujjwala cylinder is available to the beneficiaries for Rs. 603 in Delhi. If you compare this with the price of cylinders in countries around India or if you look at the price of petrol and gas in other countries of the world, including in the advanced countries, I think what will stand out is that we were able to do it because of hon. Prime Minister's compassion and commitment to the vulnerable sections of our society. सर, आपकी अनुमति से मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इंडिया में जो 14.2 किलोग्राम का गैस का सिलेंडर है, वह 603 रुपये का है, पाकिस्तान में 1,059.46 रुपये, श्रीलंका में 1,032.35 रुपये और नेपाल में वह 1,198.56 रुपये का है। This is the thing. We are providing cylinders virtually at 50 per cent of the price or thereabout. This is in spite of the fact that we import 60 per cent of the gas and our gas prices have to be linked to international prices. Our 60 per cent of LPG is imported. This is linked to Saudi CP which has gone up, on an average, in the last two years, from about 415 dollars to about 712 odd dollars. Yet, we have not passed on that increase to the consumers. We have absorbed it. If

Saudi CP has gone up by 300 per cent or 330 per cent and we have only passed on 60 per cent, that is what makes the cylinders cheapest in India.

SHRIMATI SULATA DEO: Thank you, Mr. Chairman, for giving me the permission. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि 'उज्ज्वला' स्कीम के द्वारा गरीबों को जितनी सब्सिडी मिल रही है, वह तो ठीक है, मगर डीबीटी के जरिए मिडिल क्लास फैमिली के अकाउंट में भी सब्सिडी का कुछ अमाउंट आता था, यह 2020 से बंद है। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताएं कि क्या इस सब्सिडी को फिर से देने का कोई प्रावधान है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I am very happy that the hon. Member has asked that question. I think there is some misunderstanding. We have what is called eligibility criteria. The eligibility criteria consist of several markers. Accordingly, a beneficiary can receive benefits under the eligibility criteria. It is a defined criteria for an adult woman belonging to any of the following categories: SC households, ST households, Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin), most backward classes, Antyodaya Anna Yojana, tea and ex-tea garden tribes, forest dwellers, people residing in islands or river islands, SECC households and poor households as per the 14-point declaration, but there should not be any LPG connection in the household other than the one you are applying for. We also have negative criteria. We have what is called a KYC form, an undertaking. This includes 14 points. If any beneficiary, after signing this form, is found to be in violation or in contravention of any of these 14 points, the connection could be withdrawn. What we had done earlier was this. The direct benefit to which the hon. Member is referring to is a very simple thing. Earlier, what used to happen was that the consumer would go and pay Rs.1,100 upfront. When we introduced subsidy for Ujjwala, it is a direct transfer to the beneficiary's account and that direct transfer takes place within 48 hours. I have never heard any complaint. So, those who are entitled to receive the benefit continue to receive it. It is entirely possible that the hon. Member is referring to some households which don't qualify according to the criteria. As I said, there is eligibility criteria and then there is KYC form. This seems to be working well. I should mention that when the decision was taken to provide 75 lakh additional household connections, 15 per cent applications out of those 34 lakh applications received, were rejected because by use of Aadhaar card, we found that those households actually had another connection within the definition of 'household'.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, the hon. Minister has said that the Government has already started rolling out Ujjwala Yojana 2.0 with 75 lakh more connections to be

given. I wish to know: In the light of the fact that there was CAG report which exposed very, very serious discrepancies in the entire Yojana, has the Government embarked upon any such exercise where this is addressed and the report comes, which is tabled in the House or put in public domain?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I have now been around long enough, 39 years in the civil service, six-and-a-half years as a Minister and two-and-a-half years with this Ministry. If I am expected to respond कि एक रिपोर्ट आई, उसमें बड़े गंभीर इश्यूज़ हैं। मैं आपको 15 रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ, जिनमें बड़े गंभीर सवाल उठाए जाते हैं, including the kind of false narrative building. If there is a report which merits attention, I would be very happy to respond to the report. ...*(Interruptions)*... The point is.....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Leave it. ...*(Interruptions)*... I am here to take care of the interest of everyone.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am coming to that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please bear with me.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, today, the Ujjwala Scheme, as I said, started at the height of a period when there was a need to provide targeted assistance to those of our sisters belonging to a defined criteria. We are providing that. Earlier, there were two points of criticism. One was that the utilization is very low. People have taken a cylinder and not.....*(Interruptions)*... I am coming to your answer. Please allow me. I am trying to give you a complete answer. This particular CAG report that she is referring to has said that it was there; we have taken the recommendations of that into account in the tweaking that we are doing to the Scheme. Now, let me explain to you. The general impression was that out of those who had taken the first cylinder, not everybody moved to a second cylinder. We have analyzed the numbers, the numbers who have taken the first cylinder, the numbers who have taken the second, fifth, sixth or seventh. The average today is coming to 3.8 cylinders per household which, as I had submitted in response to an earlier question, is a reasonably good utilization. And, today, that is increasing but it is not being allowed to be misused by those. Now, what is happening is that in some of the rural areas, where the poorer households have also had got access to other forms of cooking medium like firewood etc., there the utilization was low initially. So, we can do two things at the policy level. We can do the *prachar*. We are reaching out through the

social media, through Ujjwala panchayats. We are also incentivizing. Bringing down the cost is a clear effort in that direction but the short answer is, since she did not mention the report and since, I think, she has the CAG report in mind, let me answer categorically that all the recommendations have been included in the system's implementation; I would say, all the recommendations. But I heard that there is a report, वह बड़ी गंभीर है। जब मैं सुबह अखबार खोलता हूँ, तब मुझे कई गंभीर चीजें नज़र आती हैं। As a student of history, मैं यह पूछता हूँ कि इस रिपोर्ट को लिखने वाला कौन है, तो वहाँ से पता लगता है कि क्या हो रहा है? By the way, the CAG recommendation pointed out that a male could take PMUY, a minor could take more than two refills. Now, we have made changes. We do not allow males and minors too. The scheme is for ladies, घर की महिला के नाम पर है। And this has already brought about a change. By the way, we take CAG's recommendations very seriously; my colleague is saying, unlike some previous dispensation which allowed the thing but let me assure you, we take them very seriously and, certainly, in my Ministry, we take them extra seriously.

MR. CHAIRMAN: Q.No.77.

LPG subsidy

*77. SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

- (a) whether Government will take steps to reduce the price of petrol, diesel and LPG in the wake of the sharp decline in their crude price;
- (b) the quantum of amount in respect of subsidy with regard to LPG still pending, the details thereof from June 2020; and
- (c) whether Government will take measures to restore the subsidy which was stopped in June 2020, in the form of cash transfers to bank accounts, including the arrears?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) India has been the only major economy in the world where the prices of petrol and diesel have come down in the last 2 years. Changes in prices of petrol and

diesel in some major economies between October 2021 and October 2023 are as under:

	%age Change in Prices between Oct-21 and Oct-23	
Country	Petrol	Diesel
India (Delhi)	-5%	-1%
France	15%	24%
Germany	11%	21%
Italy	13%	22%
Spain	16%	25%
UK	10%	13%
Canada	8%	31%
USA	22%	39%

Source: Petroleum Planning and Analysis Cell

Changes in prices of petrol and diesel in some neighbouring economies between October 2021 and October 2023 are as below:

	%age Change in Prices between Oct-21 and Oct-23	
Country	Petrol	Diesel
India (Delhi)	-5%	-1%
Pakistan	70%	73%
Bangladesh	26%	45%
Sri Lanka	60%	118%
Nepal	41%	53%

Source: Petroleum Planning and Analysis Cell

Prices of petrol and diesel are market determined and Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) take appropriate decision on pricing of petrol and diesel. While crude oil prices (Indian basket) increased from \$73.30/bbl (December 2021) to \$112.87/bbl (March 2022) and further to \$116.01 (June 2022) and continue to remain highly volatile, OMCs have not increased/ revised prices since 6th April 2022. In fact, excise duty reductions done in November 2021 and May 2022 of Rs. 13/litre and

Rs. 16/litre on petrol and diesel respectively were fully passed on to consumers. Some state governments also reduced state VAT to provide relief to citizens.

Government of India also took several other steps to insulate common citizens from high international prices, which included diversifying the crude import basket, windfall taxes on export of petroleum products, invoking the provisions of Universal Service Obligation to ensure availability of petrol & diesel in domestic market, increasing the blending of ethanol in petrol, etc.

India imports more than 60% of its domestic LPG consumption. Price of LPG in the country is linked to its price in the international market. Government continues to modulate the effective price to consumer for domestic LPG. During the period 2020-21 to 2022-23, the average Saudi CP (international benchmark for LPG pricing) went up from \$415 per MT to \$712 per MT. However, the increase in the international prices was not fully passed on to the customers. The effective price of domestic LPG cylinder in neighboring countries as on 01.12.2023 is as below:

(In Indian Rupees)

Country	Domestic LPG (Rs./14.2 kg. cyl.)#
India	603.00*
Pakistan	1059.46
Sri Lanka	1032.35
Nepal	1198.56

#Source: Petroleum Planning and Analysis Cell

*Effective cost to PMUY beneficiaries in Delhi

Government has reduced the effective price of domestic LPG by Rs. 200 per 14.2 Kg LPG cylinder with effect from 30th August, 2023. Under PAHAL Scheme, the domestic LPG cylinders are sold at non-subsidised price and the applicable subsidy to the consumers is transferred directly into their bank accounts. OMCs credit the subsidy immediately to consumers and hence there is no pendency of subsidy payments. Apart from the direct subsidy to bank accounts to consumers, the OMCs have also been compensated Rs 22,000 crore in FY 2022-23 by Government of India to cover the under-recoveries suffered by them in not passing on the high international prices to the domestic LPG consumers.

W.e.f. 21st May, 2022, Government has been providing a budgetary support for targeted subsidy of Rs. 200 per 14.2 Kg LPG cylinder for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) beneficiaries for upto 12 refills a year for years 2022-23 and 2023-24. Moreover, w.e.f. 5th October, 2023, the targeted subsidy has been further increased to Rs. 300 per 14.2 Kg LPG cylinder for all Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)

beneficiaries. As on 01.12.2023, the effective price of domestic LPG for PMUY consumers is Rs. 603 per 14.2 Kg LPG cylinder (in Delhi).

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, I am deeply obliged for the opportunity and, through you, I wish to ask the hon. Minister whether the additional excise duty imposed on petrol and diesel during Covid times would be removed soon?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, we have some kind of a comedy of errors here. The excise duty was removed, not added. On two occasions -- in November, 2021 and May, 2022 -- the hon. Prime Minister reduced the excise duty on petrol and diesel resulting, as I said in response to an earlier question, in a loss of Rs.2.2 lakh crore to the Central exchequer. I also took the liberty of pointing out that the BJP States or the BJP-run States also reduced the VAT that they were charging unlike -- I wish to submit, Sir... *...(Interruptions)...* Now my colleague has mentioned Rajasthan.

MR. CHAIRMAN: That's beside the point.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: With due respect to you, Sir, petrol in Rajasthan was selling Rs.12 more expensive per litre than in the BJP States. *...(Interruptions)...*

AN HON. MEMBER: In Gandhinagar.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: In Kerala also, by the way. My submission, therefore, is *...(Interruptions)...* corporate citizens also suffered losses.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary question; Shrimati Jebi mather Hisham.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, the Minister's reply says and I quote, "Prices of petrol and diesel are market determined and Public Sector Oil Marketing Companies take appropriate decisions on pricing of petrol and diesel. While crude oil prices (Indian basket) increased from US Dollar 73.30 per barrel (December, 2021) to US Dollar 112.87 per barrel during March, 2022 and further to US Dollar 116.01 in June, 2022 and continue to remain highly volatile, OMCs have not increased or revised prices since 6th April, 2022." However, Indian petroleum companies got the benefit of Rs.27,550 crores and India's import of crude oil was almost the same

volume in the first half of financial year 2022-23; in the first half of financial year 2023-24, it was 25 per cent lower value-wise due to subsidized crude oil from Russia.

MR. CHAIRMAN: Put your supplementary question.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, my question is: As this benefit is not seen passed on to the common man, will you pass on these benefits to the common man in India?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would advise all my friends in the political world to use better research and think tanks. All these statistics which the hon. Member read out, I have heard this false narrative earlier. Let me place the facts before the House. The global situation today is characterised by an extreme, high degree of turbulence. The military operations which started in February, 2022 between Russia and Ukraine--I am choosing my words very carefully--and subsequently, the attack by the terrorist group Hamas on Israel...*(Interruptions)*... I am responsible and I ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the Minister...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas, you will have to give up this habit. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... You can take the floor when I give that sanction. Please take your seat. ...*(Interruptions)*... No. Now the hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: During this two year period, the price per barrel has gone down during the Covid lockdown to as little as 19 dollars, 56 cents and it went up to 128 dollars per barrel. I am not into fortune telling or soothsaying business. All I can say is that I cannot predict as to where the oil prices will be. But I can predict, based on hard facts, that the oil marketing companies, I am talking to our PSUs, because they are good corporate citizens; they incurred a loss of about Rs.19,000 crores during 2022. So we had a factor combination of three things. One, we had the hon. Prime Minister reduce the Excise Duty which the Centre charges, which meant that the Centre, at a time when it was providing 800 million people or 80 crore people three meals or dry ration in a day, it was forgoing revenue of Rs.2.2 lakh crores. That is what the Central Government did. The BJP-ruled States cut their VAT. This is in sharp contrast to what my colleague asked about raising oil bonds, कर्ज ले दादा और

भुगते पोता। This was in Hindi, not in Punjabi. The Punjabi is slightly more colourful. Now, my point is, for someone to be asking me a question...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, hon. Minister, through the Chair.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I say again, the Central Government, the hon. Prime Minister, reduces the excise duty on two occasions, November, 2021 and May, 2022; it results reduction in price by Rs.13 and Rs.16. OMCs as good corporate citizens incurred a loss of about Rs. 19,000 crores during 2022. That is why the prices are lower. Now if the question is, 'why don't we make oil or gas or something totally free?', well, there was a distinguished leader of this House, Prime Minister, who is still a very distinguished Member of the House. He said, 'Money does not grow on trees'. I am a student of his. All I can say is if the resources were limitless, we could, maybe, reduce it. But the OMCs are also answerable to their taxpayers, to their shareholders. I think India has made our prices lower than any other major economy in the world. If you get the November figures, they will be even lower.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal.

डा. अशोक कुमार मित्तल : सर, सरकार 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' में सब्सिडी दे रही है, लेकिन एक हैरानी की बात है कि बेनिफिशियरीज़ द्वारा रिफिल की संख्या कम हो रही है। सरकार ने जुलाई, 2023 में संसद में बताया कि 12 प्रतिशत बेनिफिशियरीज़ ने एक भी रिफिल नहीं कराया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री हरदीप सिंह पुरी : सर, मैं ऑनरेबल मेम्बर को बताना चाहूँगा कि हमने इसका संज्ञान भी लिया है और एक्शन भी लिया है। आज स्थिति यह है कि जो एवरेज है, वह 3.8 सिलिंडर है। मान लीजिए कि अगर कुछ लोग एक सिलिंडर लेते हैं, उसके बाद कोई डिस्क्वालिफाई हो जाता है या उसको सिलिंडर की जरूरत नहीं है, तो हमें उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा चिंता करनी है कि लाभार्थी बढ़ें। जैसा मैंने कहा, देश में टोटल गैस सिलिंडर्स 14 करोड़ से 31.5 करोड़ पहुँच गए हैं, इस समय उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 9 करोड़, 60 लाख हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है, उसके अनुसार हमें 75 लाख और जोड़ने हैं तथा उसमें 29 लाख ऑलरेडी जुड़ गए हैं।

दूसरी चीज मैं बताऊँ कि हमने कई और कदम उठाए हैं। आप 14.2 किलोग्राम की एक सिलिंडर की जगह 5 किलोग्राम का सिलिंडर ले लो, हमने बाकी प्रोसेस बढ़ा दिया है। अब तक

100.85 करोड़ रिफिल्स पिछले 3 साल में लिए गए हैं। यह कहना कि कहीं रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था, एक समय आया होगा, किसी ने कहा होगा, पर आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि 100.85 crore refills have already been taken and this process is on the increase. मुझे लगता है कि हमने ये जो 75 लाख लाभार्थी लिए हैं, इनकी सैचुरेशन भी जल्दी हो जाएगी। इनमें से 29 लाख तो हो गए हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Jawhar Sircar. ...*(Interruptions)*... Jawhar Sircarji, go to your seat. I am helping you. You seem to have forgotten your seat.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, the Minister has been repeatedly mentioning that the oil marketing companies have taken a hit and, therefore, the customers have been safe. He has given it to me in writing on 25th November that public sector oil marketing companies have suffered under recovery. Admitted. At the same time, would the hon. Minister be kind enough to state how much profits went to the private oil refiners during the same critical period? Because I have data with me, at my disposal, which we are exchanging, sometimes not in the best of manner, we are in regular exchange? How much profits were made? Okay; I am naming two companies, Reliance and Roseneft that has taken over Essar company in Gujarat, at rock bottom prices. They bought it at rock bottom spot prices from the Russians whereas oil companies were unable to take the Russian offer despite the fact that External Affairs Minister was defending our stand because they were bound by long-term contracts.

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI JAWHAR SIRCAR: So, the benefit of the Russian oil went to two private limited compies.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, ask your supplementary.

SHRI JAWHAR SIRCAR: How much profit did they make? When you are talking, do not make gesticulations like this.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: If you have not finished, I will wait for you to finish. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAWHAR SIRCAR: Do not make gesticulations like this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I would appreciate if only one of you stand. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAWHAR SIRCAR: We all are addressing the hon. Chair...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the hon. Member...

MR. CHAIRMAN: He is also from civil service.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Yes, at least, there, he had to take an exam to enter, like, I had to. But the subsequent change in profession, I will come to that in a minute. I want to tell, through you, Sir, that the hon. Member had obliged me with a large number of letters, he raises the same three queries in every letter, so, ...
...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute please; let the Minister answer.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: In the last letter, I did something which I would have done as an undergraduate student. I said, I have received your letters of this date and this date, and on this date, you have raised the following three queries, and I drew a chart that the answer to the first query is given in para so and so and the answer to the second query is given in Para so and so. Sir, I am happy to make, through your good offices, the letters public that will show what the hon. Member...*(Interruptions)*... If it is a M.Phil degree or....*(Interruptions)*... Can I complete, can I complete?...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I can understand the hon. Member...
...*(Interruptions)*... but, I have the floor and I am not yielding to him.
...*(Interruptions)*... I only yield to you, Sir.

MR. CHAIRMAN: I think it will serve public interest that the communication sent by the hon. Member and the response emanating from the hon. Minister. both are tabled here. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Thank you very much, Sir. Hon. Minister has been harping on the discounts given by the Union Government at the behest of the hon. Prime Minister. I have an answer with me which says that...

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

DR. JOHN BRITTAS: I am asking, Sir, let me just formulate it. Last year, the total duty and taxes which have...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is a communication.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the quantum of money that has gone to the national exchequer, that is, Union Government, is Rs. Four lakh twenty eight thousand crores whereas all States put together, it is hardly Rs. 3 lakh crores. This is where he is saying that...

MR. CHAIRMAN: So, what is your supplementary?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my point is that though we talk in terms of Atmanirbhar, the dependence on import has gone up from 82 per cent to 88 per cent. I want to know whether the Government of India would ensure that dependence on import is brought down and also copy the idea of Mr. Gadkari that 60 per cent ethanol need to be blended, so that the petroleum prices can go down.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I am indeed very grateful to the hon. Member who asked this question because it helps me clarify what the reality is. Sir, we have probably about 88,000 petrol retail stations in India. Out of these, I think, the bulk of them are run by OMCs. There are about 8500 in the private sector. Sir, what we did insofar as the private sector is concerned, we imposed a windfall tax, we imposed export cesses and we enforced the Universal Service Obligation that 30 per cent of what they were producing had to be supplied to the domestic market. I do not think that in the history of India, this has ever happened. Sir, let me clarify. One of the private refiners is in the SEZ. We had a situation where the export volume, when he talks about windfall profits, we imposed a windfall tax and the Finance Ministry reviews it, I think on a fortnightly basis. Secondly, the export volumes, before this period, after the period and during the period, have remained constant. We ensured that trilemma that there was availability, there was affordability and sustainability. So,

there is no question of our not having done that. Sir, I have repeatedly clarified this to the hon. Member, who perhaps seeking a PhD, -- Dr. John Brittas may be in JNU, I don't know -- I will be happy to provide inputs for that study. But I can tell you that I am grateful to you that you have given me the clearance to put this entire correspondence in the public domain. ...*(Interruptions)*.. I am told that the PhD comes cheaper in Kerala. ...*(Interruptions)*.. He said that he has his PhD in Kerala. ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)*.. Hon. Minister. ...*(Interruptions)*.. All of you please take your seats. ...*(Interruptions)*.. Hon. Minister.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would again like to emphasize that there was a situation at one stage where some, I choose my word very, very carefully 'some', operators decided not to sell fuel at a lower price because that would have amounted to incurring a loss, and all these Universal Service Obligations were invoked. Everyone fell in line. That only Modiji's Government could have done because without fear or favour, we enforced the law. ...*(Interruptions)*.. I enforced Windfall Tax, Export Tax and we enforced the Universal Access. ...*(Interruptions)*.. Sir, I am indeed grateful to you, -- I want to repeat this that you have given me the permission to make that correspondence public -- it will be done during the course of the day today. The economy today, Sir, that is the proof of the pudding is firing on all cylinders because we are reducing the import. ...*(Interruptions)*.. What we have done is that we are increasing the E&P and we have increased the bio-fuel mixing. I heard the word 'ethanol', which my dear colleague, learned colleague, hon. John Brittas, mentioned; I mean there so high decibel level there, I could not get the full question. I am very happy to tell him what we are doing in bio-fuels, in compressed biogas and in green hydrogen. Thank you.

MR. CHAIRMAN: On a point...*(Interruptions)*.. Please sit down. ...*(Interruptions)*.. I give opportunity to Dr. John Brittas to ask an additional supplementary. ...*(Interruptions)*.. Dr. John Brittas, please, put it very pointedly.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the first is the point of clarification. I have a PhD from JNU. I am proud of it and, of course, his Finance Minister ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No.78, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

Beneficiaries under Pm-Svanidhi Scheme

* 78. SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government has any data regarding the number of beneficiaries under PM-SVANidhi Scheme for the last three years, if so, the details thereof, State-wise;
- (b) whether Government has any specific mechanism to identify the beneficiaries under the PM-SVANidhi Scheme, if so, the details thereof;
- (c) whether Government has any plans to increase the credit under the PM-SVANidhi Scheme, if so, the details thereof; and
- (d) the total amount disbursed to the beneficiaries under the PM-SVANidhi Scheme by Government in the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI):

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. As on 5 December, 2023, 56.58 lakh street vendor beneficiaries have been disbursed loans under Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme since its inception. The State/UT-wise details of number of beneficiaries for last three years under the scheme are at **Annexure-I**.

(b) Yes, Sir. All Street Vendors engaged in vending in urban areas are eligible for benefit under PM SVANidhi Scheme, irrespective of the date on which they started vending. As per Scheme guidelines, eligible vendors are identified based on following criteria:

- i. Street vendors in possession of Certificate of Vending / IdentityCard issued by Urban Local Bodies (ULBs);
- ii. The vendors, who have been identified in the survey but havenot been issued Certificate of Vending / Identity Card;
- iii. Street Vendors, left out of the ULB led identification survey orwho have started vending after completion of the survey, andhave been issued Letter of Recommendation (LoR) to thateffect by the ULB / Town Vending Committee (TVC); and

iv. The vendors of surrounding development/ peri-urban / rural areas vending in the geographical limits of the ULBs and have been issued Letter of Recommendation (LoR) to that effect by the ULB / TVC.

(c) Under PM SVANidhi Scheme, a working capital loan upto ₹10,000 was introduced initially. Considering the requirement for enhanced loan, 2nd loan amount upto ₹20,000 w.e.f April 09, 2021, and 3rd loan upto ₹50,000 w.e.f. June 01, 2022 were introduced.

(d) The year-wise details of total amount disbursed to the beneficiaries under the PM- SVANidhi scheme for last three years are at **Annexure-II**.

Annexure-I

Statement showing State/UT-wise total number of beneficiaries under PM Svanidhi Scheme during last three years.

(As on 05.12.2023)

S. No.	Name of State/UT	Number of PM SVANidhi Beneficiaries				
		FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24 (up to 5 Dec'23)	Total
1	Andaman & Nicobar Islands	387	90	9	47	533
2	Andhra Pradesh	1,12,746	70,505	11,080	1,09,326	3,03,657
3	Arunachal Pradesh	1,588	897	740	1,065	4,290
4	Assam	14,157	40,520	10,552	41,849	1,07,078
5	Bihar	28,861	18,598	3,124	43,936	94,519
6	Chandigarh	2,051	1,406	507	869	4,833
7	Chhattisgarh	40,296	6,357	3,511	19,217	69,381
8	Daman and Diu & Dadra & Nagar Haveli	1,029	213	76	670	1,988
9	Delhi	31,169	10,506	16,781	86,704	1,45,160
10	Goa	1,017	217	51	202	1,487

11	Gujarat	1,02,350	94,784	43,355	1,73,369	4,13,858
12	Haryana	16,943	9,395	4,736	77,015	1,08,089
13	Himachal Pradesh	2,767	591	445	1,309	5,112
14	Jammu & Kashmir	11,515	2,700	823	946	15,984
15	Jharkhand	22,031	6,813	2,310	41,246	72,400
16	Karnataka	1,07,976	33,496	23,102	1,52,451	3,17,025
17	Kerala	8,051	1,365	1,649	57,236	68,301
18	Ladakh	247	14	46	106	413
19	Madhya Pradesh	3,13,904	1,56,373	59,539	2,01,165	7,30,981
20	Maharashtra	1,49,129	48,063	1,44,250	3,31,859	6,73,301
21	Manipur	6,094	2,393	257	626	9,370
22	Meghalaya	253	354	660	1,111	2,378
23	Mizoram	442	38	36	1,032	1,548
24	Nagaland	1,202	299	166	899	2,566
25	Odisha	27,489	7,265	1,730	17,990	54,474
26	Puducherry	1,130	116	72	1,688	3,006
27	Punjab	26,663	12,582	3,210	94,115	1,36,570
28	Rajasthan	50,330	16,674	1,784	59,792	1,28,580
29	Sikkim	-	1	-	969	970
30	Tamil Nadu	87,712	74,747	17,705	1,76,834	3,56,998
31	Telangana	3,10,490	34,153	7,354	48,431	4,00,428
32	Tripura	2,600	528	236	1,514	4,878
33	Uttar Pradesh	5,63,923	2,22,205	1,39,187	3,12,985	12,38,300
34	Uttarakhand	9,111	1,385	2,505	8,922	21,923
35	West Bengal	2,379	11,168	1,021	1,43,797	1,58,365
Total		20,58,032	8,86,811	5,02,609	22,11,292	56,58,744

Data Source: PM SVANidhi Portal

Annexure-II

Statement showing year wise total amount of loans disbursed to the beneficiaries under PM Svanidhi Scheme

(As on 05.12.2023)

(in ₹ in Cr.)

Amount of loan disbursed to PM SVANidhi Beneficiaries				
FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	Total
			(up to 5 Dec'23)	
2,039	1,248	1,866	4,637	9,790

Data Source: PM SVANidhi Portal

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, I have gone through the statement. I just wanted to check with the hon. Minister, through you, Sir, whether it is correct that the scheme is not available in every city. If it is true, then, why is it not?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I want to make this absolutely clear, Sir, this scheme is available pan India in all urban local bodies and if there is some place, which does not qualify on that, I will be very happy to sit with the hon. Member and sort this out. But the fact that this scheme started at the height of the pandemic when the hon. Prime Minister wanted to insulate some of the most vulnerable sections of our society from the adversity they were facing, we rolled out the guidelines in one day. In one month, the scheme started rolling. Today we have already got something like 56.89 lakh beneficiaries. I would like to tell the hon. Member that, in fact, we have a portal which is upgraded daily. I was responding to a question in the Lok Sabha, I think a few days ago, when I used the figure 56 lakh of beneficiaries and I found today when I was preparing for this Session, I knew the hon. Member had asked this Starred Question, it has gone up to 56.89 lakh. I am sure by the time we finish the day, it will be past 57 lakh. Sir, I also wanted to share that the total number of beneficiaries who have taken the first loan is 56.89 lakhs. The number of people who have taken the second loan is 15.82 lakhs. The number of people who have taken the third loan is 2.05 lakhs. Two studies which are very significant — one by the Indian School of Business, Hyderabad, and the other by the Chief Economist of the SBI, Mr. Saumya Kanti Ghosh. They show the success of the scheme that it has a persistency ratio of 68 per cent.

Now, we have a situation that the scheme has succeeded in freeing people, जो रेहड़ी-पटरी पर अपना कारोबार करते थे, from vice-like grip of moneylenders from whom they were borrowing at the rate of 100 per cent or 300 per cent a day. The fact is that the numbers are increasing and the number of loans are also increasing shows that it is available everywhere. The second thing is, each of these people in the informal sector, their details are being on-boarded and they are being made beneficiaries of eight other Central schemes, so that they can benefit from them. Sir, we had some difficulties with some State Governments, because there is an old problem that the local authorities don't give them the respect that is due to them. Local authorities try to create — I have to be careful with my words, difficulties in the work of street vendors. I have been writing letters to the Chief Ministers. My Secretary has written to the State Government. We think, those problems are being ironed out. There are 13,700 vending zones. If, in some place, you or anyone think it is not there, kindly bring it to my notice. Vendor may be living in rural area, but trade is to be in urban area, because this is under 2014 Act which is for urban sector.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, I got a long reply from the hon. Minister. But, he hasn't really answered the question I asked. Secondly, Sir, before I ask my second supplementary, I just wanted to bring to your notice one thing. You had come out with a historic decision where you said that responses by the Ministers would be gender-neutral. But, when I was reading response to my question, every answer starts with 'Yes, Sir.' So, I just wanted to bring it to your notice and to the notice of the hon. Parliamentary Affairs Minister. My second supplementary is: If the Government is maintaining database of number of disabled people and number of women beneficiaries enrolled under this scheme, the same may kindly be provided.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, be gender-neutral.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, if I have a question, I will answer it. This is a straightforward second supplementary she has asked. Sir, 44 per cent of the beneficiaries is Mahilas. There is equal number of SC/ST. When a beneficiary or a potential beneficiary comes to seek a loan, based on a letter of recommendation or a certificate, they don't ask caste, etc. But, we have done an analysis after that and the answer is very clearly 23 per cent is given for SC/ST, another 42 per cent plus is given for OBCs. Somebody asked me, 'Where are Minorities?' I said that I cannot, for instance, ask why a particular well-to-do minority community from where the hon. Member comes don't ask for street vendor loans. I think, they are the kind of people

who run banks; they don't need to be street vendors. Data on disability is not available with us. We have tried, informally, to ascertain because the loan-seeking process does not have that category. It is as simple as that.

Hon. Member said that she asked a question and I had given a long answer. If she asks a straight forward question, I will give a straight forward answer. So, I request her, through you, to send me the question. I will send her precise, specific response to whatever question she has in mind.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, I would like to ask the hon. Minister as to how the Government will improvise access to credit under the PM-SVANidhi given the prevalent issue of ineligibility and insufficient documentation among the street vendors. There is no documentation; how will they provide housing to them? That is one point, Sir. Secondly, I think the hon. Minister was telling something about the JNU.

MR. CHAIRMAN: No; only one question.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: I am also a Ph.D from JNU. I am proud of it.

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: It is one of the consistently topmost universities of the country...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, respond to the first part.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am a great admirer of JNU. Instead of going and teaching at a Delhi University College, if I had got a little time to get a Ph.D., I may have opted for JNU also.

MR. CHAIRMAN: Kindly respond to the supplementary that concerns your Ministry.

* Not recorded.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The question is very simple. If we make cumbersome data requirement as a pre-requisite, which used to happen in a previous dispensation, no loans will be given. So, all we are saying is, you need minimum data. All you have to do is, bring us your Aadhar Card. Sir, that one card, Aadhar Card, is enough for us and for the banks and a bulk of the loans have been given by the Public Sector Banks, I think, about 80-85 per cent. Private Sector Banks have been a little slow, maybe because the amounts involved in the loans are small - Rs.10,000/- for the first loan, Rs.20,000/- for the second loan and Rs.50,000/- for the third loan. But the Aadhar Card, and I may submit this to the House, through you, Sir, is more than sufficient for the banks to understand and that is why, we are also able. Sir, I also have the statistics on how much Public Sector Banks have given. Their contribution is 92.8 per cent; private banks — 1.70 per cent; small finance banks — 0.17 per cent; and, State Cooperative Banks — 1.60 per cent. I can send these statistics; there is no difficulty.

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Raghav Chadha; not present. Shri Samirul Islam.

SHRI SAMIRUL ISLAM: Would the hon. Minister give the data of the percentage of the loans given under this scheme to SC/ST and Minority communities in the last three years State-wise?

MR. CHAIRMAN: Please go ahead, hon. Minister.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I am afraid, I did not get the question.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may repeat.

SHRI SAMIRUL ISLAM: Sir, would the hon. Minister give the data of the percentage of the loans given under this scheme to SC/ST and Minority communities in the last three years State-wise?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I can give the figures. What I can tell you, Sir, is: Overall, the percentage of marginalized sections, the OBCs, is 42 per cent, SCs - 20 per cent, STs — 3 per cent and Other Minorities - 8 per cent. But State-wise, I can get the data. I would be very happy to provide it; but it will need to be collected. But if you want to know how many in the State of Odisha or how many in Andhra

Pradesh, it is something that, I am sure, we can try and get and share with the hon. Member.

DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Sir, the people who want to avail it face certain problems in getting the loans and other benefits under the scheme. My question is: Does the Government do any survey or take feedback from the users of these kinds of facilities?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, there is a presumption and what the hon. Member is saying कि हमारे कई भाई-बहन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या हम उसे मॉनिटर करते हैं? Sir, we monitor the portal on a daily basis. I just mentioned it three days ago when I was answering in the Lok Sabha. Then, their figure was 56 lakhs; today, it is 56.89 lakhs. And, we are running an open house. There is an open portal. If anybody has a difficulty, we are ready to iron it out. But I find it strange to believe that a Member of Parliament is talking about a difficulty being faced by some loan applicant and the loan applicant has not brought it to our attention. I do not think there is any difficulty. If there are, we are ready to iron them out. सर्वेक्षण जो होता है, वह कुछ समय के बाद होता है। हम तो daily इसका analysis करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 79; Dr. Laxmikant Bajpayee.

First ATR-72 Flight from Dr. Bhim Rao Ambedkar Airstrip, Meerut

*79. DR. LAXMIKANT BAJPAYEE: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state :-

- (a) whether any plan is under consideration to fly first ATR -72 from the Dr. Bhim Rao Ambedkar Airport, Meerut; and
- (b) if so, the nature of the plan and by when the flight would be made operational?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Meerut is an unlicensed airport and was identified during 3rd round of bidding under the UDAN scheme for development and to operate RCS flights.

Under UDAN 4.2 round of bidding, the route Meerut-Lucknow-Meerut has been awarded to FlyBig for the operation of RCS flights with 19-seater type of aircraft and frequency of 133 seats per week and not for ATR 72. Only after the airport is ready and licensed, the Selected Airlines Operator can start operating RCS flights from the Meerut airport.

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरठ की एयर स्ट्रिप 2014 में 24.02.2014 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हुई थी। एक अनुबंध हुआ था, जिसमें राज्य सरकार को जमीन देनी थी और एएआई को एयरपोर्ट विकसित करना था। आज की तारीख में वहां पर 2280 मीटर लंबी और 210 मीटर चौड़ी जमीन उपलब्ध है। मेरी इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए से भी बात हुई थी और वे सहमत भी थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यहां से 72 सीटर एटीआर को उड़ाने के बारे में सरकार कुछ कार्रवाई करेगी या सदन को आश्वस्त करेगी?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : महोदय, सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। शुरुआत में मैं सांसद महोदय और सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महत्व नागर विमानन क्षेत्र को दिया गया है, शायद वह इस देश के इतिहास में पहले कभी भी नहीं दिया गया था। जहां 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट्स बने थे, वहीं पिछले नौ वर्षों में 75 एयरपोर्ट्स बनाकर 149 airport, waterdromes, heliports बन चुके हैं। अगर हम वहीं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात करें, तो 65 वर्षों में तीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बने थे। पिछले साढ़े नौ वर्षों में 12 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 65 वर्षों में केवल छह एयरपोर्ट थे, पिछले नौ वर्षों में तीन और बने हैं और अगले दो साल में और नौ एयरपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। हम 6 से 18 तक बनाएंगे।

माननीय सांसद ने मेरठ के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। मेरठ में 45 एकड़ की जमीन केवल उस एयरपोर्ट में थी। हमने एक प्रपोजल रखा था, उड़ान 4.2 में, 19 सीटर एयरक्राफ्ट के लिए मेरठ-लखनऊ-मेरठ का रूट अवार्ड किया गया था, लेकिन उस एयरपोर्ट के रनवे के साथ एक सेफ्टी एरिया होना चाहिए, वह कम से कम 75 मीटर रनवे के दोनों तरफ होना चाहिए। वर्तमान में केवल 40 मीटर है। हमने एटीआर के लिए प्रस्ताव बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा था कि हमें आईएफआर (इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेटेड) के लिए 300 एकड़ की जमीन चाहिए, जहां weather के आधार पर भी फ्लाइट लैंड कर सकती है। हमें 300 एकड़ की जमीन चाहिए और बोइंग और एयरबस के लिए अतिरिक्त 200 एकड़ की जमीन चाहिए। इस सदन के पटल पर मैं आपके द्वारा माननीय सांसद महोदय जी को तहेदिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। वे सतर्कता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ प्रशासन से बैठकर मंत्रालय के पास प्रस्ताव लेकर आए कि हम 115 एकड़ जमीन आपको और देंगे। अगर आप orientation बदलेंगे, तो एटीआर एयरक्राफ्ट मेरठ में इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेटेड नहीं, लेकिन विजुअल फ्लाइट रेटेड,

मतलब आंखों के आधार पर वह संभव हो सकता है। हमने तकनीकी तौर पर पूर्ण कार्य किया और सांसद महोदय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है कि अगर ये 115 एकड़ की जमीन हमें दे देंगे, तो एटीआर एयरक्राफ्ट केवल वीएफआर, आईएफआर नहीं, विज़ुअल फ्लाइट रेटेड के आधार पर हम वहां लैंड कर पाएंगे। सांसद महोदय के साथ मिलकर जब उत्तर प्रदेश सरकार हमें 115 एकड़ जमीन देगी, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। मैंने मेरठ को भी उन्हीं नौ एयरपोर्ट्स में शामिल किया है, जहां हम लोग विमान मार्ग लेकर आएंगे, यह विश्वास में सांसद जी को दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : सेकेंड सप्लीमेंटरी, डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन स्पेसिफिक एक बात पूछना चाहता हूं। आईएफआर उड़ाने के लिए आज हमारे पास जगह है। वह जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कब्जे में है। वीएफआर उड़ाने के लिए जो जमीन चाहिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है।

श्री सभापति : आप अपना सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी : सर, हमारा कहना यह है कि एटीआर 72 उड़ा दीजिए। मैं भी वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार को आवश्यक 300 एकड़ और 200 एकड़ जमीन दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दूंगा। वर्तमान रनवे पर नया रनवे बनाकर...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, मैं आपके द्वारा माननीय सांसद महोदय को दोबारा समझाना चाहता हूं कि हमें अतिरिक्त 115 एकड़ की जमीन की जरूरत है। VFR (Visual Flight Rated) के लिए कम जमीन की जरूरत पड़ती है और Instrument Flight Rated के लिए ज्यादा की जरूरत पड़ती है। हमने यह सोचा कि तुरंत तीव्र गति से हम लोग वहां ATR लाना चाहते हैं, तो हम Visual Flight Rated लेकर आएंगे। उसके लिए 115 एकड़ अतिरिक्त जमीन और चाहिए, जो वर्तमान में हमारे अधीन - एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन नहीं है। इनके सहयोग के साथ जब वह 115 एकड़ जमीन मिलेगी, तब हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे।

MR. CHAIRMAN: The House will meet at 2.00 p.m. today.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise>]

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

*The House reassembled at two of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.*

GOVERNMENT BILLS

@The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023

&

@The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023

&

@Amendment for reference of The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 to a Select Committee of the Rajya Sabha

MR. CHAIRMAN: Now, the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2023 to be discussed together; Shri Amit Shah to move the motions for consideration of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2023.

गृह मंत्री: तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।”

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

“कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।”

MR. CHAIRMAN: Motion moved. There are two amendments by Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan, for reference of the Jammu and Kashmir Reservation

^e Discussed together.

(Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, to a select committee of the Rajya Sabha.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri A.A. Rahim
2. Dr. V. Sivadasan
3. Dr. John Brittas
4. Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya
5. Shri Jose K. Mani
6. Shri Elamaram Kareem

with instructions to report by the last day of the first week of the next (263rd) Session of the Rajya Sabha."

MR. CHAIRMAN: The second amendment is by Dr. V. Sivadasan. He is not present.

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Motion for consideration of the Bills and the amendments to the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2023 are now open for discussion. I call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, Shri Vivek Tankha would start.

MR. CHAIRMAN: You gave the name of Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, she would speak a little later. Now, Shri Vivek Tankha would speak.

MR. CHAIRMAN: That is quite fine. I was going by system as per the input given. Shri Vivek Tankha.

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद चेयरमैन साहब। आपने एक कश्मीरी पंडित को आज इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका indulgence भी चाहूँगा कि मुझे दो-चार मिनट extra दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Nine minutes; no more than that. Go ahead.

श्री विवेक के. तन्खा : सर, मेरी माता जी, जो 91 ईयर्स की हैं और मेरी वाइफ की माता जी, जो 90 ईयर्स की हैं, जो कभी मेरी स्पीचेज नहीं सुनती थीं, वे आज पहली बार टेलिविज़न पर लाइव सुन रही हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट कश्मीर का है, बल्कि यह सब्जेक्ट एक ऐसी जगह का है, जिसको वे जन्मत समझती थीं और समझती हैं और जिसको उन्होंने बहुत क्लोजली देखा था, परखा था। लगभग पूरे विश्व में और पूरे देश में हर कश्मीरी पंडित और displaced persons जो वहां नहीं हैं, इसी तरह कश्मीर को देखते हैं। मैं दो लाइन के साथ अपनी स्पीच को स्टार्ट करूँगा -

*‘संतूर, फेरन, क़हवा, चिनार और शिकारा,
उन लफ़्जों में उभरा है, सदा जहाँ में कश्मीर हमारा।’*

सर, कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। This was our belief, Sir. आज सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, मैं उस पर भी आपसे दो शब्द कहना चाहूँगा। It is in consonance with what we always thought, हमारे ओपिनियन में। जवारहलाल नेहरू ने 1963 में इस पार्लियामेंट में बोला था - It is a temporary provision and it will stay as long as the Constitution mandates. ..(व्यवधान).. आज सुप्रीम कोर्ट ने, while upholding the provision, दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी टिप्पणी की है। कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड दिया जाए - वह स्टेटहुड, जो उनसे नहीं लेना चाहिए। आपने यूनियन टेरेटरी बनाकर उनका स्टेटस कम किया।

महोदय, दूसरी बात यह है कि कश्मीर का चुनाव 2024 से पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैं इसको एक प्रकार से कश्मीर के लोगों की जीत के तौर पर भी देखता हूँ। मैं इसके आगे यह बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस परिवर्तन का सिर्फ इंटरप्रेटेशन देता है। It is this Parliament, जो लोगों का भाग्य और जीवन डिसाइड करती है and it is Parliament's law, जो एक प्रकार से लोगों के भाग्य और जीवन को रूपरेखा देता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आज मैं कुछ कश्मीरी महापुरुषों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ - जैसे पंडित गोपी कृष्ण, पंडित बाल काक तिलक, पंडित हृदय कुंजरू, पंडित श्रीधर जू धर, पंडित काशी नाथ कौल, पंडित निरंजन नाथ डांगरू और पंडित काशीनाथ छताबलि। सर, ये महान महापुरुष हैं।

महोदय, पंडित गोपी कृष्ण को कर्ण सिंह जी ने युगपुरुष बोला था। He was a mystic, a philosopher who wrote books. उन्हें कश्मीर की आत्मा बोला जाता था। उस महान व्यक्ति ने जब सरदार पटेल और नेहरू जी से बात की, तो This is something which is on the text. This was the autumn of 1948. जब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से बात की, तो इन

महापुरुषों, जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जनरल थिमय्या को अपने 10-11 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उनसे बात करने के लिए भेजा गया। That was the time, जब कश्मीरी पंडितों की बहुत पूछ-परख थी, वहाँ उनसे कंसल्ट किया जाता था और आगे की दूरदृष्टि के बारे में पूछा जाता था। उस वक्त उन लोगों का ओपिनियन था कि हमारी फोर्सिज़ को मुजफ्फराबाद भेजा जाए। उस वक्त इस गुप को सरदार पटेल साहब और नेहरू जी ने बोला था कि नहीं, हम अपने थिएटर को और नहीं फैला सकते, हमारी सैन्य कार्रवाई की एक लिमिटेशन है। सर, मैं इसकी डिटेल्स पटल पर रख सकता हूँ, It is well-written and documented. इसी तरह से मुझे फारुख साहब ने एक चिट्ठी दी, मैंने बाद में दुर्गादास कलेक्शन में देखा, जब पटेल साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था, This is 4th June, 1948 कि, the military position is not too good. I am afraid our military resources are strained to the uttermost. How long can we carry on this unfortunate affairs? It is a difficult for us to foresee. उन्होंने बहुत सारी दूसरी बातें भी लिखी थीं कि मैं वी. पी. मेनन साहब को भेज रहा हूँ और हम लोग कश्मीर की पोजिशन इम्पूव करेंगे, कश्मीर में महाराजा और शेख अब्दुल्ला जी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में उस वक्त जो हुआ और कश्मीरी पंडितों की रिक्वेस्ट के बावजूद भी फोर्सिज़ आगे नहीं बढ़ीं, It was actually the collective decision of the Cabinet और मैंने उस कैबिनेट में देखा कि वहाँ नेहरू जी के अलावा पटेल साहब भी थे, अम्बेडकर जी भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उसमें इतने बड़े लोग मौजूद थे, So, what I am trying to say, लोगों ने जो डिस्सिजन लिया, वह उस वक्त का एक कंप्लेशन होगा, पर उसके लिए किसी को सार्वजनिक रूप से ब्लेम करना मैं उचित नहीं समझता हूँ।

महोदय, मैं बिंदु नंबर 2 यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं मुश्किल से 7-8 साल का था, तो अपने पिताजी के साथ कश्मीर जाया करता था। यह 27 मई, 1964 की बात है, that is the day when Pandit Nehru passed away. And, I still remember, जैसे दोपहर में उनकी डेथ की न्यूज़ आई, we were all walking in Kashmir, तब उनकी डेथ की न्यूज़ आई, Sir, within seconds, पूरा कश्मीर बंद हो गया; within seconds, पूरे कश्मीर में मातम छा गया; within seconds, ऐसा लगा कि कश्मीर की आबरू, कश्मीर की आत्मा चली गई। तब हमें realize हुआ कि जो व्यक्ति आज चला गया है, उसकी शख्सियत क्या है! आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी शख्सियत को सलाम करता हूँ। कश्मीर में जो आज हो रहा है और जो आगे होगा, वह समय की एक बात थी, लेकिन उसके लिए किसी को blame करना और किसी ऐसे व्यक्ति को blame करना, जिसको हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं, मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने आज यह बात बोली।

सर, जहाँ तक बिल का सवाल है, मैं बिल के क्लॉज 3 के बारे में बोलना चाहता हूँ, मगर बिल पर बोलने से पहले मैं वाजपेयी जी को वोट करना चाहूँगा। जब नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी के बारे में क्या कहा and this is recorded. I have a copy. उन्होंने कहा, "जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति आशंकाएँ प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया,

अनुयायी रह गए, सूर्य अस्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूँढ़ना है।" Sir, this is the kind of person Nehruji was. What I am trying to say is only this. We must, in our country, learn to respect our past. We must learn to respect our leaders. सर, गलतियाँ collectively, individually सबसे होती होंगी, but to blame somebody after 41 years, I would say, would be something which hurts all of us. I don't want to say anything more than that. As far as this is concerned, I stop here.

Now, as far as the legal points are concerned, आपने eligibility का criteria बनाया। उस eligibility के criteria में आपने क्या किया? आप दो सीट्स लाए for migrants, displaced people. In displaced people, 90 per cent are Kashmiri Pandits.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री विवेक के. तन्खा : सर, अभी तो 3-4 मिनट्स हुए हैं।

MR. CHAIRMAN: You had nine minutes only.

श्री विवेक के. तन्खा : सर, अभी तो 3-4 मिनट्स ही हुए हैं। मुझे बोल लेने दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Your time is over.

श्री विवेक के. तन्खा : सर, मुझे बोलने दीजिए।

MR. CHAIRMAN: All right. You will get it from other Members' time from your Party.

श्री विवेक के. तन्खा: सर, मेरा यह कहना है कि आपने उसमें क्या किया है। आज आप जो अमेंडमेंट लाए, उसमें जो brave-hearts हैं, जो बेचारे कश्मीर में रह रहे हैं, उनको इस nomination का कोई advantage नहीं मिलेगा; जो लोग 1989 के पहले कश्मीर छोड़ कर गए हैं, उनको कोई advantage नहीं मिलेगा। सर, मेरा यह भी कहना है कि जो लोग गए हैं और जिनके लिए हमने यह किया है, यह उनके 'successor in interest' को भी नहीं मिलेगा। मतलब यह एक one generation, one time provision बनाया गया है। PoK के जो लोग आए थे, विस्थापित हुए थे, आपने उनके लिए जो provision बनाया था, उसमें 'successor in interest' के लिए provision किया, मगर कश्मीरी पंडित के लिए provision नहीं किया। मुझे सबसे बड़ा दुख है कि जो 5-10 हजार लोग वहाँ रहते हैं, जिन्होंने सब कुछ झेला, आज भी जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, हम उनका डर देखते हैं, समझते हैं, उनको इस provision का advantage नहीं मिल रहा है। यह एक बहुत दुख की बात है। Specially, वह एक बहुत ही बड़ा section of population है, जिसने कश्मीर में इतना सब होने के बाद भी कश्मीर को नहीं छोड़ा।

दूसरी बात मैं यह बोलना चाहूँगा कि कश्मीर से जो लोग निकले थे, ऑफिशियली उनकी जो संख्या बताई जाती है, वह कम बताई जाती है। मैं टीवी पर बीजेपी के spokesperson को सुन रहा था, वे कह रहे थे कि करीब 5 लाख व्यक्ति उस वक्त कश्मीर छोड़ कर गए थे। आप कहते हैं कि 40 हजार फेमिलीज़, हम लोग कहते हैं कि 60 हजार फेमिलीज़, but, really speaking, it was about 4-5 lakh people and they were not only Kashmiri Pandits, there were other people also. उनमें अलग-अलग कैटेगरी के लोग थे, वे अलग-अलग समय पर गए। कुछ शुरू में गए, कुछ बीच में गए, कुछ बाद में गए, but the fact is that Kashmir's tragedy was immense. सर, आज तक उस जेनोसाइड का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई Commission of Inquiry नहीं बैठी। कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। आज कश्मीरियों को यह दुख है कि हमारे साथ इस कंट्री में इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ, मगर आज तक कोई Commission of Inquiry नहीं बैठा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। कुछ केसेज़ में हुआ भी, तो वह थोड़े-बहुत केसेज़ में हुआ। तो मेरा यह भी कहना है कि एक कमीशन भी बैठना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... Kashmiri Pandits का विषय है। ...**(व्यवधान)**... मैं Kashmiri Pandits की बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... साहब, आपके डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होता है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: One Second.

श्री अमित शाह : मान्यवर, इस विषय पर उनको 5 मिनट ज्यादा समय दीजिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी enquiry माँग रही है। ...**(व्यवधान)**...

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल) : सर, ...**(व्यवधान)**... जो उन्होंने अभी-अभी समझाया है।

श्री विवेक के. तन्खा: मैंने क्या कुछ नहीं समझाया है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Okay. Mr. Tankha, please.

श्री विवेक के. तन्खा: सर, मेरा यह कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ यह जो हुआ - चूँकि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, इसलिए मैं कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठा रहा हूँ। हम लोगों को दुख है। हम सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं गए, कई बार सुप्रीम कोर्ट गए। We wanted an investigation, we wanted a Commission of Inquiry. आज तक हमको न तो Commission of Inquiry दिया गया, न हमारे साथ कुछ किया गया। यह दुख आज हर कश्मीरी पंडित के जेहन में है, चाहे वह देश में ही रहता है या देश के बाहर रहता है।

सर, इसके अलावा मैं यह बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को कभी-कभी ऐसा एहसास होता है कि होम मिनिस्टर साहब हम लोगों से, कश्मीरी पंडितों से नाराज़ हैं। कश्मीरी पंडितों में ऐसा एक impression है। हम लोगों ने जब भी मिलने का मौका माँगा, कई दफे मौका माँगा, तो शायद वे हम लोगों से नहीं मिलते हैं, ऐसा impression है। मैं तो चाहूँगा कि किसी दिन वे कश्मीरी

पंडितों के डेलीगेशन से मिलें। जब वे उनकी आपबीती सुनेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग एक पीड़ित सेक्शन हैं। We are the only people in the world who are displaced in their own country. जो लोग वहाँ जाते भी हैं, तो temporarily जाते हैं, ज्यादा दिन के लिए नहीं जा पाते, वे डरते हैं, वहाँ पर कोई सेटल नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं करता है। तो आप जिस काम की बात कर रहे हैं, that is very uneasy kaam. It is not a kaam, जिसको हम actual peace कह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा कि this is a chance where the community and the country implores कि आप हम लोगों से बात करें, हम लोगों की कठिनाइयाँ सुनें और हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें।

इसके बाद मैं short में बोलना चाहूँगा कि वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ employment की समस्या है, वहाँ लोगों को local contracts नहीं मिलते, उसकी समस्या है। सर, मैं इन सब चीजों के detail में नहीं जा रहा हूँ। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जो employees हैं, उन बेचारों को यह नहीं पता है कि वह स्टेट नहीं है, Union Territory है, क्योंकि उनको benefits नहीं मिलते। आज उनको UT cadre में जो medical facilities वगैरह मिल सकती हैं, वे नहीं मिलतीं, क्योंकि they are not UT cadre, per se. वह UT बन चुका है, लेकिन वहाँ UT cadre नहीं है। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। आपने investment promise किये। वहाँ बिजली की बहुत कमी है। इसके लिए गवर्नर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर महँगी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। तो कश्मीर में बहुत पीड़ा है, कश्मीर में बहुत दुख है।

सर, मैं आपसे इतनी ही गुज़ारिश करूँगा कि कश्मीर के दुख के बारे में और गहराई से सोचिए। कश्मीर देश का था, है और रहेगा तथा कश्मीरी पंडित सरकार के साथ always खड़े थे, खड़े रहेंगे। थैंक यू, जय हिन्द!

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक रखा गया है, मैं इसका समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तन्खा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का genocide हुआ था, नरसंहार हुआ था। परन्तु यह कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि कभी एक दौर था, जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे, तो red carpet welcome के साथ आते थे, जलवा-ए-जलाल से दिल्ली की सरज़मीं पर जलवा अफरोज़ होते थे। सभापति महोदय, आज भी वे आते हैं, मगर ED के summons पर आते हैं, NIA की पेशी में आते हैं, उस सरकार के और हमारी सरकार के दौर में यह अन्तर आया है।

महोदय, अगर मैं कहूँ, तो स्वतंत्रता के बाद से जम्मू-कश्मीर के सामने एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, most ancient living civilisation है। उत्तर से दक्षिण तक हमारे सारे राज्यों के नाम बदल गए, लेकिन एक ही राज्य ऐसा है, जिसका प्राचीन काल में जो नाम था, यदि नीलमत पुराण में उसका नाम 'कश्मीर' था तो आज भी 'कश्मीर' ही है। परन्तु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वह समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा। उस ट्रेंज़िएंट एंड टेम्पररी फेज़ के लिए - "आह को चाहिए इक उम्र असर होते तक" - तीन पीढ़ियाँ

गुजर गई। जब हमारे गृह मंत्री, अमित शाह जी और प्रधान मंत्री, श्री मोदी जी ने वह हिम्मत दिखाई, तब जाकर अगस्त, 2019 में उससे मुक्ति मिली।

कश्मीर के पास तीन प्रकार की समस्याएं रही थीं, जिन्हें हम श्री डी कह सकते हैं - डिलिमिटेशन, डोमिसाइल, डेवलपमेंट। हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया। जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित न्यायपूर्ण, न्यायसंगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्यायसंगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 के विधेयक के द्वारा जम्मू-कश्मीर विधान सभा में 83 सीटें थीं, उन्हें बढ़ाकर 90 किया गया, जिनमें से छः शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए आरक्षित थीं, परंतु शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नहीं थीं। इसमें पहली बार नौ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें होती थीं, अब 43 होंगी और कश्मीर में इससे पहले 46 सीटें थीं और अब 47 होंगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की सीट्स यथावत रहेंगी। पहले दो नामित सदस्य थे, अब पाँच होंगे, जिनमें एक महिला होंगी और एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अब हम व्यवस्था को न्यायसंगत और युक्तिपूर्ण प्रतिनिधित्व की तरफ ले जा रहे हैं।

सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने आरक्षण का जो विषय रखा है, जब हम यह बात करते हैं, तब हमारे हृदय में एक अलग वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि अब जाकर पहली बार, 2019 के बाद वाल्मीकि समाज को अपना वह समुचित स्थान मिला है। दुख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी, जहाँ जन्म से यह तय था कि जिस व्यक्ति ने जो व्यवसाय किया है, यदि वे सफाई कर्मचारी थे, तो उनके बेटा-बेटी भी सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, चाहे वे पीएचडी ही क्यों न कर लें। सोचिए, स्वतंत्र भारत में ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलती रही और उससे मुक्ति मार्ग अब जाकर प्रशस्त हुआ है। एक वे थे, जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ यह किया, एक हमारी सरकार है कि जब भव्य श्रीराम मंदिर बन रहा है, तो उस परिसर में महर्षि वाल्मीकि का भी एक मंदिर बन रहा है। हमारी सोच और उनकी सोच में यह अंतर है। जम्मू-कश्मीर आज विकास की नई ऊँचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज आतंकवाद की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है। नौ साल पहले जो सिविलियन कैजुअलटीज़ थीं, उनमें 72 प्रतिशत की कमी आई है। आज सुरक्षाबलों में 60 प्रतिशत की कमी आई है। 2010 में पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थीं, वे 2,654 थीं और आज 2023 में कोई भी घटना नहीं हुई है। 2010 में पत्थरबाजी की घटनाओं में 112 नागरिक मारे गए थे, 2023 में कोई भी नहीं मारा गया है। 2010 में 6,235 सिक्योरिटी पर्सनल्स इंजर्ड हुए थे, 2023 एक भी नहीं हुआ है। 2010 में 132 ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स हुई थीं, 2023 में कोई भी नहीं हुई है। 2010 में सीज़फायर वायलेशन की 70 घटनाएं हुई थीं, 2023 में दो हुई हैं। इस प्रकार से, हम यह कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर सकारात्मक दिशा में एक भारी बदलाव दिखाई पड़ रहा है। विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता जा रहा है कि कश्मीर का जो जीएसडीपी था, वह एक लाख करोड़ रुपये था और धारा 370 के हटने के बाद पाँच साल में बढ़कर वह 2,27,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिकूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की हैं, जिनमें अब तक 29,813 लोग रिकूट किए जा चुके हैं और एडिशनली 5,523 वैकेन्सीज़ क्रिएट की गई हैं। जम्मू-कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए

हैं, वे 66,000 करोड़ रुपए के हैं। इसके द्वारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उससे 2.9 लाख तक के व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में दो मेडि-सिटीज क्रिएट की जा रही हैं। इस ढंग से स्थानीय चीजों को बढ़ावा दिया रहा है कि ओखू गाँव अब पेंसिल वाले गाँव के रूप में पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है। इसके साथ-साथ, 'हिमायत स्कीम' जैसी योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने GI टैगिंग भी की है। सैफरन, यानी केसर, जिसके लिए कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है, उसकी और बासमती राइस की जीआई टैगिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक मान्यता प्राप्त हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी स्थापना की गई है, जिसके द्वारा अनेक प्रोजेक्ट्स बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अगर हम कल्चरल एसपैक्ट देखें, तो शारदा देवी टेम्पल में 75 साल के बाद पहली बार दिवाली मनाई गई है। कश्मीरी पंडितों का प्रसिद्ध त्योहार, नवरेह इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। हमारी गवर्नमेंट आने से पहले वहाँ कुल 14 लाख टूरिस्ट्स आते थे, जबकि 2022-23 में दो करोड़ पर्यटक आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कितना बल मिला है।

मैं आगे एक और बात कहना चाहता हूँ कि 30 साल के बाद पहली बार 27 जुलाई को शियाओं के मोहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे अक्रीदत के साथ चला। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। वहाँ भी मैंने बचपन में हिंदू-मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया-सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे। इनकी सरकार के समय में शियाओं का जुलूस, माहे शाबान का जुलूस रोक दिया गया था, वह 22 साल तक रुका रहा। जब हमारी सरकार आई, उसके बाद वहाँ पर शियाओं का मदेह साहना का जुलूस निकलने की स्थिति आई। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू-मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, यह शिया-सुन्नी के बीच में जो संघर्ष होता था, वह भी शांतिपूर्वक समाधान की ओर हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार सभी समुदायों को समान रूप से उन्नति का अवसर देती है। वहाँ 30 साल के बाद सिनेमा हॉल्स खुले। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यह बहुत बताया जाता है कि जम्मू-कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत 30 वर्षों से सूफिज्म के चार बड़े सिलसिले - नकशबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, इनमें से एक का भी कोई मरकज़ बचा हो तो बता दीजिए। बहुत से लोग विवादित ढांचा गिरने की बात करते हैं, मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में चरार-ए-शरीफ की मजार थी, जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जलाकर ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया, उसके बारे में कोई नहीं बोलता, सेकुलरिज्म के सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद, हजरत बल पर नवंबर, 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, वह भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है, तब ये समस्याएं नजर आती हैं।

सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एप्रूव किए हैं। उसने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, लद्दाख में सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज भी बनाया गया है और इसके अलावा आईआईटीज, आईआईएम्स और दो एम्स बनाए गए हैं। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' में पहले

158 किलोमीटर की सड़कें बनती थीं, अब 8,068 किलोमीटर की सड़कें बनी हुई हैं। इसी के साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार के शासनकाल में आने के बाद मॉर्टेलिटी रेट, जो पहले 22 पर था, वह अब 14.3 पर आ गया है। 2019 से पहले केवल 47 जन औषधि केंद्र थे, जो अब 227 हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जो 1,315 मीटर का है, वह आज चिनाब नदी के तट के ऊपर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि कश्मीर किस नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बचपन में, जिस जमाने में कश्मीर में आतंकवाद फैला था तो हम लोग कहते थे, झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम वितस्ता और चिनाब का अक्सिनी है, तो हम यह कहते थे:

*"बो दिए विष बीज किसने अब वितस्ता ने पुकारा,
क्यों झुलसता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा।"*

आज मोदी जी की सरकार आने के बाद हम कह सकते हैं:

*"पर आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अक्सिनी पर हमारा,
ज्यों उभरता जा रहा, ज्यों निखरता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा।"*

अब मैं एक और भी बात यह कहना चाहता हूँ कि 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। जी20 जिस शानदार तरीके से हुआ, वह हम सबने देखा। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह विषय इतना आसान नहीं था, जितना समझा जाता है। जिस समय आतंकवाद शुरू हुआ था, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या उस समय हुई जब श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी। वह तो लोगों को याद होगा! मुझे याद है, मान्यवर। बहुत से लोगों को नहीं याद होगा। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल कहां हुआ था? वह 13 अक्टूबर, 1983 को श्रीनगर में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था। वहां पर भारतीय टीम के खिलाफ नारे लगाए गए थे। चलिए, वह तो अलग बात है, लेकिन 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे भी लगाये गये थे। भारतीय टीम के लोगों के ऊपर चीजें फेंकी गईं, पिच खोद दी गई। उस समय तो जिन्हें विपक्ष सर्वकालीन शक्तिशाली प्रधान मंत्री मानता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था, परंतु उसके बाद ऐसा दौर भी आया कि वे सब लोग आरोप से छूट गए।

कल जब माननीय गृह मंत्री जी ने लोक सभा में कुछ गलतियों के बारे में कहा था, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि अगर गलतियां हैं तो इस बारे में चर्चा कर ली जाए, तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि अगर गलतियों की बात होगी तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं, जिन्हें आज विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ दो-तीन तथ्य लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था, तो नेहरू जी ने केवल कश्मीर अपने पास क्यों रखा था? नंबर दो, वर्ष 1946 में महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध विद्रोह के आरोप में जब शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे, तब पंडित नेहरू स्वयं उनको छोड़ने के लिए कश्मीर गए और वे भी गिरफ्तार हो गए। यह बात मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब

'India Wins Freedom' में लिखी है कि इससे तत्कालीन कांग्रेस नेता बुरी तरह से हतप्रभ हो गए और इस परिस्थिति में, जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उसे कबाइली आक्रमण क्यों कहा गया, सेना का आक्रमण क्यों नहीं कहा गया? इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय कश्मीर का संघर्ष हुआ, उस समय तो माउंट बेटन 30 जून, 1948 तक गवर्नर जनरल थे। भारत का सेना का अध्यक्ष जनवरी, 1949 तक जनरल रॉय बुचर था और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष, जनवरी 1951 तक अंग्रेज था, तो यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या आवश्यकता थी? गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि माउंट बेटन को एक साल तक इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले resolve करने थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या मेहमाननवाजी के लिए रखा गया था? जब दोनों तरफ के सेनाध्यक्ष भी अंग्रेज थे, तब यूनाइटेड नेशंस क्यों गए? इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह गलती नहीं, बल्कि भयंकर गलती थी, जिसका खामियाजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, Correspondence of Sardar Patel से बहुत स्पष्ट है कि वहां लिखा जा रहा था कि residual powers will be vested in the interim Government of Jammu and Kashmir, जिसको सरदार पटेल की insistence के ऊपर Union Government कर दिया गया। अगर residual powers उनके पास vested होतीं, तो आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। Correspondence of Sardar Patel, 1945-50 के खंड एक में उनके सेक्रेटरी वी. शंकर ने इस बात को लिखा है।

अब मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रथम लोक सभा में कश्मीरी पुनर्वास के कैबिनेट मंत्री अजीत प्रसाद जैन जी ने अपनी किताब 'Kashmir: What Really Happened' में लिखा है कि the draft was approved by Sheikh and his colleagues and then passed by the Congress party. यह मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे। अंत में मैं एक और व्यक्ति को उद्धृत करना चाहता हूं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जो कि उस समय कश्मीर रियासत के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने आकर कहा कि 24 अक्टूबर, 1947 को वे पत्र लेकर आ गए थे, परंतु उसके बावजूद दो दिन तक मामला सिर्फ इसलिए अटका रहा - यह मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस महाजन ने अपनी किताब 'Looking Back' में लिखा है क्योंकि नेहरू जी की यह शर्त थी कि नई सत्ता में पहले शेख अब्दुल्ला का स्थान तय हो जाए, इसके उपरांत ही कश्मीर के विलय का प्रस्ताव होगा। वे सारी बातें आपको पता होंगी, जब उस समय उन्होंने कहा था कि हम कराची चले जाएंगे, यदि वहां हिन्दुओं की रक्षा की गारंटी, श्रीनगर में फंसे हुए लोगों की सुरक्षा गारंटी मिल जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गलतियों के लिए एक दिन नहीं, बल्कि एक सत्र भी कमज़ोर पड़ जाएगा। आज अगर आप अंतर देखें, तो एक उधर का कश्मीर है और एक इधर का कश्मीर है। एक इधर का कश्मीर है, जहां टेक्नोलॉजी में, कल्चर में उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, जी20 किया जा रहा है, यहां हमारा सबसे ऊंचा पुल है, और एक उधर का कश्मीर है, जहां बड़े-बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ उधर के कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन 75 वर्षों के बाद जो कुछ भी बदलाव आया है, वह इस सीमा तक आया है, इसके बारे में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, उसकी वजह से आज यह बदलाव

आया। मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि:

*'दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए
मोदी जी की हिम्मत से, कई दाग पुराने भी गए।'*

सर, मैं एक पंक्ति और कहना चाहता हूँ। इसके लिए जिस दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी, वह हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रधान मंत्री जी ने दिखाई। मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर उसका समर्थन कीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और इस समय वहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। इसलिए मैं यह पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ:

*"न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं।
जिन्हें लक्ष्य से कम, अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े हैं।
अगर बन सको तो, पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी।
न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी।"*

धन्यवाद।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I thank you very much for giving me a chance to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023. Kashmir is a cradle of dreams. It is the sanctuary of hopes for 13.6 million Kashmiris. Kashmir is the jewel in the crown of India. The Government has made a habit of bulldozing legislations. Of every ten legislation, 3.5 are Ordinances. But I hope that this House deliberates on Kashmir. Let our deliberations be more than just *jumlas* and election gimmicks. Let them be the resounding voice that calls for justice and the recognition of the Kashmiri people's right to adult franchise and to be governed by their elected representatives.

Sir, what Jammu and Kashmir and the Union of India had -- I stress 'had' -- was a special understanding of the unique historical and cultural identity of the people of Kashmir and a deep sense of constitutional respect. What is the Government's rationale behind the Lt. Governor nominating Members to the State Assembly? This indicates that the Government has no intention to conduct elections. The nomination of these members ideally falls within the purview of the elected State Legislative Assembly. This contradicts the Supreme Court's verdict on the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. The verdict dated 11th December, 2023, today, specifies that elections to the Legislative Assembly cannot wait for the restoration of statehood.

Sir, this Bill reflects the Government's profound disregard for the Constitution, parliamentary democracy and the people of Jammu and Kashmir. While the Bill was being discussed in Lok Sabha, there were mentions of the Flag being hoisted and

movies being screened in Kashmir. Years ago, in the very same House, Shrimati Sushma Swaraj had said that ordinary men are not affected by fancy things. The ordinary people of Kashmir are affected by ordinary things. In the freezing winters of December, ordinary rural wage workers in Kashmir are affected by the unemployment rate being over 21 per cent, one of the highest in the country.

In the freezing winters of December, ordinary families in Kashmir are affected by the twelve to sixteen hour long power cuts. Sir, please remember that this is the longest the State has seen in two decades.

In the freezing winters of December, 66 per cent ordinary villages in Kashmir are affected...

MR. CHAIRMAN: One minute, hon. Member. Hon. Minister.

श्री अमित शाह: महोदय, शायद माननीय सदस्य का पेज बदल गया है, क्योंकि वे 1990 के दशक का ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, वे आज के समय का नहीं पढ़ रहे हैं। माननीय सदस्य ने 15 घंटे के पावर कट की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 घंटे का पावर कट कहां हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? आप तथ्य के साथ बोलिए। शायद आपको मालूम नहीं है कि गत साल पहला विंटर था कि जम्मू-कश्मीर में पूरे विंटर में सिर्फ तीन घंटे का पावर कट हुआ।

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): There is ample opportunity for the Minister to say all this in his reply. I would request the Minister to be gracious to listen to all this and reply to all these rather than interrupt the hon. Member.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं कब से धैर्य से ही सुन रहा था, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। मैं इतना धैर्यवान नहीं हूँ कि असत्य पर असत्य सुनता रहूँ।

MR. CHAIRMAN: Now the hon. Member.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: सर, हम लोग हर वक्त उनको सुनते हैं।

MR. CHAIRMAN: Go ahead.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, in the freezing winters of December, ordinary families in Kashmir are affected by twelve to sixteen hour long power cuts; I repeat. Please remember that this is the longest the State has seen in two decades. In the freezing winters of December, 66 per cent ordinary villages in Kashmir are affected by not having access to functional household tap water connections. In the

freezing winters of December, as we sit in the comfort of these chambers in New Delhi, let us not forget the biting cold that seeps into the bones of those in Kashmir, grappling with the basic necessity of employment, electricity or clean water.

When the Government speaks about representation and expression of people's mandate, it reeks of double standards. I ask this Government, whom does it aim to serve by crushing academic and political dissent? Why did India rank 161st out of 180 countries in the Press Freedom Index? Why do studies show that in more than 198 serious attacks on reporters between 2014 to 2019, forty journalists were killed? What a shame! Sir, the Government wants States to follow the Centre. But, how can we expect State Legislatures to be accountable when the legislature of the Union, that is, the Parliament sends only one out of every ten Bills for scrutiny? How can we expect State Governments to function effectively when the Union Government refuses to release funds that rightfully belong to them? Since December, 2021, the Government at the Centre has blocked more than Rs.18,000 crores for West Bengal under MGNREGA, Awas Yojana, Gramin Sadak Yojana and National Social Assistance Programme. Despite continuous protests, letters and appeals from my party's leaders, Members and wage workers, there has been nothing but silence. Instead of cooperative federalism, our efforts have been met with a deafening lack of response. This is not '*sabka saath, sabka vikaas*'. This is '*kuchh logon ka saath, kuch logon ka vikaas*'. The Government's politics are based on exclusion. But, it will not work in West Bengal because the children of West Bengal sing with their heads held high... ..(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, confine to the subject.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Okay, Sir.

MR. CHAIRMAN: You have gone too far.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Okay, Sir. I accept your ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You have just two minutes left. Please come back to the subject.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, the Government is boasting that everything is ideal in Jammu and Kashmir since 2019. I would like to remind the House once again that it is not just about tourism. Allow me to share four points. The solid waste management under Swachh Bharat Mission, more than sixty per cent

villages do not have it in Kashmir. Under Ayushman Bharat, 7,000 ineligible beneficiaries and three lakh incorrect household IDs have been found. Under Ujjwala Yojana, there is below average consumption. Yet, the Government boasts of normalcy. How can the Government boast normalcy when the people of Kashmir are engulfed in the chilling embrace of unrest and uncertainty? I only say that this is not about politics of mere tokenism any more. This is about the fate of 13.6 million Kashmiris whose destinies are determined by everyone but themselves.

"नक्श है हर जुल्म जिस का वादी-ए-कश्मीर पर
उसने दहशत-गर्द लिखा अमन की तस्वीर पर
काहिली की लग गई दीमक हर इक तदबीर पर
इक्तिफ़ा करके रह गया हर कश्मीरी तक्रदीर पर"।

† پر کشمیر وادی کا جس ظلم پر بے نقش
پر تصویر کی امن لکھا گرد دہشت نے اس
پر تدبیر ایک ہر دیمک گئی لگ کی کابلی
پر تقدیر کشمیری ہر گیا رہ کر کے اکتفا

MR. CHAIRMAN: Now, Shri M. Mohamed Abdulla; you have six minutes to speak.

श्री पीयूष गोयल : सर, पानी का कनेक्शन 2019 से पहले तक, 370 और रिस्ट्रिक्शन तक चार परसेंट घरों में था, आज 70 परसेंट घरों में नल से जल है, जो दो साल में शत प्रतिशत हो जाएगा। 'उज्ज्वला' स्कीम का फायदा शत प्रतिशत घरों में है। आप जो भी आंकड़े देखें ...**(व्यवधान)**... उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि टूरिज़्म का कोई मतलब ही नहीं है। कश्मीर में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जब दो करोड़ से अधिक टूरिस्ट्स वहां जाते हैं और ये कह रहे हैं कि टूरिज़्म का कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट इस उच्च सदन में होने से हमारे कश्मीरी भाई-बहनों को क्या मैसेज जाएगा? कृपा करके आप इसे देखिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you all are aware. I had indicated several times and enforced it that this House is not a platform to drop information. We can't be loose cannons. Anyone who makes a factual assertion is under obligation to authenticate it. Now, since an exception has been taken by the hon. Minister to the figures imparted by the hon. Member, I call upon the hon. Member to authenticate the figures he has imparted during his address. Now, Shri M. Mohamed Abdulla, please speak.

† Transliteration in Urdu Script.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I want to start with my time set afresh.

MR. CHAIRMAN: I will take care of it.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, I rise to oppose the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023. Let me begin my speech with a message about my late father, Shri K. Mohamed Ismail. He promised a charitable trust that he would undertake the payment of their electricity bill. After my father's demise, I undertook the noble cause of paying this bill for the last six years. Though I have no obligation to do that, I am paying even now. I am doing this as a son who belongs to this great culture of our country to keep the promise of our elders. Sir, I was born into a Muslim family and I follow the culture and practice of this land. Some cultures, faith, practices of this land were followed by the people who were born here irrespective of their religion, caste, creed and colour. But this Union Government never follows these culture and *dharmas* but loudly proclaims that they are the saviours of this land's culture and diversity. Sir, this is the right time to reflect and introspect on the promise made by our forefathers collectively to the Maharaja Hari Singh; the last ruler of Jammu and Kashmir. You made a big statue of our forefather; Sardar Vallabhbhai Patel and you have voluntarily forgotten the promise made by the Sardar Vallabhbhai Patel to Maharaja Hari Singh and people of Kashmir. Sir, according to the culture and *dharma* of this country, following Sardar Vallabhbhai Patel's promise is more important than making his statue. My opposition to this Bill stems from its fundamental flaws each of which possess a significant threat to the future of Kashmir and its people. The most important egregious aspect of the Bill is, it's blatant discreet for the principle of representation, a cornerstone of any democratic system. By empowering the Lieutenant Governor to nominate Members to the Legislative Assembly, the Bill effectively strips the people of Jammu and Kashmir of their fundamental rights to choose their representatives. In the history of India, no State has been downgraded into a Union Territory especially without the consent of the people or their elected representatives. The proposed increase in the Assembly seats slowly to accommodate reservation for SCs and STs appears to be a positive step on the surface. However, it fails to address the underlying structural inequalities and systematic discrimination faced by the communities. Sir, the Bill's selective approach in addressing the issue of displacement, by proposing the nomination of Kashmiri migrants, raises serious concern about the exclusion of other communities who have suffered similar hardships. This singling out of one particular group further deepens

existing division and creates an environment of resentment and suspicion among different communities. Sir, true progress lies in acknowledging the suffering of all displaced communities and actively working towards providing them with justice and sense of belonging. The great Dravidian stalwart Kalaignar Anna once said, India is a vast diverse country. *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, he is nullifying the judgement of Supreme Court. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, why are they interfering? I am about to close my speech. ...*(Interruptions)*...When I am expressing myself, why is he intervening? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member needs to be alive to the fact that in a historic judgement today, the hon. Supreme Court sustained what the Parliament has done. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, I got the judgement but what I said is totally different from the judgement. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Therefore, to speak against the judgment, which is the law of the land, is not appropriate. ..*(Interruptions)*.. Your assertion was hundred per cent to the contrary.

DR. JITENDRA SINGH: Sir, it may be expunged.

MR. CHAIRMAN: Since an objection has been raised by the hon. Minister and all of us must keep in mind that when judiciary has taken a view on a particular issue comprehensively, decisively, we need to abide by that. ..*(Interruptions)*..

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, I have not gone into the judgment. ..(*Interruptions*).. I have not gone into the judgment. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ..(*Interruptions*).. One at a time. ..(*Interruptions*).. Yes, Mr. Venugopal. ..(*Interruptions*)..

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Hon. Member is speaking. Everybody has a freedom to speak. Of course, the Supreme Court has given a judgment. We have been telling our point of view. His party has a different point of view. He is telling like that. But the Member has freedom to speak about that. ..(*Interruptions*).. There is a right to criticise the judgement also. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Take your seat.

SHRI K.C. VENUGOPAL: He has every right to criticise the judgment also. ..(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have indicated..(*Interruptions*).. Take your seats. ..(*Interruptions*).. I have indicated on several occasions that your freedom of speech in this House is not unqualified. It does not give you licence to say whatever you feel. You have to be highly accountable. ..(*Interruptions*).. You cannot set your eyes to the law of the land like this. How can anyone talk against the judgment which has been rendered? ..(*Interruptions*).. Take your seats. ..(*Interruptions*).. Nothing will go on record. ..(*Interruptions*).. This is improper. ..(*Interruptions*).. No, this is improper. ..(*Interruptions*).. The highest court of the land has given a judgment. The hon. Member is talking about it. ..(*Interruptions*).. We cannot ridicule the judgment like this. ..(*Interruptions*)..

SHRI K.C. VENUGOPAL: *

SHRI JAIRAM RAMESH: *

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: This is the highest forum. ..(*Interruptions*)..

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please take your seat. ..(*Interruptions*).. Take your seat. ..(*Interruptions*).. I can understand your agitation. ..(*Interruptions*).. I can understand. ..(*Interruptions*).. But we cannot change the judgment given by the Supreme Court. Go ahead. ..(*Interruptions*).. Hon. Member first. ..(*Interruptions*).. I will give time. ..(*Interruptions*).. Hon. Member, please conclude.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: This is the highest forum to express our feelings. ..(*Interruptions*).. This is the place where we express our views. ..(*Interruptions*).. Anyhow, Sir. The father of the Dravidian Movement, Thanthai Periyar, once said, # ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh, please take your seat. ..(*Interruptions*).. Have I given you permission? ..(*Interruptions*).. I know what I have done. ..(*Interruptions*).. I am conscious of it. ..Please take your seat. ..(*Interruptions*).. You are determined to create disorder in the House. ..(*Interruptions*).. Is that your style? Why are you creating disorder in the House? ..(*Interruptions*).. Please take your seat. Hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, the father of Dravidian Movement, Thanthai Periyar once said, # Moving beyond this Bill, I propose the following concrete steps to address the situation in Kashmir, Sir.

MR. CHAIRMAN: Can the House subscribe to this? ..(*Interruptions*)..

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Establish an independent ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Can you observe silence on this? Can we believe in the Constitution with such kinds of observation? These will be deleted. Your observations are expunged. ..(*Interruptions*).. Hon. Member, you are abusing the platform. ..(*Interruptions*).. You are not aware what you are saying. ..(*Interruptions*).. You have gone too far. ..(*Interruptions*).. You have gone too far. I expunge your observations. ..(*Interruptions*).. You indicate a racial discrimination. ..(*Interruptions*)..

Expunged as ordered by the Chair.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: No, no.

MR. CHAIRMAN: Then what are you saying? ..(*Interruptions*).. Sorry, it is expunged. ..(*Interruptions*).. Please conclude. ..(*Interruptions*).. How can it be there? ..(*Interruptions*).. I am so sorry. ..(*Interruptions*).. You are in the wrong. ..(*Interruptions*).. Why are you keeping silence on certain issues? ..(*Interruptions*).. You have forfeited your right to hold the floor. ..(*Interruptions*).. Please take your seat. ..(*Interruptions*).. Your time is also over. ..(*Interruptions*).. Digvijayaji, his time is over. ..(*Interruptions*).

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, it is wrongly understood by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sanjeev Arora. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I appeal to you, what has been brought into this House, that should not be entertained. It should be expunged.

MR. CHAIRMAN: I will expunge it. I take a very strong exception to this.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: And, if it comes to it, I would like to ask the Congress Party members who are in alliance with them. If they go along with that, how could the House be hearing that? How could this House be hearing this? The Members from Congress should stand up and say. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Those observations are expunged. ...(*Interruptions*)... Please, take your seat. ...(*Interruptions*)... All of you take your seats. Please, take your seats. ...(*Interruptions*)... Take your seats. Please, Mr. Arora. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, one second. ...(*Interruptions*)... Please, observe silence. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, it was not a good spectacle. It is so serious. In this House, the House of Elders, the Upper House, can we countenance someone talking of such kind of language, determination on the basis of race? That goes against the very essence of the Constitution. We all have taken oath on the Constitution. How can we countenance such kind of a misdemeanor by a Member? This is not freedom of speech. This goes much beyond that. Every word the Member has spoken cannot be accepted. It cannot be countenanced by anyone who believes in the nation, who believes in our Constitution.

I am expunging those parts. Mr. Arora, please go ahead. Mr. Arora, do you want to take floor? Keep calm. Keep calm, you are a senior Member. You know what has been spoken. How it pains our heart? ...*(Interruptions)*... Please, let him continue. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora, take your seat. Hon. Leader of the Opposition will speak. LoP, before you speak, I make a fervent appeal to you. We have freedom of speech here. That freedom comes with great responsibility. That message goes to the entire world. We have a Member who talks of that principle. Please go ahead.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : यह कैसे मालूम हुआ कि मैं वही बात कर रहा हूँ!

श्री सभापति : आप बोलिए। कम से कम आपने स्माइल तो किया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैं स्माइल करता हूँ, लेकिन मुझे उतना नहीं आता, जितना आप करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, जब एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात रखने की कोशिश करता है, स्टडी करके लाता है, अपने व्यूज को आपके सामने रखता है। अगर वह ठीक नहीं है, कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपके बिज़नेस रूल्स के तहत, तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उधर के लोग उठें, गड़बड़ करें, तो आप कहते हैं कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह मैं नहीं मानता। उधर का मेम्बर जो कहता है, आप उसको कहने दीजिए और रिवर्ट करने के लिए तो चाणक्य हैं न! रिवर्ट करने के लिए यहाँ होम मिनिस्टर बैठे हैं। वे हर चीज का रिप्लाइ देने में समर्थ हैं। दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। ...**(व्यवधान)**... और आप कितनी भी कोशिश करें, कोई मिनिस्टर बनने वाला नहीं, जब तक शाह और मोदी साहब नहीं बोलेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल: सर, डीएमके के माननीय सदस्य ने जो बात कही, डीएमके के माननीय सदस्य इनके साथ एलायंस में हैं, दोनों की गठबंधन सरकार है। घमंडिया गठबंधन के बारे में सब लोग जानते हैं। ...**(व्यवधान)**... ये इतना स्पष्ट कर दें, ...**(व्यवधान)**... ये इतना स्पष्ट कर दें कि ये कहते हैं कि सबको अधिकार है, तो डीएमके के माननीय सदस्य ने जो कहा, ये उससे सहमत हैं या नहीं हैं? ...**(व्यवधान)**... हम इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि वह सहमत है कि नहीं है। ...**(व्यवधान)**... और रही बात घमंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने माननीय गृह मंत्री को अभी 'चाणक्य' कहा। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गृह मंत्री पर हमें गर्व है, लेकिन इन्होंने ही अभी इस शब्द का प्रयोग किया। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Okay. I will give the floor... *...(Interruptions)...* Take your seat. *...(Interruptions)...* You don't allow me? *...(Interruptions)...* Sorry. Take your seat. *...(Interruptions)...* Sorry, take your seats. *...(Interruptions)...*

3.00 P.M.

DR. AMEE YAJNIK (Gujrat): Sir, *...(Interruptions)...* not enough. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Take your seats. Do you want me to name you?

DR. AMEE YAJNIK: We are...*...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Can't you take your seat? Do you want me to name you? Sorry, take your seats. *...(Interruptions)...*

DR. AMEE YAJNIK: Sir, you never,...*...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Since it is a very important issue, *...(Interruptions)...* Hon. Members.....*...(Interruptions)...*

DR. AMEE YAJNIK: No, Sir. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Madam, you are forcing me. *...(Interruptions)...* Take your seats. Hon. Members, I do not want to raise my voice. I have a bad throat. *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): I have a point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: No. Take your seat first. *...(Interruptions)...* Allow me to say something, Digvijayaji. *...(Interruptions)...* You are a senior Member. *...(Interruptions)...* Sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Take your seats. Nothing will go on record. Take your seats. *...(Interruptions)...*

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir,...*...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Take your seat first. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. Take your seats. Mr. Gokhale, take your seat. Hon. Members, what the hon.

Member has spoken is too serious...*(Interruptions)*.. One second. ...*(Interruptions)*.. I expected the Leader of the Opposition to take a serious view of what the hon. Member had spoken. It outraged the spirit and essence of the Constitution. ...*(Interruptions)*.. It questions our integrity; it questions our existence. ...*(Interruptions)*.. It can't be put under the carpet because there is freedom! I would expect the hon. Leader of the Opposition to make his point known on the issue. I intervened because the hon. Member had crossed all the limits. ...*(Interruptions)*.. Yes. ...*(Interruptions)*.. Self-determination! ...*(Interruptions)*.. An issue of self-determination being talked about.....*(Interruptions)*.. No, no. Sorry. ..*(Interruptions)*..

SHRI K.C. VENUGOPAL: Allow me, Sir. ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Take your seat first. ...*(Interruptions)*.. One second. ...*(Interruptions)*..

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir,...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: No, no. Unless you take your seat, I will not allow anyone to hold the floor. Take your seat. Yes, Mr. Venugopal, in a cool manner, in a composed manner, taking note of the serious assertions of the hon. Member, what do you have to say?

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, I heard your serious observation on the hon. Member, Abdullaji's speech. But, my request to you is to please go through the records. While speaking, he quoted Periyar, one of the most important reformists of the country. What did Periyar tell? Periyar told about the different castes and different religions. Periyar told like that only. He quoted Periyar's speech only. ...*(Interruptions)*.. You may verify, Sir. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Sit down. Take your seats. ..*(Interruptions)*..

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, I am quoting Periyar only.

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ..*(Interruptions)*..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is quoting Periyar.

MR. CHAIRMAN: One second. ..(Interruptions).. Would you take your seat? ..(Interruptions).. Take your seat. Take your seat first. Do not become a shouting brigade. Take your seats. Hon. Members, can we quote anything in this House? ..(Interruptions).. Can we quote to the extent of being a sedition, challenging our integrity, going against our Constitution, going against the judgement of the Supreme Court this day? ..(Interruptions).. No; that will not be acceptable. Mr. Arora will take the floor. ..(Interruptions).. No, no; I will not allow it, sorry. ..(Interruptions).. I thought you will contradict him, Sir. ..(Interruptions).. I thought you will contradict him... (Interruptions).. No. ..(Interruptions).. Hon. Home Minister. ..(Interruptions)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा कि रिकॉर्ड पर रखना, नहीं रखना, यह राज्य सभा के नियम और आपके विवेकाधिकार पर जाता है, परंतु ये सारी बातें सुनकर मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आता है कि क्या काँग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से सहमत है? आप लोग जो कह रहे हैं, इससे तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ... (व्यवधान)... सर, यह रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए। ... (व्यवधान)... यह रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि क्या काँग्रेस पार्टी माननीय सदस्य, श्री अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है? ... (व्यवधान)... साहब, क्वेश्चन बड़ा साफ है। ... (व्यवधान)... क्या काँग्रेस पार्टी इनके स्टेटमेंट से सहमत हैं? ... (व्यवधान)... लीडर ऑफ दि अपोजिशन को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। ... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Leader of the Opposition. ... (Interruptions)... Take your seat, all of you. Let us have cool, calm, composed atmosphere. ... (Interruptions)... Take your seat. ... (Interruptions)... Leader of the Opposition alone will speak. ... (Interruptions)... Leader of the Opposition will speak. ... (Interruptions)... Others take their seats. ... (Interruptions)... Every time you keep on shouting, Jairam; not good. You must have some silence zone; some silence zone. That will help you and the House. Yes, go ahead. ... (Interruptions)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, उन्होंने जो क्वोट किया, तो पेरियार की जो लिखी और कही हुई बातें हैं, उन पर उन्होंने बात की। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। कई बातों से हम भी सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन... ... (व्यवधान)... उन्होंने उनके लिखे हुए विचारों को यहाँ पर प्रस्तावित किया है। ... (व्यवधान)... ये इनकी बातें नहीं हैं। ... (व्यवधान)... इनकी बातें नहीं हैं। ... (व्यवधान)... इन्होंने क्वोटेशन को क्वोट किया है। ... (व्यवधान)... जो उन्होंने कहा था, वह किया है। ... (व्यवधान)... जो बातें उन्होंने कही हुई हैं, उस

विचारधारा को वे यहाँ पर बोल रहे हैं। यह हो सकता है कि उससे वे भी सहमत नहीं हों, हम भी सहमत नहीं हों। #

श्री सभापति: किन्हें यह आदत है? ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैंने गवर्नमेंट को बोला है। आपको कैसे बोल सकता हूँ? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं यहाँ तो मुझे ही कंट्रोल करना पड़ता है। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: # ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं प्रतिपक्ष के नेता को कहना चाहूँगा कि क्वोट करना एक बात है। He was quoting it affirmatively. He was drawing oxygen from it. He was taking sustenance from it. I was fully alert. ...*(Interruptions)*... This can't be permitted in this House. ...*(Interruptions)*... No, this can't be done. ...*(Interruptions)*... Dr. Jitendra Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: I will give you the floor after him.

DR. JITENDRA SINGH: Sir, one small point which contradicts what hon. Venugopalji said that he is quoting Periyarji; we may agree or not agree. See the intent of quoting. He is quoting to endorse his point. ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Yes.

DR. JITENDRA SINGH: It is not a simple quotation. ...*(Interruptions)*... No, no; no; it is not an academic quotation. ...*(Interruptions)*... It is not an academic citation. ...*(Interruptions)*... He is quoting to endorse his view. ...*(Interruptions)*... He is quoting to endorse his view. That is the difference. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ...*(Interruptions)*... Yes, Digvijaya Singhji. But before that, Digvijaya Singhji, you are an experienced Member. I will put it to you.

Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: So what, Sir?

MR. CHAIRMAN: Do we quote to take wind out of our argument? ...*(Interruptions)*.. We quote to support our argument. We quote to give strength to our argument. ...*(Interruptions)*... That can't be allowed. ...*(Interruptions)*... Go ahead.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वहाँ आप न पक्ष के हैं, न विपक्ष के हैं। आप निष्पक्ष हैं। आप रेफरी हैं। आप गोल मारने के लिए नहीं हैं कि इधर से मारें या उधर से मारें। मेरी आपसे यह हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, तो यह उसका अधिकार है और रहेगा। One second. One second, Sir. मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूँगा कि क्या हर बात पर आपकी सहमति जरूरी है, क्या हमारी सहमति जरूरी है? ...*(व्यवधान)*... अगर पूरा सदन सहमत हो जाएगा, तो फिर लोकतंत्र कहां से रहेगा? माननीय सभापति जी, आपसे एक अनुरोध है। आप दो मिनट सुन लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए, तो यह उनका अधिकार है।[#]

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, it is much beyond being unparliamentary. It is much beyond expunction. ...*(Interruptions)*... यह भारत माता की आत्मा पर प्रहार था। That was the objection. I don't agree to that. Sorry. ...*(Interruptions)*... Yes, Mr. Piyush Goyal.

श्री पीयूष गोयल: सर, मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी का पूरे तरीके से आदर करता हूँ, माननीय एलओपी का आदर करता हूँ। आपने सही कहा कि सभी का यह अधिकार है कि पेरियार जी की स्टेटमेंट को समर्थन दें या नहीं दें। हमारा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि डीएमके के माननीय सदस्य, अब्दुल्ला जी जो बोल रहे थे -- माननीय एलओपी, आपके जो भी अधिकृत सांसद या नेता हैं, वे इतना बता दें कि ठीक है, पेरियार जी ने जो कहा, आप उसके असमर्थन में खड़े हैं। आप इतना ही बता दीजिए! हम तो नहीं कह रहे कि आप समर्थन कीजिए! ...*(व्यवधान)*... आप स्पष्ट कर दीजिए कि आप उनके क्वोट के समर्थन में हैं या समर्थन में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*... अगर आप समर्थन में नहीं हैं तो यह भी बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*... आप बोलिए कि यही उन्होंने कहा था। ...*(व्यवधान)*..

MR. CHAIRMAN: Okay; Mr. Arora. ...*(Interruptions)*... Only what Mr. Arora speaks will go on record. ...*(Interruptions)*... That is all. Take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश: सर, लीडर ऑफ दि हाउस ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी पेरियार के क्वोट से सहमत है या नहीं। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पेरियार ने जिस क्वोट का इस्तेमाल किया है, उस क्वोट का हम समर्थन नहीं करते हैं।

[#] Expunged as ordered by the Chair.

श्री सभापति: पता नहीं यह कहने में इतना समय क्यों लगाया, थोड़ा रास्ता और नाप लेते। अरोड़ा जी, आप बोलिए।

श्री जयराम रमेश: सर, हम समर्थन नहीं करते हैं।

श्री सभापति: पर, मेरी आपत्ति से ज्यादा है। आप तो समर्थन नहीं करते हैं, but, in this House, sitting on this Chair, having taken oath of the Constitution like all of you, I cannot allow any assertion in support of a statement that is against the integrity of the nation. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora alone; others, take your seat. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora, use your six minutes. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora, take you seat. Leader of the Opposition wants to say something.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, पेरियार की विचारधारा बहुत से अलग-अलग समय में...

श्री सभापति: मैं हाथ जोड़कर एक विनती करूँगा कि जयराम जी ने authoritatively आप सबके behalf पर एक बात कह दी है। अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना हो, तो कहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, सबकी तरफ से नहीं...

MR. CHAIRMAN: Firmly and authoritatively.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जैसे, 'मनुस्मृति' को कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। यह तो सच है न! वैसे ही, हमारे देश में अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग विचार के लोग हैं और कोई समर्थन करता है, कोई समर्थन नहीं करता है। इसलिए मैं यह कहूँगा:

*"मत्तल में आते हैं वो खंजर बदल-बदल के,
या रब मैं कहाँ से लाऊँ सर बदल-बदल के।"*

हमारे त्रिवेदी साहब कहाँ हैं? मत्तल तो जैसा है, वैसा है। हमारा सिर काटने के लिए तैयार हो गए हैं। मत्तल में जो भी आएंगे वे खंजर बदल-बदलकर ही आएँगे, लेकिन सिर तो हमारे पास एक ही है, इसलिए हम सिर बदल-बदलकर तो नहीं आ सकते हैं।

श्री सभापति: मेरी हालत समझिए। मैं लीडर ऑफ दि हाउस और लीडर ऑफ दि अपोजिशन के बीच में हूँ।

श्री दिग्विजय सिंह: सर, ऐसे ही रहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, ऐसे ही रहिए, यह अच्छा है। आप ऐसे ही रहें।

श्री सभापति: लीडर ऑफ दि हाउस।

श्री पीयूष गोयल: माननीय सभापति जी, माननीय लीडर ऑफ दि अपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ, जो उनके ट्वीट्स आदि सब देखते हैं और पार्टी की विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। सर, मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ऊपर आरोप न लगाएँ। हम किसी का कत्ल नहीं करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। # इस सदन में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार-बार मौका ढूंढकर इनके लिए तकलीफ़ create कर रही है। जनता की चिंता कीजिए, अपने गठबंधन में एक विषय के ऊपर एक ही मत बनाइए, इसीलिए मैंने कहा कि यूपीए का नाम बार-बार बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे गर्दन बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही यूपीए का नाम बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Sudhanshuji, what do you want to say? ... (Interruptions)...

श्री पीयूष गोयल: वह वैसे ही घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद में रहेगा। यूपीए हो या कोई और ही क्यों न हो।

MR. CHAIRMAN: Sudhanshuji, are you saying something?

डा. सुधांशु त्रिवेदी: सर, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा था कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूँ।

श्री सभापति: एक ही लाइन में जवाब दीजिए। Please go ahead.

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सर, वर्ष 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। इसलिए मैं उनकी आदत के लिए कहना चाहूंगा कि:

'कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला,
और डूबने वालों का जज़्बा भी नहीं बदला।
है शौक-ए-सफ़र ऐसा, एक उम्र से यारों ने,
मंज़िल भी नहीं पायी, रस्ता भी नहीं बदला।'

Expunged as ordered by the Chair

MR. CHAIRMAN: Leader of the DMK Legislature Party, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): I think, a hype is made of a very ordinary statement. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It has to be a very brief intervention.

SHRI TIRUCHI SIVA: When an ordinary matter has been made a very big thing that something has been derogatorily mocked at by everyone, I have to make my remarks.

MR. CHAIRMAN: Before you do that I have to say that I gave enough opportunity to your Member to reflect and withdraw, but he continued. I thought the Leader of the Opposition will calm him down, but that did not happen. Say what you have to say.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Member, in his capacity as a Member, was speaking something. First, when he said about the abrogation of Article 370, you intervened that it was against Supreme Court's order that has come today. Tomorrow, if the INDIA Alliance wins and comes to power and Article 370 is restored ...*(Interruptions)*... Let me speak. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सर, शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडिया एलायंस का एजेंडा बता रहे हैं, इसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए।

SHRI TIRUCHI SIVA: We were against the abrogation. Then, the hon. Member quoted Periyar. What Periyar said was that every race has a right to determine their own rights. What is wrong in that? ...*(Interruptions)*... Let me complete. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let us hear him in absolute patience. It is a very important issue. The entire nation is watching us. It is a very important issue.

SHRI TIRUCHI SIVA: We are very much aware of it. ...*(Interruptions)*... They are trying to give a different colour to us. In 1962, when the Chinese aggression happened, we, the DMK, gave up our the then slogan of 'Separate Dravidam'. Later, we were very firm that DMK is for the unity and integrity of this nation and every State should have its right, and federalism is supported by us and we are with the policy of State autonomy. So, don't try to give DMK a different colour. We are second to

none. During the Chinese aggression, we gave up our policy and during the Bangladesh war, we gave the largest amount of money. Every time, when India is in distress because of external aggression, we are ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: What is your stand on what he said?

SHRI TIRUCHI SIVA: He quoted Periyar. What is it? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Can this be quoted to back an argument? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: What is it? You have to enlighten me. ...*(Interruptions)*... What is wrong in quoting Periyar? Periyar said nothing in favour of a particular race or people. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: When there is nothing wrong and every race has a right to self-determine, is the INDIA Alliance ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the people take note of it. Mr. Arora now. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora will hold the floor.

SHRI TIRUCHI SIVA: I made my point very clear. The DMK is for ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sir, I am concerned very seriously if determination takes place on such a plank and that argument is used to buttress your point, nothing can be more outrageous than this. ...*(Interruptions)*... Nothing can be more outrageous than this. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora. Nothing will go on record now. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora, your six minutes start now. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record except what Mr. Arora says. Yes, Mr. Arora.

SHRI TIRUCHI SIVA: Allow me to make my point. I will take only one minute. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, only Mr. Arora. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Allow me to make my point. ...*(Interruptions)*... I have only one point.

MR. CHAIRMAN: No, I don't want the situation to further worsen. Let me tell you, everyone in the country is concerned. ...*(Interruptions)*... Everyone is concerned.

SHRI TIRUCHI SIVA: Give me only one minute.

MR. CHAIRMAN: No, I have given enough indulgence.

SHRI TIRUCHI SIVA: Just one minute.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the DMK need not be given any other colour. I am again making it clear not to create any confusion. We want to achieve any rights of the States only within the framework of Indian Constitution and as a nation on the whole, with integrity and sovereignty, but the State should have those rights. That's all. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Arora now. ...*(Interruptions)*... See, Tiruchi Sivaji, there can be no doubt. It is a very pernicious thought. This thought is antithetical to the constitutional values. This is against integrity of the nation. Such kind of determination is unacceptable. Mr. Arora...*(Interruptions)*... Yes, you can understand. Mr. Arora, go ahead. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record now. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora.

SHRI TIRUCHI SIVA: The Chair should protect us.

MR. CHAIRMAN: I will, but before that, I will protect the Constitution; I will protect the rule of law; I will protect my motherland; and, I will not give unqualified right to Members to be loose cannons. ...*(Interruptions)*... Mr. Arora now. You have six minutes.

SHRI SANJEEV ARORA (Punjab): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this short and simple Bill, which has great relevance to Jammu and Kashmir and the country as a whole. महोदय, मैं स्पीच शुरू करने से पहले एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ।

श्री सभापति : आपका समय है। दायरे में बोलिए और अपने समय का उपयोग कीजिए।

श्री संजीव अरोड़ा : सर, मैं चार बार खड़ा होकर बैठ गया। My grand-daughter is seven-year old. Whenever she goes to school, at the same time, I leave for office. उसने मुझसे कहा कि आज आपका स्कूल है, तो मैंने कहा कि पार्लियामेंट मेरा स्कूल है। मैंने उससे कहा कि आपकी क्लास लगेगी, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी क्लास लगेगी या नहीं लगेगी...(व्यवधान)... मैं सोच रहा था कि यह सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है।

श्री सभापति: संजीव जी, एक फर्क और है। आपकी पोती अध्यापक को सुनेगी, लेकिन आप अध्यापक को नहीं सुनेंगे।

श्री संजीव अरोड़ा: महोदय, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी पार्टीज़ में कोई इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत यूजफुल डिस्कशन हो रहा है और हाउस बढ़िया चल रहा है, तो उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, other than this last incident which happened during the last ten minutes. This Bill brings the 2004 Act in line with the rest of the country. सर, मैं इसमें सिर्फ दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहला, इन्होंने इसमें हिंदू पंडितों के लिए रिजर्वेशन दिया, and I am with it. जब मैं स्पीच बोलने लगा, तो हमारे माननीय सांसद संत बलबीर जी ने मुझसे कहा कि यदि आप बोल रहे हैं, तो आपको उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखनी है कि जो हमारे पंजाबी सिख भाई थे, उन्होंने भी उतना ही जुल्म सहा, जितना कश्मीरी पंडितों ने सहा, तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अगर उनको दो दिए हैं, तो वे कहते हैं कि आप रिक्वेस्ट जरूर कर लेना कि एक जरूर दें। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पंजाबी भाई, जो सिख भाई हैं, उनके लिए भी कुछ करें, जिन्होंने उसी टाइम पर जुल्म सहा, जिस टाइम पर हिंदू पंडितों ने सहा।

सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, इनके हाथ में है कि हमारे जो जम्मू-कश्मीर के भाई हैं, जो राज्य सभा में आ सकते हैं, वे कब आएंगे। ये जितनी जल्दी इलेक्शन करवाएंगे, उतनी जल्दी वे आएंगे। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि अगर लोक सभा के साथ ही इलेक्शन करा दें, तो बहुत अच्छा लगेगा और जम्मू-कश्मीर में ज्यादा normalcy आएगी। सर, मुझे इस बिल पर और कुछ नहीं कहना है। It is short and sweet. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra. You have six minutes.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Thank you, Mr. Chairman, Sir. On behalf of my party, Biju Janata Dal, and, my leader, Shri Naveen Patnaik, I rise to support both the Bills brought together by the Government today. At the outset, I congratulate the Parliament, the Government, hon. Home Minister for the historic judgement by the hon. Supreme Court today on the abrogation of Article 370. It vindicates the stand of the Parliament, it vindicates the stand of the Government and it vindicates the stand of the Biju Janata Dal because we forcefully supported the entire Bill on abrogation in August, 2019.

Hon. Chairman, Sir, I also welcome the decision of the Government to bring these two Bills because it indicates the strong intent of the Government to ensure that whatever is required in order to prepare Jammu and Kashmir for democratic elections is being readied, and, with that, very soon, probably, next year, we will have a full-fledged Vidhan Sabha in Jammu and Kashmir. I think, the road is being set by this kind of a legislation. It is also good that we have a pro-active Nyayik Delimitation Commission. Why I am using the word 'nyayik' is because it is headed by a former Justice of the Supreme Court which ensures that whatever recommendation of the Commission comes is beyond suspicion or doubt.

Sir, now, I come to J&K Reorganization Bill. The Government has tried to build an inclusive and progressive outlook for Jammu & Kashmir Vidhan Sabha through this Bill. The total seats are 114. Seven seats are being reserved for Scheduled Tribes. It is a way forward for tribal empowerment. My leader, Shri Naveen Patnaik, believes in empowerment and we strongly support it. One seat is reserved for displaced people from PoK. Who are these people? In 1947, when there was Pakistani aggression, at that time, 31,779 families were displaced. Out of that, 26,319 stayed back in Jammu and Kashmir and 5,460 moved on. Apart from that, in 1965 Indo-Pak war, 3,500 families were displaced, and, in 1971 Indo-Pak war, 6,565 families were displaced. In total, 10,065 families were displaced. If you add the previous 1947, it comes to 41,844 families, which have been displaced, and, providing them a seat is a voice for them. In the coming Vidhan Sabha, it will be a very good step.

Now, I come to the issue of Kashmiri migrants and genocide. I strongly support the view of Vivek Tankha ji that there was a genocide in 1989-90 in Kashmir where our Kashmiri brothers and sisters had to forcefully leave their land in the middle of the night and run away for fear of life. We are providing them a voice today. I think, it is a very good step. Apart from this, we are taking one more step that a women's representative will be there amongst these two. It is a very good move towards women's empowerment.

Let us come to the data. The relief organisations of Jammu and Kashmir say that 46,517 families are recorded to have moved. It means that 1,58,976 people were displaced due to this. Don't they deserve a voice? They deserve a voice. This Bill will give them that voice. Therefore, my Party, the BJD and my leader, Shri Naveen Patnaik, support it. Hon. Chairman, today, they would be watching television कि चलो, आज तो आवाज मिल रही है, उस दिन रात के अंधेरे में जान बचाकर भागना पड़ा था। अब विधान सभा में बैठेंगे, हमारे भविष्य का निर्णय करेंगे। यह सोच, यह विश्वास उनके साथ रहेगा। For people residing in the Union Territory of J&K -- this is not part of the Bill; this

was done earlier; but I would like to reflect on this -- 24 seats have been reserved for such people who are today not within the jurisdiction of the Indian territory. They were a part of us. They will always be a part of us. One day we will have the POK. They will be part of the Vidhan Sabha. They will be with us. I will sum up the Bill. My time is running out. Tribal empowerment through this Bill -- excellent. Kashmiri migrants get voice -- excellent. Women's empowerment -- excellent. Displaced people from POK getting a voice -- excellent.

Now I come very quickly to the second Bill. One minute is left. It is the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023. Hon. Chairman, the second Bill changes the nomenclature of Weak and Underprivileged Classes to Other Backward Classes. This has been brought on the recommendations of whom? Not the Government only. It has been brought on the recommendations of the Jammu and Kashmir's Socially and Educationally Backward Classes Commission. The Commission has gone into it and said, 'We must have it'. So it has come by the Commission's recommendation. This is to do away with any confusion or any doubts in giving out certificates. यह सिर्फ नाम के वास्ते नहीं है। This is not the change of name. नाम के साथ सम्मान भी जुड़ रहा है और यह सम्मान की बात है। सिर्फ नाम के वास्ते नहीं सोचना चाहिए, सम्मान के साथ जोड़कर सोचना चाहिए।

I will summarize it. I have thirty seconds more. Both the Bills stand to empower the people of Jammu and Kashmir. By this Bill, we reiterate our stand that the entire country, 1.4 billion people, stand with the people of Jammu and Kashmir. We stood with them. We stand with them. We will stand with them. This is a way towards new Kashmir. This is a way towards *Naveen* Kashmir. This is a way towards a prosperous, peaceful and strong Kashmir.

With these words, on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik *ji*, and my Biju Janata Dal Party, we support the Bill. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy. Six minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, these two Bills that have been presented by the hon. Home Minister are supported by YSR Congress Party and our Party President, Shri Jagan Mohan Reddy Garu. We will support the Bill and we are going to vote in favour of the Bill.

Sir, this is a right step towards undoing the wrongs done to the Kashmiri Pandits by the successive Governments in the State and also by the successive Central Governments during the Congress regime. It all started during the regime of Persian King Sultan Sikandar during 1389-1413 when the first mass exodus of

Kashmiri migrants took place. It was the Persian King which the Congress Party supported subsequently. One lakh migrants were drowned in the Dal Lake. Women were raped. Kashmiri Pandits' women were raped and sold also. Hindus were given three choices. Either Hindus had to convert or flee Kashmir or perish. These three options had been given to Kashmiri Pandits. The sacred temples were destroyed and demolished. They were not even allowed to wear the sacred thread, that is, *Janeu*. They were not even allowed to put *Tilak*. Because of the tyranny, only 11 Kashmiri migrant families survived during the regime of the Persian King. Since then, six exodus of Kashmiri migrants have taken place, each more heinous than the previous ones. Their properties were taken over under the garb of Land-to-the-Tiller Policy through the use of unconstitutional, unfair and unequal law. Terrorism reigned supreme in Jammu and Kashmir through political violence subsequently which was aimed at separating Jammu and Kashmir from India and securing its annexation to Pakistan. Now I have to explain it. I will not be discharging my responsibilities properly unless and until I highlight the issues or highlight the blunders that have been committed by the Congress Government. It is the delusions of the Nehruvian, pseudo-secularism that prevented Kashmir issue from getting resolved. ...*(Interruptions)*... Yes. We must now ponder over the real hard questions that haunt us and the civilization of the State. In 50 years rule, the Congress Party had many opportunities to undo the injustice done to the people of Jammu and Kashmir but they failed to do so. The first blunder was in July, 1947. Maharaja Hari Singh proposed merger of Kashmir with India but Nehru hesitated. ...*(Interruptions)*... Don't disturb me. You have committed a blunder. This indecisiveness of Nehru gave elbow room to raiders of Pakistan to mobilize and launch the attack on Kashmir. ...*(Interruptions)*... Even though Indian Army occupied Srinagar and drove away the Pakistani Army from other parts of Kashmir, Nehru stopped it. Why? ...*(Interruptions)*... Why did Nehru stop it? ...*(Interruptions)*... I am asking the question to the Congress Party. ...*(Interruptions)*... Whom they wanted to appraise and protect? ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Sir, he needs to authenticate this.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: The second blunder which Nehru had committed was to refer the Kashmir issue to the UN. ...*(Interruptions)*... It is the second blunder. ...*(Interruptions)*... And the most dangerous decision which Nehru had taken was referring the matter to the UN. The third blunder which Nehru had committed is the addition of Article 370. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, since hon. Member, Mr. Nasir Hussain, is very keen to speak on this subject to have a point of view, I would urge the Chair that even if some extra time needs to be given, we may allow him to rebut whatever Mr. Vijaysai is saying. We may give him some time to rebut.

MR. CHAIRMAN: Piyushji, it is left to me. This is a good debate. I do want Members to utilize their time. I have a mind to give opportunity to all. It is with a sense of the House that I may extend time also, but whom I have to give time may be left to me. Mr. Nasir Hussain is more prominently visible to me. Yes, continue. You are making a good point. He wants to rebut but no one will interrupt. ...*(Interruptions)*... One second. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, he is accusing the former Prime Minister of the country. ...*(Interruptions)*... He has to authenticate it.

MR. CHAIRMAN: Mr. Nasir, one second please. ...*(Interruptions)*... One second, gentlemen. ...*(Interruptions)*... Vijayasai Reddyji, one second please. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, when an assertion of fact was made and Dr. Jitendra Singh raised an issue, I requested him to authenticate it. Authentication is important. You have made important points and you should be happy and delighted to authenticate them. So, no issue on that. ...*(Interruptions)*... One second please. I can order authentication on my own. I also get input from hon. Members. If some Member takes exception, we do it. Dr. Jitendra Singh has done a good thing when a Member was giving facts after facts, he said that he does not believe in those facts and the facts have to be authenticated. So, go ahead. Once he concludes, then I will hear you. You will have to precisely indicate what authentication you want. Please go ahead.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: The third mistake or blunder which Nehruji has committed is adding Article 370 to the Constitution in October, 1949, which dashed all efforts to integrate Kashmir with India. What is the result? ...*(Interruptions)*... The people of this country are paying the price of the misrule and the blunders committed by the Congress Party for more than seven decades. What will Congress say in this regard? If you have any answer, you can answer the questions.

The next blunder, the fourth blunder, which the Congress party has committed is, we had the second war against Pakistan in 1965 and this had given a second opportunity to the Congress party to take back Kashmir areas. When Indian forces

had gone up to Lahore, why did the Congress party not take back the areas of Kashmir? Let them answer the question. ...*(Interruptions)*... The fifth blunder which the Congress party has committed, let me highlight it. After the 1971 war for Bangladesh liberation, we had another opportunity which the Congress party has missed out to negotiate and force them return areas of Kashmir; Pakistan was ready to sign the Simla Agreement on the dotted lines. But they had not managed it properly. What did Congress party do? When we had Kashmir in our hands, the Congress gave the Kashmir on the platter to Pakistan. Shame! ...*(Interruptions)*... I have to say 'Shame'. Who is responsible for this? It is the Congress party, the Indian National Congress Party, which is solely responsible for the pathetic state of affairs in Kashmir. The indifference, inaction and inability of the Congress party insofar as Jammu and Kashmir is concerned, could never move forward from the tragic history. It would remain in the history and the Congress is to be blamed for this. There are some positive developments. You have, in fact,...

MR. CHAIRMAN: Continue, you will get a rejoinder from Mr. Nasir. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I have no hesitation in saying that the Central Government, hon. Home Minister, has taken the right steps in undoing the wrongs of the previous Congress government. ...*(Interruptions)*... Modiji came to power and we have moved from the Congress policy of दो विधान, दो प्रधान और दो निशान to new policy of एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। ...*(Interruptions)*... I appreciate, Sir, and kudos to the hon. Home Minister and Modiji. Sir, the abrogation of Article 370.....*(Interruptions)*... Please keep quiet. You may speak when your turn comes. The abrogation of Article 370, which is a blunder committed by the Congress party when it was added in the Constitution, has already begun to show positive results. The abrogation has started showing positive results. Jammu and Kashmir have undergone tremendous transformation in the last nine years - improved law and order, thanks to hon. Home Minister; decentralization of power, thanks to hon. Home Minister; new infrastructure projects, thanks to Modiji's Government; revival of economy, thanks to Modiji's Government. There is a focus on tourism, investment, agriculture and renewable energy. ...*(Interruptions)*... In the last, I would like to make one suggestion to the hon. Home Minister. ...*(Interruptions)*... It is about nomination of PoK seats. It is very important, Mr. Chairman, Sir.

MR. CHAIRMAN: Go ahead.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, there is one last suggestion. Currently, we have 24 seats in PoK region which are not going for elections; we are not able to conduct the elections for 24 seats. There have been no elections to these seats. To rectify the blunder committed by Nehruji, I suggest that the Government and the hon. Home Minister should make nominations to these 24 seats. ...*(Interruptions)*... Also, those who have migrated from PoK to Kashmir, it is not two nominated Members, it is 24 nominated Members who should be present in the Jammu and Kashmir Assembly. These 24 members from PoK, the Pak occupied Kashmir.

MR. CHAIRMAN: Thank you, hon. Member.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: One last point, Sir. Ensure stricter implementation of J&K Migrant Immovable Property (Preservation, Protection and Restraint on Distress Sales) Act. 1997. The Act provides for preservation, protection and restraint on distress sales of the immovable property of the migrants. So, I request the hon. Home Minister to implement the Act in its letter and spirit. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: हो चुका है। ...*(व्यवधान)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Thank you. Sir, the last point on increasing the cash relief. Right now the cash relief that is given to the migrants is about Rs. 13,000. I request the hon. Home Minister to increase it to Rs. 20,000 per month so that they can feed themselves. Thank you very much, Sir. We support this Bill.

MR. CHAIRMAN: Mr. Nasir, you had raised the issue when the hon. Member had indicated certain aspects.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Yes, Sir, thank you.

MR. CHAIRMAN: You were aggrieved. ...*(Interruptions)*... One second. So you may kindly confine to the part of his address where you seek authentication. Please go ahead.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: I think when the hon. Member was speaking, he was trying to make an assertion that whatever happened in Kashmir was all because of Mr. Nehru. I think he has not read Nehru, he has not...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Please let me...*(Interruptions)*... You have finished. ...*(Interruptions)*... You have finished.

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... One second. We will give the hon. Member good atmosphere to contribute and I request all of you to do the same. Go ahead.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, I think the hon. Member has not read Nehru, he has not read Patel, he has not read the Cabinet decision, he has not read what Mr. Patel had written to Nehru. He has not read why the decision was taken. He has not read why the Army had to be stopped at a particular point...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nasir, the point is...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Just one second, Sir. Let me finish. ...*(Interruptions)*...He has not read...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No. Mr. Nasir, one second. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: He has not read what Mr. Hari Singh wanted at that point of time and why it was a historical decision to stop at that point. I would like to assert here that it was only because of Nehru that we are having Jammu and Kashmir in our country. It was only because of Nehru and if Nehru was not there, had the Cabinet not taken the decision, Pakistan army would have captured the entire Jammu and Kashmir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: So, you don't want authentication. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Pakistan army would have captured the entire Jammu and Kashmir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: It was because of the decision of the Nehru's Cabinet that the present Jammu and Kashmir is in India. That they should understand. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Okay, nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record now, Mr. Nasir. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: *

MR. CHAIRMAN: Okay. Mr. Nasir does not want any authentication. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, I want authentication ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Write it on a piece of paper and give it to me. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: On this specific...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Write on a piece...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: How Pandit Nehru was responsible for all the...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No. ...*(Interruptions)*... One second. ...*(Interruptions)*... The hon. Member in his wisdom had serially indicated 'blunders'...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: He is accusing the first Prime Minister of the country. ...*(Interruptions)*... He has to authenticate on what...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You give me...*(Interruptions)*... You write on a piece of paper as to what you want to be authenticated. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: He cannot make blanket accusation...*(Interruptions)*...

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Okay. I can understand that you are not proceeding. ...*(Interruptions)*... Now Shri K.R. Suresh Reddy; four minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJYASAI REDDY: I am reiterating...*(Interruptions)*... I will make further allegations and authenticate...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, further he has to authenticate. ...*(Interruptions)*... If he makes allegation, he has to authenticate.

MR. CHAIRMAN: But you are not telling me what does he...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: I request every Member of this House...*(Interruptions)*...if I have been asked to...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The hon. Member has...*(Interruptions)*... One second. ...*(Interruptions)*... Pandit Nehru was our first Prime Minister, no doubt about it. The hon. Member had enlisted serially, accordingly to him—not according to me, I am not party to the debate—several blunders that resulted in a messy situation in Jammu and Kashmir. You want what to be authenticated, which blunder? Are you leaving some blunders or you want all the blunders to be authenticated? ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Every word has to be authenticated. ...*(Interruptions)*... He has to authenticate...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. He is ascertaining. Digvijaya Singhji, he is maintaining his stand that there were blunders. ...*(Interruptions)*... Okay.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Was it a blunder to...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Okay, both sides...*(Interruptions)*... One second. If the hon. Member or anyone wants that some authentication should take place with respect to the assertion, I quote 'blunders' as indicated by him; the hon. Member may, during course of the day, send a communication to me to that effect precisely indicating what authentication is sought. Shri K. R. Suresh Reddy.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on both the Amendment Bills on Jammu and Kashmir.

There is a very good comparison between my region, that is, Telangana State and Kashmir. Both the regions have faced a lot of extremism, a lot of terrorism. We had faced drought, migration, and so on and so forth. So, my heart continues to beat for Kashmir because when Telangana was carved out, all what was promised, all what was missing, has been delivered in the last nine and a half years. So, today, when we hand over the Government to the Congress Party, we feel satisfied that a region which was totally undeveloped, which was facing the worst migrations has turned out to be the country's number one State and I wish them luck. And coming to Kashmir, Sir, I do hope that the very idea of making the State into a UT and when the UT is changed into a State when the Union Government hands it over to the local Government, they have a similar situation to govern like how the Government in Telangana has. So, I would not like to dwell into the past of who did what, but going with our experience in Telangana, I would like to make a couple of suggestions to the hon. Minister, which could be beneficial to the people of Kashmir. The fundamentals required for any State to progress is education and in education, primary education is the best investment we can make in this regard. So, when I was looking at the figures of Kashmir, the primary school dropouts, when we compare it with the national average, which is at 1.9, Kashmir's average is at four percent. So, the fundamentals are getting wrong. So, this is an area where the hon. Minister needs to look into it and come out of it.

Mid-day Scheme might be working in the country. In Telangana, we started even the Breakfast Scheme to attract the students, especially, the young students. Similar things have to be worked out in Kashmir. You cannot allow a primary school-going student to sit in his house that will culminate into various other factors, which has led to the situation, Sir. And, then, as the student progresses from the primary to the secondary level, unfortunately, Kashmir again has got - the 2021 figures say that the secondary school dropout is very high in Kashmir. We have this PMSS Programme, the Prime Minister Special Scholarship Scheme, which is happening in Kashmir also, but you have limited that only to 5,000 students. This gives a facility; a student in Kashmir, if he passes out in the 12th class, he can go study anywhere in the country. He can study in Hyderabad, he can study in Ahmadabad, he can study in Bangalore. Once he leaves the State and goes to a new State, a different perception he develops there. Different ideas come in when he goes back. So, that quota you have blocked it at only 5,000. I request the hon. Home Minister to try to increase the quota. As many Kashmiri students want to go out and study, please give them an opportunity. And as we graduate out of the secondary school and once we get into the University level, unfortunately, there is no provision for any of the students to go to

any overseas Universities. There is no grant from the State Government which facilitates that opportunity. There are only scholarships given by some UK based, Israel based universities, where the Kashmiri students get eligible. But there is nothing tangible coming from the Government. If that opportunity is given to the Kashmiri students, definitely, we will get to see them more in the Harvard and the MITs where our Kashmiri students will tend to bring in a lot of laurels to us. On the other front, a lot has been spoken on the tourism part. Well, the gates are opened up for Kashmir. It is a fact. ...(*Time-bell rings.*)... Sir, I will just take another two minutes with your kind permission.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI K.R. SURESH REDDY: There a lot of tourists are going. But what is glaring, there is a lack of infrastructure, the falling infrastructure and the reason for that, fundamentally, is the hotels. I am not talking about the five-star hotels but the mid-level hotels where most of the tourists tend to stay; they are all on lease properties. The hoteliers are not able to refurbish them. They are not able to maintain them. Since 1985, the leases of these properties have not been renewed in Kashmir. A small effort has been done by Mufti *sahab* when he was the Chief Minister. But, unfortunately, he passed away and the matter is still pending.

Sir, the Government should look at the Rajasthan model; it is really working well. Finally, on the POK, we are talking about 24 seats being reserved. But, the danger is if you look back in 2007, POK made an appeal to the CPA (Commonwealth Parliamentary Association) stating that they have become a region, they have an assembly, and so they are entitled for a membership in CPA. At that point of time, Government of India through the Parliament with the then Speaker, Shri Somnath Chatterjee, we led the delegation and thwarted the efforts. So, it is not the question of being happy by nominating 24 Members here, what are the efforts that the Government is taking to ensure that POK becomes part of our country legitimately. So, what are the directions, through CPA, through CHOGM, through UN, and what the Government is doing? With these words, Sir, I thank you for the opportunity.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यकाल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जब यह नहीं कहा जा सकता कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जो वेलकम इनीशिएटिव्स हैं, मैं मानता हूँ। बस, मैं कुछ सुझाव दूंगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे बीच का संवाद -- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधान मंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी

अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधान मंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर, आज इस सदन में कश्मीर का कोई नहीं है। मैं उस दिन था, जब...(व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं।

प्रो. मनोज कुमार झा : सॉरी। ये नॉमिनेटेड मेम्बर हैं।

श्री अमित शाह: सर, माननीय सदस्य ने एक बड़ा gross statement स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वह अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं, हम तो सदैव कश्मीर के हैं। इनके बारे में वह सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो? आप कह दो, मैं कश्मीर का नहीं हूँ, कश्मीर के लिए नहीं हूँ, मगर इस देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप!

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने यह बात कही थी। वे नॉमिनेटेड मेम्बर हैं, मैं जानता हूँ।

श्री सभापति : नहीं, माननीय गृह मंत्री ने दूसरी बात कही है।

प्रो. मनोज कुमार झा : मैं समझ गया। सर, या तो मुझे बात कहने दी जाए -- मैं यह कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुनकर आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने यह बात कही थी। देश तो सबका है, सर! तिरंगा यहां कहीं किसी से छोटा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था।

माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध के लिए विरोध करूँ, यह उचित नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हम यह कहते हैं कि ये नॉमिनेशन होंगे -- पहले तो मैं तारीफ करूँ कि under-privileged के बदले आपने एक शब्द 'Other Backward Classes' का इस्तेमाल किया है, जो कि Constitutionally valid term है, यह तारीफ के काबिल है। सर, आज की डेट में यह जो एलजी साहब को नॉमिनेट करने का अधिकार है, कल राज्य बन जाएगा तो गवर्नर साहब होंगे, तो क्या यह स्टेट असेंबली को डेलीगेट नहीं होना चाहिए? अगर करना चाहे तो on the aid and advise of मैं समझता हूँ कि यह व्यवस्था होनी चाहिए थी। तारतम्य थोड़ा टूटा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहता हूँ।

सर, आरक्षण को लेकर भी हम piecemeal में काम करते हैं। मैं हर सत्र में देखता हूँ कि कुछ बिल्स आते हैं। हमें इसके लिए पूरे देश के संदर्भ में एक समेकित योजना बनाने की आवश्यकता है, जो बहुत बेहतर होगा। आज ही धारा 370 पर फैसला आया है। उस फैसले के बाद से सदन की जिम्मेवारी बढ़ गई है, सरकार की जिम्मेवारी बढ़ गई है। मैं मानता हूँ कि आपने यहां एक फैसला लिया था, तब संसद वहां थी। सर, यह लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि psychological healing की भी कोशिश होनी चाहिए और यह हीलिंग हो सकती है। जैसा मैंने कहा, हिन्दुस्तान का मिज़ाज

महासागर वाला है, इसको बस, तालाब न बनाया जाए, महासागर अपने अंदर सब समाहित कर लेगा!

माननीय सभापति महोदय, जो कश्मीरी घाटी में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उनको लेकर भी एक चिंता होनी चाहिए। जो बाहर हैं, उनकी चिंताओं से हम वाकिफ हैं। विवेक जी ने एक बात कही कि बुरे से बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी उन्हीं घरों में, गांवों में, गलियों में रही।

मैं समझता हूँ कि उनका acknowledgement बहुत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, अम्बेडकर साहब cooperative federalism कहते थे। कई बार माननीय प्रधान मंत्री जी भी उसको दोहराते हैं। सर, अगर cooperative federalism के नज़रिये से देखेंगे, तो एक handholding की ज़रूरत होती है। मैं जानता हूँ कि दिल्ली की idea of normalcy और घाटी, जम्मू या लद्दाख की idea of normalcy में फ़र्क है। सर, पिछले दिनों हमारे बीजेपी के कई साथी कह रहे थे कि चुनाव परिणाम संतुष्टि का परिचायक है, फिर तो लद्दाख में भी एक चुनाव हुआ था। **...(समय की घंटी)...** सर, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। मैं एक आखिरी चीज़ कहूंगा कि पत्रकार, विद्यार्थी और शिक्षक यदि सरकार की आलोचना करे, तो उसको देश की आलोचना न माना जाए। यह फ़र्क मिटता सा जा रहा है। यह कश्मीर के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि बाहर के संदर्भ में भी है। दूसरा यह कि दूसरे राज्यों में कश्मीर के जो छात्र रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन दीजिए। मैं बड़ी पीड़ा के साथ एक आखिरी बात कहूंगा कि खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है, शांति के लिए न्याय चाहिए। वह उतना ही कश्मीर के लिए दुरुस्त है, जितना मणिपुर के लिए है, जय-हिन्द।

4.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim. You have three minutes.

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, "first, they came for the communists and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak out for me." These are the lines of Martin Niemoller, a writer who lived during the black age of Germany under Adolf Hitler. If it is Kashmir today, it will be my State tomorrow. If I don't speak today, there will be no one to speak for me tomorrow. And, I completely oppose the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

Sir, in the Statement of Objects and Reasons for this Bill, the hon. Minister has said that Kashmiri immigrants and women will be represented in the Assembly. Even after four years, no election has been held for the State Assembly which was dissolved when Article 370 was repealed in 2019. What the Union Government is

doing with this Bill is writing horoscopes for the unborn child. Sir, what heroic arguments did hon. Prime Minister and the hon. Home Minister preach while repealing Article 370? That the terrorism will be eradicated; peace will be restored in Kashmir; national security will be ensured; and the list goes on. But what is going on, Sir? Jawans are dying there every month. Do we go without reading a news report about terrorist attacks in Kashmir? Another promise of the Union Government was to ensure the national security. I am not quoting here the words of former Governor of Jammu and Kashmir which the country was shocked to hear. Sir, what qualification does the BJP Government have to talk about the national security? Our Parliament, the sanctum sanctorum of Indian democracy, has been attacked only once in the history. Who ruled at that time? BJP was in power at that time. In January, 2016, our airbase in Pathankot was attacked for the first time. Who was in power at that time, Sir? None other than BJP. When the shocking attack in Uri took place in September, 2015, who was the Prime Minister at that time? None other than Shri Narendra Modi. The country is facing a serious security threat under the BJP rule. According to this Bill, the Lt. Governor can nominate certain number of Members to the Assembly which means a nominee will be a nominated Member. ..(*Time-bell right*) .. Giving too much power to such a nominee can have far-reaching consequences. The fear is that if another election is held, the people will not choose BJP. ...(*Time-bell rings*)...Sir, just give me one minute.

MR. CHAIRMAN: Conclude in 30 seconds.

SHRI A.A. RAHIM: Yes, Sir. I will conclude. People will not choose BJP as their representative and forcing the Union Government to nominate people with Lieutenant Governor! Why is the Central Government, why is the Union Government running away from elections? Even the Supreme Court, in today's verdict, has asked for immediate elections. Is the Government ready to say before this House that, on the basis of said verdict, Assembly election will be ensured in Kashmir?

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Aneel Prasad Hegde.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, give me just one minute.

MR. CHAIRMAN: I have given you one-and-half minutes more. Wind up.

SHRI A.A. RAHIM: I do believe that no kind of peace establishment is possible without restoring the democratic rights of the people of Kashmir. The Upper House of the Parliament has a responsibility to ensure the democratic rights to the people of Kashmir.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mr. Hegde. Nothing will go on record.

SHRI A.A. RAHIM: *

श्री अनिल प्रसाद हेगडे (बिहार) : सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी लोक सभा में बता रहे थे कि जेएंडके रिजर्वेशन बिल में कमजोर और वंचित वर्ग के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग किया जा रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहा कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए यह बिल लाया गया है। Sir, my party led by Mr. Nitish Kumar, Shri Rajiv Ranjan (Lalan) Singh and founded by socialist like late Shri George Fernandes, is a democratic socialist fighting for the removal of manmade inequalities against violation of human rights whether in Kashmir or elsewhere in the world. My party is championing the cause of social justice and democracy in Kashmir and all over the world. Whether in extending solidarity with his Holiness 'The Dalai Lama', 'Aung San Suu Kyi' of Myanmar, 'Abdullah Ocalan', leader of the Kurdish people, who is incarcerated in Turkish prison for the last 24 years, we are in the forefront. I humbly request the hon. External Affairs Minister who is here, the hon. Home Minister who is also sitting here, and, Sir, though you, I also request the Government to immediately intervene and speak to Mr. Erdogan and get Abdullah Ocalan released.

On these J&K Bills, driving home the point about commitment to social justice, hon. Home Minister had mentioned about Kaka Kalekar Commission. He was conveniently forgetting that it was his party which was supporting Shri V.P. Singh-led Government from outside, was responsible for toppling the Government. On the issue of giving reservation for OBCs, V.P. Singh Government was toppled by your party. Sir, भारत में सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट का मतलब अमीर-गरीब के बीच, जाति-जाति के बीच और पुरुष-महिलाओं के बीच गैर-बराबरी मिटाना है। वर्ष 2001 में आदरणीय प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री बने थे और नीतिश कुमार जी November, 2005 में बने थे। उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद छह महीने के अंदर बिहार में, स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में महिलाओं को उन्होंने 50 प्रतिशत आरक्षण दिया और आरक्षण देने के बाद बिहार देश में पहला राज्य बना, जहां महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला। गुजरात में आठ साल बाद 2014 में महिलाओं को आरक्षण मिला, जो यह दर्शाता है कि सामाजिक न्याय के बारे में किसका कितना कमिटमेंट है।

* Not recorded.

अधिकांश घरेलू हिंसा शराब के कारण होती है। महिलाओं को राहत देने के लिए गांधी जी के अति प्रिय और अति कठिन मुद्दे शराबबंदी को माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने आठ साल से लागू रखा है।...(समय की घंटी)...कश्मीर में किस जाति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, इसके बारे में पता नहीं है। अगर सरकार की मंशा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्याय देने की बात है...(समय की घंटी)... डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है...(व्यवधान)...तो सरकार को बिहार में नीतीश कुमार जैसे जाति जनगणना कराना चाहिए...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Next hon. Member, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar — not present. ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: He is present, Sir. ...(*Interruptions*)... He is here. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You are really present. You are present with presence of mind.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu & Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023.

The Bill seeks to reserve seats for Kashmiri migrants, people displaced from Pakistan-Occupied-Kashmir (POK) and the Scheduled Tribes. The reservation of seats for Kashmiri migrants, who were displaced from their own homes in 1990s, will ensure that the voice of the community is heard loud and clear in the J&K Assembly. The Bill intends to increase the seats of the Jammu & Kashmir Assembly from 107 to 114. This also introduces a new section, that is, 15A and vests power with Lt. Governor to nominate not more than two Members, one of whom will be woman from the community of Kashmiri migrants to the J&K Assembly.

Sir, as far as the Jammu & Kashmir Reservation (Amendment) Bill is concerned, it is a harmless Bill. The socially and educationally backward classes have definitely to be substituted from weaker and under-privileged classes. And, that should be passed.

By virtue of Section 15(B), the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu & Kashmir may nominate one Member from displaced persons from Pakistan-Occupied-Kashmir to the J&K Assembly. You have to get ready for an election process. The delimitation process has already been completed. Elections will be conducted at the earliest and a populist Government would be put in place. Major steps have already been taken to bring normalcy to hold the elections.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

Today, the hon. Supreme Court said that Article 370 was a temporary provision. Article 370 was meant for constitutional integration of J&K within the Union and was not for disintegration. The hon. President of India can declare that Article 370 ceases to exist. The hon. CJI further says that integration of Jammu & Kashmir into India and application of the Constitution of India in entirety to J&K is also upheld. The elections to J&K have to be done by September, 2024. The hon. Supreme Court has also directed the Government to conduct these elections to Jammu & Kashmir. The CJI further says that we hold exercise of presidential power to issue constitutional power to issue order of abrogation of Article 370 as valid. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, your three minutes are over. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, in view of the judgement of hon. Supreme Court and also the amendment sought for these two Bills to restore normalcy, I request the Central Government to take immediate steps to hold elections to Jammu & Kashmir.

With these words, I wholeheartedly support this Bill and conclude my speech. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, hon. Member Shri Gulam Ali. You have six minutes.

श्री गुलाम अली (नामनिर्देशित) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज जम्मू एंड कश्मीर रिज़र्वेशन एक्ट, 2004 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट, 2019 के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। यह लोक सभा में पास हुआ है।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

इसका जो जम्मू-कश्मीर में लाभ होगा, वह तीन जंगों में जो लोग, पाकिस्तान के पास, जो उनके नाजायज़ कब्जे वाला हमारा इलाका है, उससे माइग्रेट हुए हैं, उनको लाभ होगा। इलेक्शन की rigging के बाद कश्मीर में जब टरमॉइल आया, तो उसमें से कश्मीरी माइग्रेन्ट्स, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे, जो उस वक्त अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, इज्जत, आबरू, नेटिविटी सब छोड़कर जम्मू या देश की अन्य जगहों पर बसे...। उसके अलावा अदर सोशल कास्ट –

पहले थोड़ा सा दो परसेंट के करीब रिजर्वेशन था, अदर बैकवर्ड क्लासेज़, जो पूरे देश के अंदर हैं, उसको एक इज्जत दी गई। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो बेसिक, बुनियादी नासूर धारा 370 थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डबल मुहर लगाई है, इसके लिए मैं देश के वज़ीर-ए-आज़म और देश के वज़ीर-ए-दाखिला को धन्यवाद दूंगा। वे लाखों लोग, जिन्होंने इस जम्मू-कश्मीर को - जब देश के अन्य हिस्से उस वक्त देश के साथ नहीं जुड़ पाए, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जानें दी हैं और उन्होंने जेलें देखी हैं। मैं आज के दिन उनको भी मुबारकबाद दूंगा।

मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब मुस्लिम कांफ्रेंस से नेशनल कांफ्रेंस बनी और कांग्रेस के द्वारा बनाई गई। उनका कुछ अलग मकसद था कि ऐसा स्ट्रक्चर जम्मू-कश्मीर में बनाया जाए, जिसमें पावर कुछ फैमिलीज़ के पास रहे और इंटेनशनली, जानबूझकर unilateral ceasefire किया, जिससे पीओके के तथा हजारों की तादाद में लोग अपने घर-बार, फैमिली, ज़मीन-जायदाद, अपनी मज़हबी इबादतगाहें छोड़कर जम्मू में आकर या देश के अन्य हिस्सों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में बस गए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त ये गलतियां नहीं होतीं, तो कारगिल में जो इतनी शहादतें हुई हैं, वे भी नहीं होतीं और कारगिल युद्ध possible भी नहीं होता। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पूरे तौर पर, मौटे तौर पर कांग्रेस ने वहां पर हुकूमत की है - आप कांग्रेस में से नेशनल कांफ्रेंस को बड़ा बेटा कह लीजिए, वहां पर नेशनल कांफ्रेंस ने, पीडीपी ने और अन्य लोगों ने हुकूमत की है। धारा 370 जो एक नासूर था, उससे वे चीजें वहां पर ले जाते थे, जिससे कुछ फैमिलीज़ को फायदा होता था और कभी भी उनको किसी ने नहीं रोका था। हमारी बहनें अगर जम्मू-कश्मीर से बाहर शादी कर लेती थीं, तो उनको ज़मीन-जायदाद पर हक नहीं था, उनका हक कट जाता था, हालांकि उनको शरीयत भी मालिकाना हक की इजाज़त देती है।

चेयरमैन सर, बदकिस्मती यह है कि जो भी वहां सत्ता में रहे हैं, जो भी उनको सूट किया, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल transition के लिए उन्होंने वे कानून बनाये। यहां पर अगर आप rigging की बात करें, अगर 1987-88 के इलेक्शन में rigging नहीं होती, तो आज कश्मीर जो है, उसमें अमन होता। उस rigging की वजह से, वह कश्मीर की विरासत, वह कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी मुसलमान भाई को पढ़ाने वाला, वह उसको अरबी पढ़ाने वाला, वह उसको फारसी पढ़ाने वाला, चेयरमैन सर, उस समय के बड़े-बड़े साइंटिस्ट अपनी इज्जत लेकर रातों-रात एक दहशतगर्दी के साये में, जम्मू की गर्मी में यहां फरीदाबाद और देश की कई जगहों पर और पूरी दुनिया में - मेरे भी उस्ताद रहे हैं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मैंने वह वक्त देखा है कि कैसे एक उभरती हुई सिविलाइज़ेशन, एक दुनिया की बेहतरीन सिविलाइज़ेशन को अपना घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी।...(समय की घंटी).. सभापति जी, अभी शुरुआत है।

श्री सभापति: आपका समय 6 मिनट था, आप थोड़ा समय और ले लीजिए।

श्री गुलाम अली: सभापति जी, यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। वहाँ पर राजपूत फैमिलीज़ लैंड रिफॉर्म्स के लिए - मतलब मालिकाना हक से उनकी सरकारी जमीनें हो गईं। वहाँ ज्यादातर दो ही कम्युनिटीज़ थीं - राजपूत और गुज्जर, लेकिन पिछले 70 साल से - या तो उन्हें मालूम ही नहीं है - उन्होंने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। सर, यदि मैं आपको एक और बात नहीं बताऊंगा, तो वह नाइंसाफी होगी। हमारे भाई, अपोजिशन के मेम्बर,

तन्खा जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि मेरे कश्मीर के भाई हैं और जब जज्बात से बोल रहे थे, तो होम मिनिस्टर साहब ने भी उनका स्वागत किया, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि किस प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि Sky is the limit. चेयरमैन सर, इन्होंने कश्मीर के लोगों में, कश्मीर के नौजवान के दिमाग में दोहरी ज़ेहनियत क्रिएट की, ताकि वह 'to be or not to be' के चक्कर में फँसा रहे। ऐज़ ए शासक, कांग्रेस ने उन्हें भारत का कभी नहीं बनने दिया, लेकिन आज abrogation के बाद उनमें दुविधा नहीं है। सर, 2014 से पहले जम्मू से, कश्मीर से लोग भाग रहे थे। लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फॉरेन जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नरेन्द्र मोदी जी देश के वज़ीर-ए-आज़म बने और अमित शाह जी देश के वज़ीर-ए-दाखिला बने, तो लोगों के ज़ेहन में आज एक ज़ेहनी ठहराव है। पहले जिसकी एक दुकान थी, आज उसकी दो दुकानें हैं, पहले जिसके पास एक होटल था, आज वह दूसरा होटल बना रहा है, जो पहले खेत छोड़कर भाग रहा था, आज वह अपने खेत में खेती कर रहा है। सर, बात क्या है? इनसे बात बरदाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया! हम तो लाशों में जैड सिक्युरिटी में रहते थे और कुछ ही लोगों में..। सर, आज वहाँ पर अमन है। मैं सैटरडे को कश्मीर गया था। मैंने खेत में, प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में बच्चे खेलते देखे। ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी ज़ेहनियत खराब करते थे। इनसे पूछिए कि इन्होंने एक किसम से कश्मीर का, कश्मीर के नौजवान का कत्ल किया है।

सर, आज यहाँ पर गवर्नेंस की बात कर रहे थे, आज मेरा भाई बिजली की बात कर रहा था। सर, हमें होम मिनिस्टर साहब का थैंक्स करना चाहिए। आप जम्मू-कश्मीर के बारे में सियासत मत कीजिए। आज वहाँ पर अमन है। आप लोग 30 वर्षों के बाद गुलमर्ग में खेलने गए थे, गुलमर्ग में सैर और तफरी करने गए थे। आपको कल तक वहाँ कौन चढ़ने देता था, आप कल तक वहाँ डर के साये में थे। चेयरमैन सर, कल तक सौ रुपये जाते थे और दस रुपये मिलते थे। आज ये स्टेट की बात क्यों करते हैं? आज नरेन्द्र मोदी जी देश के वज़ीर-ए-आज़म हैं। आज अगर सरपंच के एकाउंट में 23 लाख और कुछ हज़ार रुपये जाते हैं, तो 23 लाख कुछ हज़ार रुपये ही जाते हैं, अगर किसान के एकाउंट में साल में 6 हज़ार रुपये जाते हैं, तो 6 हज़ार रुपये ही जाते हैं। सर, आज बिचौलिए खत्म हो गए हैं। पहले एक टेंडर 5 लाख रुपये का होता था और 2 करोड़ पर खत्म होता था, लेकिन आज पंचायत में 50 हज़ार रुपये के लिए भी टेंडर होता है। सर, यह इनको देखना पड़ेगा, लेकिन इनकी आँखें देखती नहीं हैं। सर, आँखें कैसे देखेंगी?

सर, मैं वैस्टर्न राजस्थान गया था। वहाँ एक मंत्री थे। मैंने अपने किसी कार्यकर्ता से कैंपेनिंग में पूछा कि क्या बात है, कोई सेंट्रली स्पॉसर्ड स्कीम आई? उसने कहा, जनाब, मंत्री साहब के भाई पंचायत प्रमुख हैं, उनसे बात करेंगे। मैंने कहा कि क्या पानी की कोई दूसरी स्कीम आई, वह बोला, नहीं, उनके दूसरे भाई जिला प्रमुख हैं। मैंने कहा, कोई और स्कीम आई, तो फिर उसने कहा कि उनसे बात करेंगे। सर, देखने वाली आँखें चाहिए। हमें 'मैं' से 'हम' में आने में समय लगता है। सर, दस हज़ार वोट पर है एमपी। आज हम श्री टियर बरदाश्त नहीं करते हैं। श्री टियर में बीडीसी - ब्लॉक प्रमुख - आज एक जिले में चौदह लीडर बने हैं। हमें लीडरशिप बरदाश्त नहीं - आज डीडीसी चेयरमैन, ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल - इनसे यह सब कैसे बरदाश्त होगा, क्यों बरदाश्त होगा? सर, मैं कश्मीरी पंडितों, रिफ्यूजीज की बात कर रहा था। 70 साल के बाद हमने उन्हें 5.5 लाख दिया। किसने रोका था? धारा 370 के लिए उधर वालों को थोड़े ही रोक थी! मतलब यह

कि जो मर्जी वाला था, उसे वे ले गए। जो लोग वहाँ से आए हुए हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं, यह उन्हीं को मालूम है।

सर, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह इम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरह से एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़) एक्ट और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कहना चाहता हूँ। सर, अकबर कमीशन बना। एक कॉस्टिच्युएन्सी का सिर कहीं, पैर कहीं, मतलब यह देखा गया कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है। सर, अगर मैं आपसे यूनिवर्सल सीज़फायर के बारे में कहूँ, तो इन्होंने यह इसीलिए किया था कि हमारी हेजेमनी रहे। इन्होंने कश्मीर के कश्मीरी को भी वह फायदा नहीं दिया। वहाँ उसको गुज्जर बोलते हैं, पहाड़ी या गुज्जर या डोगरा तो दूर की बात है। मैं नरेन्द्र मोदी जी को मुबारकबाद दूँगा कि वे कम से कम यह काम कर रहे हैं। सर, टूरिज्म की बात हुई। दो करोड़ टूरिज्म! दस चीजों को जीआई टैग! टूरिज्म के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि बुजुर्ग, जो ओल्ड कपल्स हैं, इस वक्त कश्मीर को बेस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं और वे वहाँ अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। आज वहाँ फॉरेन टूरिज्म बढ़ा है। आज फॉरेन से लोग इन्वेस्टमेंट करने जम्मू-कश्मीर आते हैं। सर, ये चाहते हैं कि खून-खराबा हो, हम 5 हजार-10 हजार वोट लेकर एमएलए-एमपी बनें। आप भूल जाइए, वह वक्त चला गया। अब वह वक्त आने वाला नहीं है। वह दफना दिया गया है, अब वह नहीं आएगा। पहले जब कमिटमेंट करते थे, तो वे लंदन में बैठ कर बारगेनिंग करते थे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओगे, तब आऊँगा। अब वह वक्त चला गया है। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं डा. फारूक साहब को कहूँगा कि अब लंदन से बारगेनिंग नहीं होगी। लकड़ी वाले, लोहार, ओबीसी कम्युनिटी, उनको 70 सालों में पूरे देश में जहाँ 27 परसेंट रिजर्वेशन मिला, लेकिन आपने उनको 2 परसेंट दिया। आपने सर्वे करना तक गवारा नहीं समझा। मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने सर्वे करवाया और आज वे इज्जत से बिल ला रहे हैं। सर, अपनी पीड़ा वही बयान कर सकता है - आज नरेन्द्र मोदी जी ही ओबीसी की पीड़ा फील कर सकते हैं, क्योंकि वे ओबीसी से हैं। One cannot feel beyond his judgement. सर, ये कहते हैं कि वहाँ मुसलमान खतरे में है। महज जम्मू-कश्मीर एक ऐसा इलाका है, जहाँ देश में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आयुष्मान कार्ड पर फैसिलिटी मिलती है। जम्मू-कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। वहाँ सबको, छोटे को, बड़े को, किसान को, गरीब को, अमीर को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है। सर, ये देखते नहीं हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ऊँची जाति के लोग, जो गरीब थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के नरेन्द्र मोदी जी की रहनुमाई में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फायदा मिला है।

सर, बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से माइनॉरिटी एक्ट, एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़) एक्ट, जुवेनाइल एक्ट के बारे में है। कल कश्मीर में अनंतनाग में विमेन एम्पावरमेंट पर शिक्षित भारत का एक प्रोग्राम किया गया। लोग उसे सुनने आते हैं, लोग उसे देखने आते हैं। पहले कश्मीर में दो फसलें होती थीं, आज वहाँ तीन फसलें हो रही हैं।

सर, पहले बैम्बू की आड़ में इतनी बॉम्बार्डमेंट होती थी कि आप सोच नहीं सकते। आज ये टेररिज्म की बात करते हैं। जब पाकिस्तान से इंफिल्ट्रेशन होता है, तो वे एक हजार बार सोचते हैं कि मैं जाऊँ कि नहीं और 99 परसेंट भाग जाते हैं। आज बॉर्डर पर हमारी फोर्सिज इतनी मजबूत है। सर, आज टेररिस्ट्स बौखलाहट में हैं। आज हमारे कोई भाई टेररिज्म की बात कर रहे थे कि अभी यह खत्म नहीं हुआ है। आपने टेररिज्म को देखा नहीं है। कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल

पार्टी सत्ता में थी, आप उसको जानते हैं। मैं उनका नाम क्यों लूँ कि वहाँ कौन सत्ता में थे? वे डेड बॉडीज़ पर, लाशों पर हुकूमत करते थे। आज लाशों पर कोई हुकूमत नहीं कर रहा है। आज कश्मीर के लोग खुद चुनेंगे, वे खुद अपने लोगों को चुनेंगे। वह वक्त आने वाला है, यह मैं जानता हूँ। मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। अब वह पैसा डायवर्ट नहीं होगा। अब टेक्निकल एयरपोर्ट पर मेरे गेस्ट्स नहीं आयेंगे। आज देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, आज देश के वज़ीरे दाखिला अमित शाह जी हैं, तो आज वह पैसा डायवर्ट नहीं होगा। आज जिसको पैसा भेजेंगे, वह उसी को जाएगा। आज कश्मीरी पंडित भाई सोचते हैं कि हम अपनी जायदाद छोड़ कर भाग गये थे। आज ऐसा कानून भी आ गया है कि उनकी जायदाद उनको वापस मिलेगी। सर, उनको जायदाद वापस मिलने के बारे में किसने मना किया? वे पिछले 35 सालों से दर-ब-दर थे। उनको किसने मना किया? आज टेररिज्म के ईको सिस्टम को खत्म किया गया है। टेररिज्म का ईको सिस्टम क्या होता था? हम ऊपरी तौर पर टेररिज्म के ईको सिस्टम को देखें, तो उनकी जो फंडिंग थी, उनका जो नेटवर्क था, over-ground उनका जो कुछ था, NIA ने, SIA ने आज थोड़ा सा - सर, जो इसकी मुखालफत करते हैं, वे civilian deaths के बारे में compare करें, उसके बारे में पढ़ें, उनको किसने मना किया है? आप civilian deaths का comparison कीजिए। आज वह nil है, stone pelting nil है, कलेंडर nil है, civilian killing nil है, इसलिए आपको उन्हें थोड़ा thanks तो कर देना चाहिए था। आप सब लोग भी कश्मीर घूम कर आये होंगे। आप डायरेक्ट नहीं बताते, वह एक अलग बात है। हमें जम्मू-कश्मीर के मामले में थैंक्स करना चाहिए कि वहाँ अमन, peace से आगे बढ़ते हुए अब इलेक्शन और अन्य सारी चीजें होंगी। three-tier election को भी आप election समझिए। शुक्रिया, जय हिन्द!

श्री सभापति : श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल। मैडम, आपके 4 मिनट हैं। ...**(व्यवधान)**... पहले वाले स्पीकर ने ज्यादा समय ले लिया। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : सर, आपने कहा था कि और बढ़ा देंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : 4 मिनट।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, आपका धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप मुझे दो मिनट का समय और देंगे।

श्री सभापति : बोलिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के abrogation के बाद जो भी बिल आया है, चाहे वह reservation का हो या reorganization का हो, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए यहाँ खड़ी हूँ।

महोदय, मुझे 5 अगस्त, 2019 का दिन याद है, जब हमारे सामने बैठे हुए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सभागृह में - जब पुरानी बिल्डिंग थी, उसके पटल पर बोला था, आश्वासन

दिया था कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहाँ पर हम चुनाव भी कराएँगे और उसको स्टेटहुड भी देंगे। वह मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अभी 4 साल हो गये हैं। एक तो वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, इसे कबूल कीजिए, क्योंकि हर रोज वहाँ कोई न कोई घटना घटती जा रही है, हर रोज target killing हो रही है, आतंकवाद थम नहीं रहा है और फिर आप चुनाव भी नहीं करा रहे हैं। आप न तो चुनाव करा रहे हैं, न ही स्टेटहुड ही वापस दिया है। जो जम्मू-कश्मीर देश का ताज कहा जाता था, उस जम्मू-कश्मीर को अपनी ही रियासत माँगने के लिए आपके सामने आज घुटनों पर आना पड़ता है, यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है।

सर, भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किये थे, आज वे खोखले दिख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का अभिनन्दन करना चाहती हूँ। हम दो विषय बार-बार माँग रहे थे, जिनकी चर्चा होती थी। मैं हर पंद्रह दिन में जम्मू-कश्मीर जाती हूँ। वहाँ लोग बोलते थे कि हमें कुछ मत दो, हमें हमारी रियासत वापस दे दो और हमारे यहाँ चुनाव करवा दो। ये दो चीजें वे चाहते थे और ये दोनों ही चीजें देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनन्दन करना चाहती हूँ।

सर, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह लिख कर दिया था कि हम 31 दिसम्बर, 2023 के पहले वहाँ चुनाव करा लेंगे। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया है कि 30 सितम्बर, 2024 तक वहाँ चुनाव होना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जो अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, उसके लिए इनके मुँह पर यह एक बहुत बड़ा चपराक है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यहाँ पर बार-बार कही गई है। कश्मीरी पंडित हों, जेएंडके के लोग हों, एससी-एसटी, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर हों, जब ये सभी लोग जम्मू-कश्मीर का अभिन्न अंग बनते हैं, जब आप इन्हें आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बोलते हैं, ऐसे में अगर आप इन लोगों को साथ में नहीं लेंगे, तो आइडिया ऑफ इंडिया कहाँ जाएगा? कश्मीरी पंडित 33 साल से अपने ही देश में विस्थापित होकर रह रहे हैं। सर, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, हम उनके बहुत से लोगों से मिले। जब अपने ही देश में विस्थापित होकर कहीं रहना पड़े, तो यह सबसे दुख की बात है और यह कश्मीरी पंडितों को करना पड़ा। जब तक उन्हें पूरी सहूलियत से घाटी नहीं ले जाते, तब तक आइडिया ऑफ इंडिया का दावा खोखला रहेगा। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए जो भी दिया है, उनमें से एक महिला है, एक पुरुष है और एक एससी-एसटी, बकरवाल के सदस्य हैं। It is too little, too late. मैं यहाँ सभा पटल पर एक बात रखना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा में जब हमारे नेता राहुल गाँधी जी जम्मू-कश्मीर आए थे, तब उन्होंने हर कश्मीरी पंडित का दुख महसूस करने की कोशिश की थी। Jagti में उनके rehabilitation camp हैं, वे वहाँ पर गए, उनसे मिले और सब लोगों से बात करके, उन्हें गले लगाकर, उनका दुख-दर्द समझने की कोशिश की। जब धारा 370 की बात निकलती है, तो इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वे स्वयं एक कश्मीरी पंडित थे - पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे... ..(समय की घंटी)... मैं एक मिनट और लूँगी। अमित शाह जी ने उन्हें भी कटघरे में खड़ा करने में कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से उनके ऊपर चर्चा की जाती है, जिस तरह से उनके बारे में कुंठित तरीके से बोला जाता है, मुझे इसका बहुत दुख होता है। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आपको आने वाला जमाना कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब कश्मीर का हिन्दुस्तान में शामिल होना तय नहीं हुआ था, तब फारूक अब्दुल्ला के कहने से हमारे पंडित नेहरू जी, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने यह

फैसला लिया था, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसके ऊपर साइन नहीं किए। जो हमारा ऑर्डर होता है, उसके ऊपर साइन नहीं किया। पाकिस्तान के जो कबायली लोग हैं, वे एयरपोर्ट तक आ गए थे, तब उन्होंने बोला कि मैं अब इसके ऊपर साइन करता हूँ, तब जाकर साइन करने का निर्णय लिया गया और फिर कबायली लोगों ने एक हमला कर दिया। सर, अगर जम्मू-कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग बनाने का श्रेय किसी को जाता है, तो मैं आप सभी को नम्रता से कहना चाहती हूँ कि वे सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनकी वजह से जम्मू-कश्मीर हमारे हिन्दुस्तान में आया। यह सच है। अगर सच सुनना पसंद नहीं है, तो मत सुनिए, लेकिन सिर्फ पंडित नेहरू ने ही जम्मू-कश्मीर को अपने देश में संलग्न कर दिया। हमारे परिवार में जब कोई पुरुष बहुत अच्छा काम करता है और वह बूढ़ा हो जाता है, तब उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है! हमें भी सबका अनुभव पता है। उस बेचारे ने पूरे घर के लिए, बच्चों के लिए इतना किया होता है, फिर भी आप उन्हें ही आँख दिखाएंगे और पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो यह सही बात नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि कम-से-कम उनकी अवेहलना मत करिए। सर, मैं दो मिनट और लूँगी।

MR. CHAIRMAN: Yes, take your time.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, इन लोगों ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए हैं, लेकिन मैं ज्यादा पीछे नहीं जाते हुए बोलूँगी कि फरवरी, 2021 में स्वर्गीय आकाश मेहरा, जो श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबे के मालिक थे, गुलाम अली साहब, वे आतंकी हमले में मारे गए। मैं आपको पूरी लिस्ट दे देती हूँ कि कितने लोग मारे गए हैं। मार्च में लवायपोरा में एक आतंकी हमले में तीन जवानों की शहादत हुई। मार्च के ही महीने में म्यूनिसिपल काउंसलर और एक जवान सिपाही को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह सब बातें सरकार के खोखले दावों को खुला कर देती हैं। सर काँग्रेस का नाम लेते हैं, लेकिन जब अत्यंत कठिन परिस्थिति थी और जब आतंकवाद को थैमान मच रहा था, तब श्रीनगर में हमारी काँग्रेस के कितने ही लोग मारे गए। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए, तो मैं authenticate कर दूँगी। इसमें सबसे ज्यादा काँग्रेस के लोग मरे हैं। इसमें मंत्री, स्पीकर सब मरे हैं। हमारी काँग्रेस का खानदान, डीएनए ही ऐसा है कि हमारे यहाँ इस देश के लिए हरेक ने जान दी है - चाहे वह इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, सभी जान दे-देकर यहाँ तक आए हैं और ये आजकल के बच्चे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है! अगर यह देश खड़ा है, इस देश में आप बोल रहे हैं, तो यह हिम्मत, यह ताकत आपको काँग्रेस पार्टी की वजह से मिली है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप मिलिटेंसी के टाइम में कहाँ थे? सरकार के दावों को झुठलाते हुए बहुत मासूमों ने अपनी जान गवाई। सर, मैं गुलाम अली साहब को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि ये हमारे सदन में एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो जम्मू से आते हैं। पहले मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन अभी-अभी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि पहले वहाँ एक दुकान थी, लेकिन अब दो दुकानें हो गईं, ठेकेदारी बढ़ गई। गुलाम अली साहब, ठेके किसको देते हैं? आप गुजरात के लोगों को वहाँ लाकर ठेके देते हैं। वहाँ के लोग कहाँ हैं? आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को नहीं देते हैं, सिर्फ गुजरात के लोगों को ठेके दिए जाते हैं, उनके पैसे

भरे जाते हैं। आप क्या कहते हैं? चाहे हॉर्टिकल्चर हो, सरकारी सेक्टर हो या जो इंडस्ट्री मानी जाती है, सभी जगहों पर यही हालत है। आज के दिन हमारे 10,000 लोग घर में बैठे हुए हैं।

MR. CHAIRMAN: Madam, you have taken twice the time.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, मैं बताना चाहूँगी कि अभी विजयसाई रेड्डी जी ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने इंदिरा जी के बारे में भी बोला। इंदिरा जी ने ही सबसे पहले कश्मीर के लिए रास्ते तैयार करने का काम किया। All regions were covered by medical colleges during the UPA regime. अभी अमित शाह जी जम्मू-कश्मीर में आईआईटीज और आईआईएम्स के बारे में बोल रहे थे। वहाँ आईआईटीज और आईआईएम्स की शुरुआत किसने की? वह कांग्रेस पार्टी ने की। वहाँ पर हमने आईआईटीज और आईआईएम्स की शुरुआत की। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक फोर लेनिंग हमने की है, 33 परसेंट रिज़र्वेशन हमने किया है, rehabilitation package मनमोहन सिंह जी ने दिया है। वहाँ कश्मीरी पंडित अभी भी रहता है, जिसको इन्होंने पाँच लाख रुपये देने का वादा किया था, वह भी नहीं दिए। ये 'कश्मीर फाइल्स' पिक्चर निकालते हैं। कहाँ की कश्मीर फाइल्स, पहले अपनी फाइल खोलकर देखिए। सर, मैं यह भी बताना चाहूँगी कि बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडितों के लिए पहली बार रिज़र्वेशन दिया था, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। Maharashtra was the only State, जहाँ पर उनको जो रिज़र्वेशन मिला, वह बाला साहब ठाकरे ने दिया था।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, जैसा मैंने कहा, जिस तरह से परिवार के बच्चे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, उस समय जो दुख और दर्द होता है, वही दर्द हमें होता है। जब लोग ऐसे अनाप-शनाप कमेंट्स करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, मैं अंत में एक ही बात कहूँगी कि जम्मू-कश्मीर में three seats का जो नॉमिनेशन है, उसको लिमिट मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो माइग्रेटेड लोग हैं, उनको मोहाजिर बोलते हैं और हमें यहां मोहाजिर नहीं बनाने हैं। वे हमारे लोग हैं, उनको हम मोहाजिर क्यों बनाएँ? उनको वह मत बनाइए। हमारे जो गुज्जर और एससी-एसटी के लोग हैं, उनको मोहाजिर मत बनाइए। सर, आपको मालूम है कि सिक्किम में सांगा-32 किया गया है। अगर आप ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं, तो जैसा सिक्किम में सांगा-32 किया गया है, वैसी कोई व्यवस्था आप करें।

मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि जब हम यहाँ पर अपनी बात कहते हैं, तो कोई इस तरह से न बोले, जिससे हमारे लोगों को नीचा दिखाने का काम किया जाए। यह पार्लियामेंट है, बहुत उच्च सदन है, सर्वोच्च सदन है, यहाँ पर हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह

यह कहा जाता है कि पहले कुछ भी नहीं हुआ, अभी-अभी हिन्दुस्तान का जन्म हुआ है, यह मुझे थोड़ा बुरा लगता है।

MR. CHAIRMAN: As against four minutes, I have given her eleven minutes.

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Thank you, Sir.

श्री सभापति: क्या आपको पता है, मैंने आपको इतना समय क्यों दिया? जब आप जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में थीं, हँस रही थीं, आनंदित थीं, मैंने आपको फोन किया था। वह भी एक तस्वीर थी, जिसका आपने जिक्र नहीं किया।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अभी और बोलूँगी।

श्री सभापति: आपने मुझे संकट में डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डीएनए ऑथेंटिकेशन की बात करूँ या नहीं करूँ? आपने तो कह दिया।

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: You are always there with us.

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. M. Thambidurai. You have three minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak. Today, hon. Home Minister, Shri Amit Shah has brought two Bills, namely, the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023. Sir, our party, AIADMK is always for social justice. In this Bill, they have brought the concept of Other Backward Classes as declared by the Government from time to time. The proviso has the category of Socially and Educationally Backward Classes. As a lawyer, you know that Socially Backward Classes is an accepted thing. Educational backwardness may change. It is not a permanent thing. Anybody can do that. When we say 'socially,' in our caste system we are facing it in India. That is why our AIADMK Party is for social justice. Our former Chief Minister Puratchi Thalaivar MGR provided 69 per cent reservation for the Backward Classes and the Scheduled Castes. In the same way, our former Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma Jayalalithaa also insisted on providing social justice and reservation to the Socially Backward Classes and the Scheduled Tribes. It was included in the Ninth Schedule of the Constitution. That is why she was called Social Warrior. The present Government has recognized 'Socially

Backward'. We appreciate that 'Socially Backward' has been included which is also AIADMK Party's objective.

The second Bill is the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023. It talks about reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. That also they have mentioned. Our Dravidian Party's objective is to see the upliftment of socially oppressed classes like the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Socially Backward Classes. These are the things which we have to achieve. (*Time-bell rings.*) I appreciate that. At the same time, I am requesting the present Government, because social order is there in Jammu and Kashmir, to conduct early elections. Democracy must be restored in that area. I am hoping that the Government will come forward and conduct elections in Jammu and Kashmir.

MR. CHAIRMAN: Shri Biplab Kumar Deb. You have six minutes.

श्री बिप्लब कुमार देव (त्रिपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे 6 मिनट बोलने का समय दिया है। महोदय, वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ-साथ जिन हिन्दुस्तानियों पर अत्याचार करके निर्मम तरीके से मार दिया गया है, बहुत सारी बच्चियों, माताओं और बुजुर्गों को मार दिया गया है, उन आत्माओं को स्मरण करते हुए अपने 6 मिनट के समय में से एक मिनट का समय ओम शांति के नाते देना चाहता हूँ। महोदय, मैं उन आत्माओं को स्मरण करना चाहता हूँ।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

महोदय, दुनिया में बहुत लोग विस्थापित होते हैं, किंतु जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, उसका जो दर्द है, हम सभी लोगों को उस दर्द का एहसास करना चाहिए। बिल आते-जाते रहते हैं। आज ये दो अमेंडमेंट्स आए हैं, इनमें आरक्षण के बारे में विस्तृत बात हुई है, किंतु हमारी न्यू जनरेशन को उच्च सदन के माध्यम से मालूम होना चाहिए कि उस समय कश्मीरी पंडितों और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था। आज पूरे देश को उस एहसास को समझना चाहिए। आज एक ऐतिहासिक दिन है। 5 और 6 अगस्त, 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को सदन के माध्यम से विलुप्त कर दिया गया था। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही आज ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है। उस समय जो सिद्धांत लिया गया था, वह सही है। सर, इन आत्माओं को स्मरण करने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए 70 साल लग गए। हम मानव अधिकार कमीशन की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं। आज जब माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार आई, तब जाकर उन आत्माओं को शांति मिली है, आज उनको अधिकार मिल रहा है।

उपसभापति महोदय, मैं नॉर्थ-ईस्ट से आता हूँ और छोटे होते हुए भी जम्मू-कश्मीर के आर्टिकल 370, 35(ए) और कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार होता था, उसके बारे में मैंने अपने परिवार से सुना था। आपने पढ़ाई-लिखाई की है, तो स्वाभाविक तौर पर आना है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए गए थे और विस्थापित किए गए थे, 1947 में देश स्वाधीन हुआ था। जब भी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई-चाहे 1971 की हो, 1962 की हो और जब देश 1947 में स्वाधीन हुआ, तब हो, तो बार-बार कश्मीरी पंडित, जैन, बौद्ध, सिख-इन सभी लोगों के ऊपर अत्याचार करके इनको, जिनको हम भू-स्वर्ग मानते हैं, हमारा मुकुट मानते हैं, भारत का ताज मानते हैं, तो इनको बार-बार दहशतगर्दी में और जो उस सोच में बैठे हुए लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनके कारण से हमारे देश के संविधान, हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की महिला, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के सनातन-सबको लगातार खत्म कर दिया गया है। आज यहां से बहुत सारी चीजें बोलते हैं, किसने किया, किसने नहीं किया, वह बात नहीं है, बात यह है कि उनके साथ न्याय माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने किया है। यह बात सच है। महोदय, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक मिनट का समय शहीदों के लिए दूंगा और मेरे पास एक मिनट का समय था, तो मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Fauzia Khan; three minutes.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, the reply of the Home Minister in the Lok Sabha expresses an inclination to restore normalcy in the region, to provide justice to displaced and deprived, and to deal effectively with the menace of militancy. Militancy is that cancer which has constantly been eating away into the beauty, the splendor, the magnification, the peace and the happiness of our paradise on earth.

Sir, history has given us and the world two formulae to deal with such situations. Number one is to take up arms and number two is to extend an arm. One formula was given by Hitler and the other was given by Mahatma Gandhi. Now, we have to decide which one of them is a more effective tool. Mahatma Gandhi's formula recommends winning the faith of the people, to help, to assist and to nurture through love. To win the faith of the people, you need to walk into their hearts; you need to understand their feelings, sentiments, pains, problems, aspirations, etc. For this, you will have to listen to the voice of the people. Martin Luther King had very well said that darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. Today, internet is vital for listening to the voice of the people. Internet shutdowns shut down the voice of the people. For normalcy to return, the Government must acknowledge the importance of an open internet. When we talk about empathy and feeling the pain that the people endured, what pain can be greater than a severe winter without electricity? Sir, coming to my last point, this area has seen massive political and communal conflict, the repercussions of which

are still being felt across generations not just by the displaced and the deprived but also by the rest of the population. It has left the region with a huge mental health burden. The National Mental Health Survey conducted in 2015-16 showed probable depression of 41 per cent, probable anxiety of 26 per cent, probable PTSD of 19 per cent. Sir, Tele MANAS has been initiated in Kashmir, a provision of tele-psychiatry services, launched on 4th November, 2022. The Centre has so far received 4,000 calls. The people with mental illness from every district are seeking professional help. ...(*Time-bell rings.*)... Sir, please give me just one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. FAUZIA KHAN: Thus, it becomes extremely crucial to hear the plight of people and work according to their grievances. When we create hope and opportunity in the lives of others, we allow love, decency and promise to triumph over cowardice and hate. This Bill is about acknowledging the beating hearts of Jammu and Kashmir. Let us bridge the gap between promises and reality as their dreams deserve to be nurtured, not neglected. When we talk about GDP, let us talk about gross domestic happiness in the valley. I will end my speech with a couplet. सर, गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहां वे हर तीन महीने में जाते हैं और सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं। उन्होंने कहा था कि वहां हर चीज में उन्हें सुख-समृद्धि नजर आती है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : आपका एक मिनट पूरा हो गया।

डा. फौजिया खान : सर, मैं इतना ही कहूंगी कि कहीं ऐसा न हो जाए कि

*"उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पर रौनक,
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है"*

तो कहीं बीमार का हाल वे अच्छा न समझते हों, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री उपसभापति : माननीय सुमित्रा बाल्मीक। आपके पास तीन मिनट का समय है।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आज महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जैसे महत्वपूर्ण न्यायप्रिय विधेयकों पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। महोदय, पहले तो मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज न्याय की जीत हुई है, मोदी जी की जन भावनाओं की जीत हुई है। आज उच्च न्यायालय ने भी

धारा 370 के पक्ष में निर्णय देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। देश के आजाद होने के बाद भी 70 सालों में वहां समाज की आधी आबादी, महिलाओं को न्याय नहीं मिला - घुट-घुट कर जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं और पुरुषों को जन्म देने वाली महिलाओं को न्याय नहीं दिया गया। उनकी लगातार अनदेखी की गई है या मैं यह कहूँ कि उन पीड़ित महिलाओं को शादी होने के बाद अपनी जन्मभूमि से बेदखल कर दिया जाता था, उनके परिवार की मूल जड़ों से उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि 1950 में जम्मू-कश्मीर में घोर संकट आया। तब पंजाब से 201 विशेष समुदाय की महिलाएं, बच्चे और पुरुष परिवार सहित वहां लाए गए। संकट खत्म होने के बाद महिलाओं, बच्चों, पुरुषों सहित उन 200 लोगों को न तो वहां नौकरी मिली, न वहां नागरिकता मिली और न ही रहने को छत मिली। उन बच्चों और महिलाओं को नारकीय जीवन जीना पड़ा। महोदय, ऐसे संकट काल में सबसे ज्यादा यदि पीड़ा किसी ने भोगी है, तो वहां की महिलाओं ने भोगी है, जिनको जम्मू-कश्मीर से बेदखल किया गया है। वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। मेरी बहन अभी कह रही थीं कि उनको मत भूलो, जिन्होंने देश में बड़ी भूमिका निभाई है। तब ये क्यों चुप थे जब महिलाओं को वहां पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और परिवार को वहां से भगाया गया? तब वहां के और हिंदुस्तान के लीडर सो रहे थे या विदेश में रह रहे थे! यह जवाब उन्हें यहां पर देना चाहिए, जो अभी यहां इतनी हिमाकत की बात कर रही थीं। मैं कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा धारा 370 समाप्त होने के बाद वहां की महिलाओं को सबसे ज्यादा न्याय मिला है।

5.00 P.M.

उनके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प के कारण, माननीय गृह मंत्री जी की कार्यकुशलता के कारण और निष्पक्ष कुशल रणनीति के कारण आज अजेय परिणाम आ रहे हैं। आज कश्मीर में निर्भय होकर सम्पन्नता बढ़ रही है। **...(समय की घंटी)...**

महोदय, मुझे एक मिनट और बोलने का मौका दे दीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ-

"लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई।"

मैं विपक्ष को दो लाइनों में आईना दिखाना चाहती हूँ-

*"एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा था,
तुमने आंखों में देखा नहीं, वह आंसुओं का समंदर।"*

महोदय, अगर सच कहूँ, तो सदी में एक महामानव आता है और वह महामानव आज मोदी जी के रूप में पूरे हिंदुस्तान को मिला है, जिसने वर्षों से जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के पैरों में जकड़ी बेड़ियों को आज धारा 370 हटाकर मुक्त कराया है। **...(समय की घंटी)...** मैं जम्मू-कश्मीर

आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 का पुरजोर समर्थन करती हूँ।

श्री उपसभापति : माननीय कार्तिकेय शर्मा जी, आपके बोलने का समय तीन मिनट है।

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise in favour of these two Bills, the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023. Thank you very much for allowing me to speak on this historic Bill. The passage of this Bill shall undo the injustice that has been done to the people of Jammu and Kashmir. Those who oppose this Bill should understand what the people of this country want. I would like to quote a Hindi *sher* by Nawaz Deobandi.

'जलते घर को देखने वालो, फूस का छप्पर आपका है।
पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है।'

Sir, it was the year 2022, I was at Lal Chowk at Srinagar; we all know about the infamous Lal Chowk, which was once the town hall of terrorism. It was a place that remained heavily guarded, where peace and freedom were unheard of. I happened to be at that place and had the pleasure of hosting the first ever live television debate from Lal Chowk. When I was doing that show, I saw *Tirangas* everywhere and I was compelled to think of our hon. Prime Minister when he undertook the *Ekta Yatra* in 1991 and hoisted the tri-colour at Lal Chowk at a time when it was unimaginable to hoist even a single *Tiranga*, let alone a rally. I remember I was ten years old and it left an imprint in my mind which still stays with me. The place has become completely reformed by 2022. It has become a place of calm, positivity and vigour. Today, there is peace. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठकर आपस में बात न करें।

SHRI KARTIKEYA SHARMA: The people can easily go in hundreds and thousands of numbers. Jammu and Kashmir has broken various records in the field of tourism after decades. Last year, the Union Territory welcomed 1.88 crore tourists and this year, it is set to cross two crore tourists here. The festival of democracy is being celebrated in Jammu and Kashmir from a time when *Tiranga* was not visible. Today almost every house fearlessly hoists the *Tiranga* celebrating '*Ek Desh Ek Samvidhan, Ek Jhanda, Har Ghar Tiranga*'. As per the data available, there are currently 46,517 families having

1,58,976 persons registered with the relief organisation of the Government of Jammu and Kashmir who have got registered over a period of last three decades. While we talk of the rights and justice for the people of Jammu and Kashmir, we must think of it as social, political and economic rights. The original Reorganisation Act is proposed to be amended with a view to provide representation to Kashmiri migrants, displaced persons from Pakistan Occupied Jammu and Kashmir and the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir so as to preserve their political rights as well as for their overall social and economic development. The Reservation Amendment Bill proposes to change the nomenclature of weak and underprivileged class, social class to Other Backward Classes which is a wider, constitutionally valid and more empowering definition. So, the abrogation of Article 370 has spurred unprecedented economic growth in the valley. Travel and tourism has picked up. Thanks to the environment of peace and prosperity that has been made possible by the Modi Government. Local business and industries have started to thrive again. With 'the ease of doing business' measures undertaken, multiple large corporations are now looking to set up their offices in Jammu and Kashmir. Sir, I am an Independent Member, I don't have a party to take time from. So, I will seek your indulgence to complete my speech. From hosting of the G20 meetings to the social sector, which is also thriving with open, fearless and productive public interactions; education and healthcare is finding itself in the middle of policy implementation with multiple youth-centric initiatives being taken. इस सरकार ने डर के माहौल को आशा, अमन और उम्मीद के वातावरण में बदलने का काम किया है। Sir, the youth of Kashmir is not different from the youth of the rest of the country. They want opportunities, they want education, they want growth and they want prosperity. This Bill seeks to undo the political injustice and usher in an era of new energy and representation to the people of Jammu and Kashmir equitably. No speech about Kashmir is complete without the famous couplet by Amir Khusrau.

*'अगर फिरदौस बर-रु-ए-जमीं अस्त
हमीं अस्त ओ हमीं अस्त ओ हमीं अस्त'*

If there is paradise on earth, it is this, it is this. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the hon. Home Minister are committed to restoring the region of Jammu and Kashmir back to its rightful title, 'Firdaus'. And, hence, I support the Bill. As today, the hon. Supreme Court has ratified the decision, bringing an end to any criticism and dissent that has been meted out to this Bill. So, I support this Bill and urge all Members to heartily welcome this initiative. Thank you very much.

श्री उपसभापति : राकेश सिन्हा जी, आपके पास 6 मिनट हैं।

श्री राकेश सिन्हा (नामनिर्देशित): उपसभापति जी, 1 जून, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में इशरत नबी से बात की। महोदय, इशरत नबी वह महिला है, जो उस बारामूला जिले से आती है, जो आतंकवाद से पीड़ित था। आज इशरत नबी एक डेयरी चलाती है और 150 लीटर दूध बेचती है। जो बारामूला आतंकवाद का केंद्र था, आज वह 5.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है, new white revolution का केंद्र बन गया है। जहाँ खून की नदी बहती थी, आज वहाँ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी योग्यता से, अपनी कर्मठता से दूध की नदी बहा दी है। यह इस सरकार का वह कर्तव्य है, वह कार्य है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है।

महोदय, यदि काँग्रेस की सरकारें अपनी ही पार्टी की बात मानतीं, तो 41 हजार लोग - जो अधिकृत आंकड़े हैं, उनकी हत्या नहीं होती। 1990 से लेकर 2017 तक, 41 हजार लोग जम्मू-कश्मीर में मारे गए। इससे पहले 1964 में, जब आर्टिकल 370 को हटाने के लिए लोक सभा में प्रकाशवीर शास्त्री जी एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाए थे, तब लोहिया जी ने कहा था कि मैं इस काँग्रेस सरकार से यह नहीं कह सकता हूँ कि अपने पाँव पर खड़े हों, क्योंकि इनके पास पाँव नहीं हैं। ये टूटी लकड़ी के सहारे चलते हैं। तब एक सदस्य ने कहा था कि आप अपना पाँव दे दीजिए। इस पर लोहिया जी का जवाब था कि यदि पाँव मेरा होगा, मस्तिष्क इनका होगा, तो देश में बरबादी मच जाएगी। यह काँग्रेस पार्टी देश में वही बरबादी लगातार करती रही है। यदि ये अपनी ही पार्टी के हनुमन्तैया जी की बात मानते, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने लोक सभा में कहा था कि आप जम्मू-कश्मीर की नीति ईस्ट और वैस्ट को देखकर बनाते हैं। क्या हम पश्चिम के डिक्टेसन के आधार पर करेंगे या लोक सभा में जो डायरेक्शन होगा और जो सदन का डायरेक्शन होगा, उसके आधार पर करेंगे? महोदय, डिक्टेसन और डायरेक्शन की बहस चलती रही, लेकिन काँग्रेस पार्टी के द्वारा, जहाँ लोहिया जी थे, जहाँ जम्मू-कश्मीर के सभी सदस्यों ने एकमत से कहा कि धारा 370 हटा दो, नहीं हटाई गई। देश में खून की नदी बही और अंत में 5 अगस्त को एक ऐसे आर्टिकल को हटाया गया, जो न सिर्फ संविधान पर धब्बा था, बल्कि देश पर भी धब्बा बन गया।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह कर्म, अमित शाह जी द्वारा लाया गया यह बिल, जिसने कानून का रूप लिया, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई, जिसके लिए देश और दुनिया समझती थी कि शायद धारा 370 हटाने पर देश में अराजकता फैल जाएगी, देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने दिनकर जी के उस कथन को सिद्ध कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है,

*'है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में?
खम ठोक टेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़ //
मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।'*

प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने ऐसा ही धारा 370 को हटा कर किया। माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी ने जब इस बिल को इंद्रोड्यूस किया था, तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या

थी और उसी प्रतिक्रिया का परिणाम था कि ये सर्वोच्च न्यायालय तक गए। अभी तक इन्होंने हृदय से इसको स्वीकार नहीं किया है। ये तकनीकी रूप से इसे ऐसे ही स्वीकार कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर के निर्णय के बाद ये राम मंदिर को स्वीकार कर रहे हैं और अब 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसे स्वीकार कर रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में अभी भी 370 और बाबरी मस्जिद बैठी हुई है। इस पार्टी की, इस विचारधारा की नियति यही है कि इस देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएँ, इसलिए देश इन्हें बार-बार खारिज करता है।

सभापति महोदय, इस 370 के हटने के बाद पहले जम्मू-कश्मीर में जो एकलव्य और राधिका की कहानी चलती थी, अब वह नहीं चलती है। उस समय 257 सफाई कर्मचारियों को पंजाब से कश्मीर लाया गया था, चूँकि कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी। वाल्मीकि समुदाय के वे 3 हजार लोग किसी रोजगार के लायक नहीं थे, वे बाध्य थे। राधिका एक राज्य स्तर की एथलीट थी, लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। एकलव्य एक ग्रेजुएट था, उसे सफाई कर्मचारी बनने के लिए बाध्य किया जा रहा था। आज 370 हटने के बाद राधिका और एकलव्य की कोई ऐसी कहानी नहीं होगी, जो मानवता के ऊपर एक कलंक होगी। आज प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी जी ने हजारों राधिका और एकलव्य को समान अधिकार दिया है। जम्मू-कश्मीर में अब ऐसा वातावरण है।

जम्मू-कश्मीर के एक सदस्य ने, 1964 में जब उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पूछा था कि हम महाराष्ट्र से अलग कैसे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका उत्तर नहीं था। और कोई नहीं, स्वयं कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य, भागवत झा आजाद जी ने जब यह सवाल खड़ा किया कि ब्रिटेन और अमेरिका जो कहेगा, क्या उसके आधार पर हम कश्मीर की नीति तय करेंगे, लेकिन सरकार ने तब भी चुप्पी बनाए रखी। आज पहली बार देश में ऐसी परिस्थिति बनी है कि देश की सरकार संसद के आधार पर, जनता की इच्छाशक्ति के आधार पर निर्णय ले रही है। उसी इच्छाशक्ति का परिणाम है कि जिन रियासतों को 50 के दशक में सरदार पटेल ने इस देश में अंगीकार कराया था, इस देश में इंटिग्रेट कराया था, जम्मू-कश्मीर एक अपवाद के रूप में था, जिसे माननीय अमित शाह जी ने पूरा कर दिया है। इस देश में एकता का जो चक्र अपूर्ण था, उसे पूर्ण कर दिया गया है। 5 अगस्त, 2018 को यह इस सरकार की स्वर्णाक्षरों से लिखी गई एक कार्रवाई है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्थापित किया है। ...**(समय की घंटी)**...

सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिस प्रकार से इस देश की एकता और अखंडता के लिए लोग चिंतित रहते थे, उस चिंता का खोखलापन क्या था, मैं इस इंस्टांस से समाप्त करता हूँ। जिस डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, डिटेंशन में उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई, जो कि एक हत्या थी, उनकी माँ, जोगमाया देवी जी ने जब नेहरू जी से कहा कि मैं आपके पत्र से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपके पत्र के द्वारा आपकी संवेदना नहीं चाहती हूँ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मेरा पुत्र शहीद हुआ है, he is a martyr. उन्होंने शहादत के लिए एक न्याय माँगा और नेहरू जी ने किसी भी प्रकार की जाँच से इनकार कर दिया। जोगमाया देवी जी को न्याय नहीं मिला, लेकिन 370 को हटाने के बाद शायद डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जोगमाया देवी जी, दोनों को यह संतुष्टि हो रही होगी कि इस देश में ऐसी सरकार बनी, ऐसे शासक आए, जिन्होंने शहादत के परिणाम को इस देश को दिखाया। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो कहा था कि "एक देश में एक निशान, एक प्रधान", आज वही साबित हो रहा है।

...(समय की घंटी)... यह देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय पर्वत के नीचे आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होकर इस दुनिया में खड़े हैं। विकास और समृद्धि इस देश के चरण चूम रही है।

आज, अंत में, मैं विपक्ष से इतनी ही अपील करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के विकास के कार्यों को, देश की एकता और अखंडता के रास्ते को आप स्वीकार कीजिए। इसको अस्वीकार करके आप देश की जनता में दिनों-दिन अस्वीकृत होते जा रहे हैं। यदि आपको अपनी अस्वीकृति को थामना है, रोकना है, तो अपने पाँव में लगाम लगाइए और टूटी लकड़ी के सहारे मत चलिए। यदि चलना है, तो ऐसी लकड़ी ढूँढ़िए, जो लकड़ी आपको सहारा दे सके। आज प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को समृद्ध किया, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय राकेश जी। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, आपके पास तीन मिनट हैं।

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, our party is neither supporting the Bill nor opposing the Bill. We are neutral. We are supporting it because of the reservation. Our party has always remained positive every time for reservation which is happening through the Bill. But, I don't know if it is according to the will of the LG as it is happening in Delhi. It should not be happening in Jammu and Kashmir. So, immediately the statehood should be there. BJP is always trying for it. Even yesterday, one of the RSS leaders who was with me, was asking me 'what Abdul Wahab thinks about 'one nation, one election'? I did not give the name to you. I will authenticate here. ..(Interruptions).. He was asking me about 'one nation, one election'. If there is this thinking, then, in Kashmir, along with General Elections, the State election should also be held. Please don't delay it up to September, 30 as indicated by the Supreme Court. It should not be September 29. That is my first request. The second request is that the statehood should not be like the Delhi statehood. The 'LG business' should stop. 'The Lucky Goldstar of Korea', let them do the 'LG' business. We, in a democratic country, should not have this sort of a thing. Even Governors also, I don't want to tell this now here, wherever they are in non-BJP ruled States, the Chief Ministers are now Governors. That is happening in Kerala, Bengal or Punjab or wherever it is.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject.

SHRI ABDUL WAHAB: This is on the subject. I am talking about Kashmir. This should not happen in Kashmir. That is my real intention to tell about it. So, whatever they are

telling about this nomination by LG, that will be like what is happening in Lakshadweep. He is super. There is no value of an MP at all. He can be suspended, reinstated, suspended, just like that. So, my request to Amit Shahji and others is that we are talking about Kashmir, let there be one Kashmir. Take out the POK. Why are you always telling about POK and all? Let there be one Kashmir; one complete Kashmir; go for that. That is my only request. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You always conclude before time. Thank you, Abdul Wahabji. Dr. Anil Jain, you have six minutes.

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ।

मान्यवर, भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय से ही हम सब लोग जम्मू-कश्मीर का पूर्ण एकीकरण चाहते थे। यह हमारा प्रमुख मुद्दा था। 5 अगस्त, 2019 को देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री जी ने करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का काम शुरू किया। तब से लेकर आज तक कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर है। मान्यवर, 2019 से 2023 के बीच में जो कश्मीर में प्रगति हुई है, अगर यही काम 1950 में हो जाता, तो आज कश्मीर सशक्त होता, समृद्ध होता और आज हम सबको इसकी बहस नहीं करनी पड़ती। कश्मीर सुरक्षित भी होता, संरक्षित भी होता और सही मायने में देश दुनिया का स्वर्ग होता। लेकिन पंडित नेहरू की गलतियों के कारण आज कश्मीर ही नहीं, बल्कि पिछले 70 साल से देश यह भुगत रहा है। पंडित नेहरू ने अगर दोस्ती को ऊपर नहीं रखा होता, देश हित को ऊपर रखा होता, तो यह स्थिति नहीं होती। जब 26 अक्टूबर, 1947 को accession हुआ, वह पूर्ण accession था और उसमें शर्त लगाने का काम पंडित नेहरू ने किया, क्योंकि वे चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला इसमें शरीक हों और शेख अब्दुल्ला के हाथ में कमान जाए। देश का क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा, कश्मीरियत का क्या होगा, उनको इसकी चिन्ता नहीं थी।

मान्यवर, नेहरू जी ने एक गलती यह की कि उन्होंने कश्मीर के मामले को बगैर किसी जरूरत के plebiscite के नाम पर UNO ले जाने की बात की। UNO तीन साल पहले ही बना था। उस तीन साल पुराने यूएनओ में यूनिटैटरली अपना मामला ले जाने की बात कह दी, जिसके कारण से यह परेशानी हुई है। उसी कारण से, इन्हें 5 जनवरी, 1949 को यूनिटैटरल सीज़फायर करना पड़ा, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सीज़फायर नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से आज पीओके का मामला ही नहीं होता और पूरा का पूरा कश्मीर ही हमारा होता। हम आज भी यही नारा लगाते हैं - 'जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, वह सारे का सारा है' - यह सारे का सारा कश्मीर हमारा होता और हम इसे लेकर रहेंगे, यह हमारा pledge है। मान्यवर, नेहरू जी plebiscite में ले गए, नेहरू जी ने यूनिटैटरल कर दिया। नेहरू जी ने एक और गलती की। डॉ राजेंद्र प्रसाद जी की इच्छा के बगैर 35ए को भी लादा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते कि इस देश में 35ए आए, लेकिन नेहरू जी ने जबरदस्ती मनवाने का काम

किया। नेहरू जी की नीतियों के कारण बाद में झेलना पड़ा और शेख अब्दुल्ला को बाद में जेल में नेहरू जी ने ही डाला। यह उन्हें देर से समझ में आया। जब देश के लोग कह रहे थे कि इस पर विश्वास मत कीजिए, वे फिर भी नहीं माने। उन्होंने 1987 में फिर गलती की। 1987 में उन्होंने फारुक अब्दुल्ला को फिर इंग्लैंड से बुलाकर मुख्य मंत्री बनाने का काम किया और उन्हीं फारुक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी, 1990 में रिजाइन किया और 19 जनवरी को genocide हुआ, जिसे सारे देश और दुनिया ने देखा, अर्थात् इस व्यक्ति को पता था कि कल genocide होने वाला है और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां से भागने का काम किया। अगर जिम्मेदारी निभाई होती, तो कश्मीर की यह हालत नहीं होती, कश्मीर के पंडितों को विस्थापित नहीं होना पड़ता और शायद अब यह दो सीटें रिजर्व करने की बात नहीं आती। मान्यवर, समय कम है और ये दो बिल हैं। काँग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के साथ भी #किया है। पिछड़ों के लिए काका कालेलकर से लेकर मंडल कमीशन तक कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। जब कांग्रेस गई, तब मंडल कमीशन लागू हुआ। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया, उसे रोके रखा।

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI) *in the Chair.*]

काँग्रेस ने 70 वर्ष तक कश्मीर में, जिन्हें कमजोर और वंचित वर्ग कहा जाता है, उन्हें अपमानजनक शब्द से नवाजा गया। उन्हें सम्मान देने का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कर रही है और उनका नाम अब अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा रहा है। महोदया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब से धारा 370 हटी है, 2019 से 2023 तक कश्मीर में अब पर्यटन की बहार आई है। पिछले साल 1.88 करोड़ टूरिस्ट्स थे और इस साल 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट्स हैं। जब टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं, तो कश्मीर, कश्मीर के लोग, कश्मीरियत सारी दुनिया में जाती है। टूरिस्ट्स के कारण वहाँ की इकोनॉमी बनती है, चलती है और कश्मीर खुशहाल होता है, लेकिन कश्मीर में टूरिस्ट आएँ, ऐसे हालात तो पैदा किए जाएँ! जब से धारा 370 हटी है, अब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं समाप्त हुई हैं। आतंकवाद अपने निम्न स्तर पर जा रहा है - तब ऐसी स्थिति आई है। ..(व्यवधान).. अब कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह कलम आने लगी है। कश्मीर के खेतों में अब केसर की सुगंध आने लगी है। यह काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने किया है।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Dr. Anil Jainji, please conclude.

डा. अनिल जैन: लोग चाहते थे कि आतंकवाद से बम और गोली, बम और बंदूक की आवाजों से निजात मिले, कोई ऐसा मसीहा आए। अब उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। मोदी जी के नेतृत्व में अब कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। मैं एक डॉक्टर हूँ।

Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Dr. Anil Jain, please conclude.

डा. अनिल जैन : कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम परिवर्तन हुए हैं। एक नहीं, बल्कि दो-दो एम्स आए हैं। मेडिकल की तमाम सीट्स बढ़ी हैं, अस्पताल खुले हैं। टेली-मेडिसिन, टेली सीटी स्कैन, डिजिटल मेडिसिन से कश्मीर के लोगों का इलाज संभव हो पाया है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कश्मीर में हो रही हैं। कश्मीर में रोड्स बढ़ रही हैं। जो ग्रामीण सड़कें थीं, वे पहले छः किलोमीटर बनती थीं, लेकिन अभी कश्मीर में 5,168 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। कश्मीर की स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Dr. Jain, kindly conclude. ...*(Interruptions)*... I will call the next speaker. ...*(Interruptions)*... Shri Sandosh Kumar P. ...*(Interruptions)*... Dr. Jain, please sit down. Your time is over. ...*(Interruptions)*...

डा. अनिल जैन : महोदया, मैं लास्ट बात यह कहता हूँ कि दुनिया कश्मीर को किस नजर से देखे, इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने जी20 के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कश्मीर में जाकर कराई, ताकि पूरी दुनिया देखे कि कश्मीर की हालत अब कैसी है और मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर आज कहाँ पहुँच गया है।

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Madam Vice-Chairman, I stand here to oppose these two Bills. And, I take this opportunity to deplore the house arrests of two of our prominent Kashmiri leaders, former Chief Ministers Shri Omar Abdullah and Shrimati Mehbooba Mufti.

What is happening in Kashmir? What is the ground reality? Many speakers from the Treasury Benches took part in the debate. They were boasting many things. But, let me quote from today's Supreme Court verdict. In fact, this was an observation made by Justice Kaul while demanding a Truth and Reconciliation Commission. And, he has rightly observed, "Armies are meant to fight battles against enemies, not to maintain law and order in the States. The entry of the Army creates its own ground realities in the State. Men, women, and children have paid a heavy price." This is the observation made by a prominent Supreme Court Judge. So, this shows what is happening in Kashmir. I also demand a Truth and Reconciliation Commission. It is an immediate necessity of the hour. And, it must be an impartial Commission.

Let us understand what is happening in Kashmir. The problem of the BJP is that it is acting as a self-imposed constable in Kashmir. And, using that, they want to

divide the whole country. And, they think that they are the protectors of the interests of Kashmiri people and they are for the State of Kashmir. We have had many Home Ministers in this country, unlike Shri Amit Shah. There was a sensible Home Minister in this country — Shri Indrajit Gupta. He was one of the outstanding Home Ministers in this country. It was his initiative — of course, Shri Deve Gowda was the Prime Minister; there was a coalition Government; and, these people always oppose coalition Governments — to ensure fair elections in Kashmir. Many stakeholders were boycotting Kashmir elections. But, it was Shri Indrajit Gupta's initiative that made fair, peaceful, and all-party-participated elections in 1996. What does it mean? It means that we should take into account all stakeholders. A confidence-building process is the most important need of the hour. But, what is their approach? This is for the first time in the history of this country that a State was made into a Union Territory; it was always the other way round. What does it show? It shows that they have no faith in federalism; they have no faith in the Constitution of this country. When the Constitution was adopted by the Constituent Assembly, the first remark by their parent organization was nothing Bharat in it. This was their first comment. So, they started their attack on Constitution way back in 1949, and still they are continuing. Today, it is in the case of Kashmir, and it is continuing. Can they ensure that this will not happen in any other State tomorrow? ...(*Time-Bell rings.*)... Can they ensure that such arbitrary activities will not happen in the case of any other Indian State? They cannot say, because they stand for the very abolition of the Constitution. So, I have no way to support this Bill. It is a technical Bill. I oppose this Bill and we stand with the people of Kashmir and their genuine rights, Thank you.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Now, Dr. Sumer Singh Solanki. You have three minutes.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, धन्यवाद, नर्मदे हर। आज मैं जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदया, इस बिल को 26 जुलाई, 2023 को पेश किया गया था और 6 दिसम्बर, 2023 को यह पारित हुआ। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, यह बिल प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए सैकड़ों प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम करेगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं हमारे रणनीतिकार और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस बिल के आने के बाद जम्मू-कश्मीर के मेरे गरीब भाइयों और बहनों की ज़िन्दगी में बदलाव आएगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, 70 सालों से जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी हुई, यह विधेयक उन्हें अधिकार और न्याय दिलाने का काम करेगा। महोदया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का कल्याण करने का काम देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ही है, साथ ही इस बिल के माध्यम में जम्मू-कश्मीर के आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण व्यवस्था ठीक होगी और उन्हें विधान सभा में 9 सीट्स प्राप्त होंगी, जिससे हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को नेतृत्व प्राप्त होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज देश के अंदर हमारी आदिवासी बहन राष्ट्रपति हैं। केंद्र में हमारे जनजाति समाज के 8 केंद्रीय मंत्री हैं। इससे भी बड़ा उदाहरण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारे आदिवासी भाई को मुख्य मंत्री बनाने का काम किया है। यह बिल कश्मीर के विस्थापितों को अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। 'सबका साथ, सबका विकास' हमारा मूल मंत्र है, उसी के अनुरूप यह बिल भी अपनों से पीछे रह गए व्यक्ति को भाई समझकर संवेदना और सम्मान के साथ उंगली पकड़ कर आगे बढ़ाने का काम करेगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, कश्मीरी विस्थापितों को आरक्षण देने से कश्मीर की विधान सभा में उनकी आवाज़ गूंजेगी। मैं यह भी बताना चाहता हूँ, मेरे विपक्षी साथियों से यह कहना चाहता हूँ, मैं गलतियां नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा हमारे देश के भाइयों और बहनों ने 70 सालों तक भुगता है। उसको ठीक करने का काम भी इस बिल के माध्यम से किया गया है। यह आज के समय का भारत है, जिसका उदाहरण है कि जम्मू-कश्मीर में 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार जो धारा 370 थी, उसे प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने उखाड़ फेंक दिया और हजारों-लाखों कश्मीरी विस्थापितों की आवाज़ को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Dr. Solanki, please conclude.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी इस बात से सभी सदस्य सहमत होंगे कि धारा 370 के हटने से अलगाववाद समाप्त हुआ है और आतंकवाद में बहुत बड़ी कमी आई है। आज मैं इस सदन को यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीट्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति के लिए भी सीट्स का आरक्षण किया गया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Kindly conclude now.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : पंचायत, नगरीय एवं जिला स्तर के छोटे निर्वाचन में भी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूँ। यह बिल छोटे तबके के लोगों का जीवन बदलने का काम करेगा। मैं इस बिल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब धारा 370 समाप्त नहीं हुई थी - मैं हाल ही में जम्मू-कश्मीर गया था, तो वहाँ के हमारे जनजाति भाइयों और बहनों ने कहा था कि धारा 370 समाप्त होने से पहले हमारे पास स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। इसके साथ ही एकलव्य स्कूलों की सौगात मिली, जो धारा 370 समाप्त होने के बाद हमारी सरकार ने दी है।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Dr. Solanki, please conclude. Your time is up. ...(*Interruptions*)...

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। चाहे वह शिक्षा की बात हो, पर्यटन की बात हो, कृषि की बात हो, उज्ज्वला योजना का बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो...(समय की घंटी)...सड़कों की बात हो, जल-जीवन मिशन की बात हो...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Please conclude. I will call out the next name.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी: चाहे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात हो, इन सारे कामों को हमारी सरकार ने किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, जो हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम करेगा और जम्मू-कश्मीर के आदिवासी भाइयों को उनके अधिकार देने का काम करेगा। मैं अपनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। नर्मदे हर!

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI): Prof. Ram Gopal Yadav; not present. Shri Krishan Lal Panwar; आपके पास तीन मिनट का समय है।

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा) : माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जो जम्मू-कश्मीर का पुर्नगठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair.*]

महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टैंडिंग नोट दिया था की धारा 370 स्थायी तौर पर न लगाई जाए। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वज़ारत में लॉ मिनिस्टर थे। जब जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति के समाज के लोगों और पूरे देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन उनको पार्लियामेंट में बोलने से मना किया गया। उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया था। वर्ष 1952 में जब उन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको हराने का काम किया था। उन्होंने 1954 में भंडारा संसदीय सीट से फिर लोक सभा का चुनाव लड़ा, उनको फिर से वहां से हराने का काम किया। आज विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहेब का चित्र लगाकर वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। जब पूरा देश बाबा साहेब को मानता है, 1947 में देश आजाद हुआ, तो क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? मैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम किया और सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगवाया। इसी प्रकार से बाबा साहेब के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश होना चाहिए था, लेकिन किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। मैं देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर 14 अप्रैल का अवकाश घोषित किया। इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब की पालकी को बेड़े में शामिल करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 2016 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा साहेब की पालकी को बेड़े में शामिल करने का काम किया।

सर, धारा 370 हटाई गई, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति समाज के लोग पीड़ित थे। वहां पर भारत के किसी व्यक्ति को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जमीन लेने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, रिश्ते-नाते करने का अधिकार नहीं था, केवल एक ही अधिकार था कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जाकर वहां पर सफाई कर्मचारी का काम कर सकता था। हिंदुस्तानियों की यह पोज़िशन थी। इसी प्रकार से नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा साहेब के पंच तीर्थ स्थान बनाए - महु में उनका जन्म स्थान था, लंदन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, नागपुर में दीक्षा दी और जनपथ, दिल्ली जहां वे रहते थे, ये पंच तीर्थ स्थान बनाए। वहां पर 100 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए। उन पंच तीर्थ स्थानों में लाखों लोग जाते हैं और वहां के दर्शन करते हैं। प्रधान मंत्री जी ने मुम्बई के अंदर इंदु मिल कंपाउंड पर भी बाबा साहेब के नाम स्मारक पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए। ...**(व्यवधान)**... बाबा साहेब का जन्म-कश्मीर से भी जुड़ाव था। ...**(व्यवधान)**... इसी प्रकार से कांग्रेस शासन के काल में जो बाबा साहेब की सामग्री थी, जिसे वे यूज़ करते थे, उन पर दीमक लग गई थी, लेकिन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चिंचोली के अंदर 50.76 करोड़ की लागत से 11.5 एकड़ जमीन पर खर्च करके संग्रहालय बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने सदा उनका अपमान करने की कोशिश की। इसलिए देश का अनुसूचित जाति समाज आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने भीम ऐप के नाम से एक ऐप बनाया, डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम से आवास योजना बनाई। उन्होंने बहुत सारे काम बाबा साहेब के नाम से किए। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद होने के बाद काफी समय देश पर राज किया। वोट हासिल करने के लिए - ये वोट बहुत आसानी से ले जाते थे। आज की जो नरेन्द्र मोदी जी की कैबिनेट है, इसमें हमारे एससी समाज के 12 मंत्री हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। जिस प्रकार से संत गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था -

*"ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलै सबन को अन्न।
छोट बड़ो सब सम बसैं, रैदास रहै प्रसन्न॥"*

80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर आज तक और पांच साल आगे के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने गरीब आदमियों की सहायता के लिए फ्री अनाज देने की बात भी कही है। इसी प्रकार से हमारा जो समाज है - आज पूर्ण रूप से बाबा साहेब का सम्मान नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम उनको नमन करते हैं और आने वाले समय में भी दलित समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी के पक्ष में है। महोदय, मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र) : सर, अगस्त, 2019 में लोक सभा में माननीय गृह मंत्री ने एक बात रखी थी - जब धारा 370 हट रही थी, तब शिव सेना ने पूरी तरीके से उसका समर्थन किया था तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने whole heartedly वेलकम किया है और हम इस बिल का भी समर्थन करेंगे - उन्होंने एक बात कही थी कि सदन के सामने जो बिल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, इसमें पीओके और अक्साई चिन का उल्लेख है और एक-एक इंच जमीन का उल्लेख है। उनकी लोक सभा की स्पीच में या इस बिल में हमें पीओके का जिक्र ही दिख रहा है, लेकिन अक्साई चिन के ऊपर न उन्होंने अपना पक्ष रखा है और न ही उसके बारे में कोई विचार रखा है।

सर, जब 2019 में यह बिल आ रहा था, तब तीन चीजों का वायदा किया गया था कि जम्मू और कश्मीर में पीस बहाल होगा, आतंकी हमले खत्म होंगे। दूसरा यह कहा गया था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव होंगे। जैसे ही पीस बहाल होगा, स्टेटहुड भी वापस आएगा और चुनाव भी होंगे। जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वायदा था, वह वायदा कश्मीरी पंडितों के लिए था कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जा सकेंगे और उनको पूरी सहूलियत दी जाएगी, सहायता दी जाएगी।

सर, मैं उस पार्टी से आती हूँ कि जब 1989 में उनका पलायन हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, तो हमारी पार्टी के लीडर, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बालासाहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में उनके लिए सीट्स का दो परसेंट रिज़र्वेशन किया था, जिससे उनकी एजुकेशन किसी तरीके से प्रभावित न हो। आज तक हमारी लड़ाई जारी है कि कश्मीर में उनको वापिस आना चाहिए, कश्मीर में लौटना चाहिए। गृह मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा कि हर तीन महीने में वे जम्मू-कश्मीर जाते हैं और वहां की परिस्थिति को देखते हैं कि वह कैसी है। मैं उनका ध्यान जून, 2022 की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। जून, 2022 में एक पिक्चर "कश्मीर फाइल्स" रिलीज़ हुई थी। उस पर पूरी राजनीति हुई, उसको पूरा समर्थन दिया गया, उसको टैक्स फ्री किया गया, सब कुछ किया गया और वहीं पर जून, 2022 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी। उनको बार-बार कहा जा रहा था कि वे कश्मीर को खाली करके जाएं, तब भी हमारे गृह मंत्री जी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, न उसके ऊपर कोई ट्वीट किया होगा, न प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसके बारे में किसी तरह का ट्वीट किया होगा, जैसा मणिपुर में हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरा प्रोटेस्ट था, वहां पर गृह मंत्री जी गए भी नहीं, संज्ञान भी नहीं लिया। वहां पर मैं पहुंची थी, क्योंकि ये मेरी पार्टी के

विचार हैं कि कश्मीरी पंडित भाई-बहन कहीं पर भी पीड़ित हों, प्रताड़ित हों, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैंने यहां आकर यह मांग उठाई भी, लेकिन उसको दर-किनार कर दिया गया।

सर, समय कम है, इसलिए आखिर में मैं यह कहना चाहूंगी कि ... **(समय की घंटी)**... सर, मैं जानती हूं। सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि उस चेयर पर बैठने का अनुभव मुझे मिल गया है। Last but not the least मैं यह कहना चाहूंगी कि जो बिल में कहा गया है कि दो सीट्स रिज़र्व की जाएंगी, उन कश्मीरी पंडित भाई-बहनों के लिए, जिनका वहां से पलायन हुआ है। *(Time-bell rings.)* So, I will be more conscious. मैं पूछना चाहूंगी कि जो वहां पर रुके हुए हैं, इतने नर-संहार के बाद भी उन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा है, उनको adequate representation असेम्बली में मिलेगा या नहीं मिलेगा?

लास्ट में, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अब जब ये सारे बिल्स पास हो जाएंगे, तो कब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे और कब कश्मीर की आवाज़, जनता की आवाज़ उनकी असेम्बली में गूंजेगी, लोक सभा में गूंजेगी और राज्य सभा में भी गूंजेगी, not through nominated MP, but through an MP elected by their MLAs in the Assembly. Thank you, so much.

DR. SIKANDER KUMAR (Himachal Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion on two important Bills, i.e. The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023. I would like to thank the hon'ble Prime Minister and the hon'ble Home Minister to bring these important Bills which provide rights to the depressed classes of Jammu and Kashmir. I also welcome today's verdict of the hon'ble Supreme Court of India which further endorses the decision of the Parliament and the Government of India on abrogation of Article 370 and Article 35. The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 was introduced in Lok Sabha on July 26, 2023 and passed on December 6, 2023. It amends the Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004. The Act provides reservation in jobs and admission in professional institutions to members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Socially and Educationally Backward Classes. Under the Act, Socially and Educationally Backward Classes include people residing in villages declared as socially and educationally backward by the Union Territory of Jammu and Kashmir, the people residing in areas adjoining the Actual Line of Control and international border and weak and under-privileged classes (social castes), as notified.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

The Government may make inclusions or exclusions from the category of weak and underprivileged classes, on the recommendations of a Commission. The Bill substitutes weak and underprivileged classes with Other Backward Classes, as declared by the UT of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, aims to add new Section 15A and Section 15B to the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. These Amendments empower the Lieutenant Governor of the Union Territory to nominate not more than two Members, one of whom shall be a woman, from the community of Kashmiri migrants, and one Member from the displaced persons from Pakistan-Occupied Kashmir, to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly.

The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, also proposes Amendments to sub-sections (3) and (10) of Section 14 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. These changes aim at extending reservation benefits to the Scheduled Tribe community in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

Additionally, the Bill seeks to expand the total composition of the Assembly from 107 to 114 Members. The inclusion of representatives from displaced and migrated communities underlines the essence of the elected Government practice as observed in several Union Territories and some States. In this context, the BJP Government has expanded the total seats from 107 to 114 encompassing 90 seats for the General Category, 7 for Scheduled Castes, 9 for Scheduled Tribes and 3 designated for nominated Members. This breakdown underscores the commitment to fair representation ensuring that no community faces unjust treatment. It reflects a balanced approach providing adequate representation to all the communities including minority groups such as Hindus and Sikhs.

With these words, I support these two Bills and also urge all the hon'ble Members to support and pass these Bills. Thank you, Sir.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, this Bill, I feel, is the need of the hour today for the country. Amendment to Section 2, clause (b) and inclusion of words, "socially and educationally backward classes" gives a lot for the people of Jammu and Kashmir. It gives voice to the Kashmiri migrants who have suffered for more than 33 years. It ensures empowerment of the tribal people of Jammu and Kashmir. It provides legal status to the people displaced from the PoK in Jammu and Kashmir. This Bill will bring a new dawn for the people of Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir will sleep peacefully today. We have a powerful Government in

the Centre today. We are, definitely, going to give a prosperous Jammu and Kashmir for future. My Party supports this Bill. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, this being a very important Bill, if some Members would like to make an intervention, they can give the names. Shri Samir Oraon.

श्री समीर उरांव (झारखंड): माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए, 'जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023' और 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023' पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं धारा 370 को खत्म करने तथा धाराओं के समाप्त होने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर में जनजातीय वर्ग को प्राप्त हुए अधिकारों के लिए तथा अभी-अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय, 2019 से पहले जब हम जम्मू-कश्मीर का नाम सुनते थे, तब हमारे मन में और औरों के मन में भी सिर्फ आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा आदि जैसे विचार आते थे। पहले वाली सरकारों की नीतियों के कारण जम्मू-कश्मीर को वैचारिक रूप से देश से अलग कर दिया गया था, परंतु 2014 में देश के लोगों ने हमारे राष्ट्रवादी विचारों को समर्थन देते हुए माननीय नरेन्द्र मोदी जी का समर्थन किया और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। तब से लगातार हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों को शुरू किया गया। उनके ध्यान में था कि "जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है"। यह भाव माननीय प्रधान मंत्री जी के मन में रहने के कारण, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और धारा 370 की समाप्ति के पश्चात् लगातार कश्मीर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में कश्मीर में लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। आज सरकार की नीतियों के कारण कश्मीर पर्यटन, औद्योगिक विकास एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सभी केंद्र प्रशासित राज्यों में प्रथम स्थान पर है। पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर से निर्यात लगभग दोगुना बढ़ा है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में यह विधेयक सदन में लाया गया है।

महोदय, धारा 370 को खत्म करने के पश्चात् अब जम्मू-कश्मीर में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार के गठन की प्रक्रिया का वादा, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया था, वह वादा सरकार इस विधेयक के माध्यम से पूरा करने जा रही है। जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में 5 अगस्त, 2019 से पहले विधान सभा की 111 सीटें होती थीं। इनमें 24 सीटें पाक-अधिकृत कश्मीर में थीं। पाक-अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण वहाँ चुनाव संभव नहीं हो पा रहा था। इस तरह कुल 87 सीटें जम्मू-कश्मीर विधान सभा में थीं, जो लद्दाख के अलग होने से और कम हो गई थीं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार जम्मू-कश्मीर विधान सभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़ा कर 90 करने जा रही है। हमारे गृह मंत्री जी कश्मीरी

प्रवासियों के लिए तथा पीओके के विस्थापित नागरिकों के लिए भी विधेयक में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कर रहे हैं।

महोदय, मैं जनजाति समुदाय से आता हूँ। विधेयक में जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। पहली बार जम्मू-कश्मीर विधान सभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 सीटें आरक्षित की जा रही हैं। मैं इसके लिए जम्मू-कश्मीर के आदिवासी समाज सहित पूरे देश के आदिवासी समाज की ओर से माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। देश के आदिवासी समाज को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आज देश का आदिवासी समाज मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। मैं उदाहरण देता हूँ, अभी-अभी तीन राज्यों में जो चुनाव हुए, उनमें जनजाति समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ और हमारे जनजाति लोगों ने तीनों राज्यों में सरकार बनाने का काम किया है।

महोदय, इसी के साथ, जम्मू-कश्मीर में गुज्जर-बक्करवाल, गद्दी, सिप्पी समेत अनुसूचित जनजाति समूह की एक बड़ी आबादी है। ये लोग सदियों से अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं, लेकिन देश के अन्य भागों के विपरीत इन्हें जम्मू-कश्मीर में वन संपदा पर कोई अधिकार नहीं था। इसी के कारण वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ रहे थे। 5 अगस्त, 2019 का ऐतिहासिक दिन आया और अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को आजादी मिली, जिसके कारण अनुसूचित जनजातियों को भी आर्थिक-सामाजिक विकास का एक नया दौर देखने को मिलने लगा। अब भारत के संविधान के प्रावधान का लाभ वहाँ के सारे लोगों को मिल रहा है। 13 सितंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर में एक नया इतिहास लिखा गया। सरकार द्वारा श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में गुज्जर-बक्करवाल और गद्दी-सिप्पी समुदाय सहित अन्य आदिवासी वर्गों के लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन संपदा पर निजी व सामुदायिक अधिकार का प्रमाण-पत्र सौंपा गया। इतने दिनों से ये इससे वंचित थे।

6.00 P.M.

इसके बाद जम्मू में भी एक ऐसा ही समारोह आयोजित किया गया। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न आदिवासी समुदायों के युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है और उनको रोजगार देकर वहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी बनने का अवसर दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी कहा जाए, तो श्रीनगर एवं राजौरी में आदिवासी भवन का निर्माण किया जा रहा है तथा अतिरिक्त आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। आईआईटी जम्मू और राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह युनिवर्सिटी ने अपने-अपने संस्थानों में जनजातीय पीठ भी स्थापित करने के लिए इस साल जून में जनजातीय विभाग के साथ एक समझौता भी प्राप्त किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार सरकार जम्मू-कश्मीर के उच्च स्थानों पर रहने वाले आदिवासी समुदायों के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी वहाँ काम कर रही है।

सभापति महोदय, राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल लाया गया है। इस बिल द्वारा एससी, एसटी और सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। विधेयक के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ उन्हें माना जाएगा, जिनके गाँव एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं तथा सरकार उन्हें पिछड़ा घोषित रखने का काम कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now it is 6.00 p.m. and we are in the midst of a combined discussion on the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023. The hon. Home Minister will reply to the discussion today itself. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6.00 p.m. to conclude the discussion and consideration of the Bills and pass the Bills today itself. The time is so extended.

Hon. Member, you may continue.

श्री समीर उरांव: महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर के अन्दर आतंकवाद था, उग्रवाद था और जिस प्रकार से हिंसा हो रही थी, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार भी पूरे रूप से वहाँ पर व्याप्त था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसी सारी चीजों को खत्म करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, उन्हें भ्रष्टाचारमुक्त करने के लिए अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ वहाँ उपाय लगाया है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड के अन्दर कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी 300 करोड़ से भी ज्यादा जमा करके रखे थे, ऐसा भ्रष्टाचार अब जम्मू-कश्मीर में नहीं होगा। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा उपाय हमारे प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जम्मू-कश्मीर भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा।

महोदय, यह विधेयक जम्मू-कश्मीर के विकास एवं भविष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी 2019 में जम्मू-कश्मीर के बारे में, उनके श्रीमुख से बताया हुआ एक बड़ा क्रांतिकारी बिल लाये थे। वहाँ स्थापित राज्य को समाप्त करके Union Territory बना दिया गया, तो क्यों बना दिया गया और अब यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि वापस उसे राज्य का दर्जा दिया जाए, तो क्यों दिया जाए? हम लोग हमेशा से इस बात को कहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू-कश्मीर राज्य का विषय संवेदनशील है और संवेदनशील परिस्थितियों में निर्मित हुआ है तथा हम लोगों को उन संवेदनशील परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है।

हम इतिहास की बात करते हैं। इतिहास किस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर लिखा जाता है, मैं उस पर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। There is a quotation by E.H. Carr. It says, "History

consists of a corpus ascertained facts. The facts are available to the historian in documents, inscriptions and so on, like fish in the fishmonger's slab. The historian collects them, takes them home, and cooks and serves them in whatever style appeals to him." हमारे अमित शाह जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, आज हमारे मित्र रेड्डी साहब भी और उस तरफ के बहुत सारे लोगों ने इतिहास तोड़-मरोड़ कर अपने हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जबकि फैक्ट यह है कि जब देश आजाद हुआ, तो देशी रियासतों के राजाओं, नवाबों और महाराजाओं को यह अधिकार था कि वे किस देश में शामिल होंगे। यह अधिकार उनको दिया गया था। जूनागढ़ के नवाब, जहां हिंदू पापुलेशन थी, उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है और महाराज हरि सिंह जी आखिर तक टालते रहे। वे नेगोशिएट करते रहे और अंत में उन्होंने एकदम से कश्मीर वैली, श्रीनगर, जहाँ 95 प्रतिशत मुसलमान है, वहां निर्णय लिया कि मैं हिंदुस्तान में शामिल होऊँगा। उसके बाद जो कुछ हुआ था, इतिहास इस बात का साक्षी है। कश्मीर वैली और जम्मू-कश्मीर आज भारत के साथ हैं और अगर उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, शेख अब्दुल्ला को जाता है। दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां हिंदुओं का बाहुल्य था, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए और बाकी लोगों को लेकर पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ आज भारत का एक अंग है। अमित शाह जी, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो जम्मू-कश्मीर और विशेषकर कश्मीर वैली भारत का अंग है, अगर उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, क्योंकि उन पर शेख अब्दुल्ला का विश्वास था, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। सर, आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी बातें कही गईं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 370 में बचा क्या था? आर्टिकल 370 के अलग से जो 90 परसेंट प्रोविज़न्स थे, वे तो इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन के साथ धीरे-धीरे समावेश कर दिए गए थे, इसलिए उसका कोई असर नहीं था। यह कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आज आतंकवाद समाप्त हो गया? हम वहाँ पर रोज आतंकवाद की गतिविधियां देख रहे हैं और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। जिस तरह से नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न फेक करेंसी समाप्त हुई, उसी तरह से... ..(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, let me speak. ...(*Interruptions*)... I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No. ...(*Interruptions*)... You are yielding to me. ...(*Interruptions*)... Digvijaya Singhji, you are yielding to me. You see, in all modesty, I thought it was an issue serious enough to make available every Member an opportunity to put forth his or her point of view. We have to keep to the subject. If

we make it a debate in general, it does not befit your status. You are a very senior Member. Confine to the subject and also conclude.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I am confined. The way they had claimed when Article 370 was discussed here in Parliament that they will finish terrorism from Jammu and Kashmir. क्या वह समाप्त हुआ?

MR. CHAIRMAN: We will wait for the reply.

श्री दिग्विजय सिंह : सर, नहीं हुआ। हम रोज देखते हैं कि कहीं-न-कहीं घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप आरक्षण का बिल लाए हैं। आप पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण दे रहे हैं। यह अच्छी बात है। यह कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार के समय से हम लोगों का प्रस्ताव रहा है, लेकिन उसमें यह बात साफ नहीं की गई है कि जिनको अभी आरक्षण मिल रहा है, उनका आरक्षण कम तो नहीं होगा? इसी के साथ-साथ, हम उनसे यह भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल में यह नहीं बताया है कि इतनी संख्या में पहाड़ी लोगों को और दिया जाएगा तथा वह कितना प्रतिशत दिया जाएगा। उन्होंने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विशेषकर जम्मू में मेरे भी कई रिश्तेदार हैं, यह बात जितेन्द्र सिंह जी भी बता देंगे। वहाँ पर आज इतनी नाराजगी है कि जिन लोकल लोगों को नौकरियां मिलती थीं, उनको आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ठेकेदार बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे कहां-कहां से आ रहे हैं। आज वहां लोकल लोगों का कोई अधिकार नहीं बचा है। हालांकि जो रिजर्वेशन का बिल है, इसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि यह हम लोगों का पुराना प्रस्ताव था, लेकिन इसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है। आज चार साल हो गए, आपने Constitution में amendment किया और उस समय इस हाउस में जम्मू-कश्मीर का एक भी प्रतिनिधि नहीं था, हालांकि आप फिर उठकर कुछ कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तब जम्मू-कश्मीर की असेम्बली नहीं थी, जबकि Constitutional Amendment के अंदर यह प्रावधान था कि State Assemblies का भी उसमें समर्थन आना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, you are saying, 'Thank you'.

MR. CHAIRMAN: I say, 'conclude'. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I am grateful. You are supporting me; I am extremely grateful to you that you are saying this.

MR. CHAIRMAN: No; I am not supporting you. As a matter of fact.....(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the point I am trying to make is this.

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, what you are saying to me, I am baffled! ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: As a lawyer, with some knowledge of law and Constitution.....(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I am not a lawyer, unfortunately. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Therefore, I can appreciate. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: You are on a tangent, not in the right perspective. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: What is this, Sir? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I am saying that this was unconstitutional and still we accepted the fact. Although the hon. Supreme Court has held it valid, we have nothing to comment on that.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: The point I am trying to make is this. मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जम्मू-कश्मीर का मसला जितना संवेदनशील है, उतनी संवेदनशीलता माननीय मोदी जी की इस सरकार ने प्रदर्शित नहीं की है। वहां एकतंत्र राज चला हुआ है। वहां के लोगों से कोई राय-मशविरा नहीं लिया जा रहा है। वहां बाहर से अलग-अलग स्टेट्स कैडर के अफसरों को लाया जा रहा है, उनसे मनचाहे निर्णय कराये जा रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के जितने बाशिन्दे हैं,

चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, उनकी भावनाओं का तिरस्कार किया जा रहा है। वहां चार साल से कोई असेम्बली नहीं है, केवल माननीय राज्यपाल महोदय वहां काम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री दिग्विजय सिंह: मैं उनकी भी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने बड़े मुश्किल समय में काम किया है, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि ये असंवेदनशील तरीके से एक संवेदनशील राज्य का कानून लाये हैं। वहां का जो प्रशासन है, वहाँ का जो शासन है, वह बाहरी ताकतों के माध्यम से चलाया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: You have said so. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह : बाहरी ताकतें, मतलब outside the State. वहां के लोकल लोगों का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए मैं ये सारी बातें आपके सामने रखना चाहता था। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इनको वहाँ चुनाव की तारीख की भी तत्काल घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन के अंदर जो भी हुआ है, वह एकतरफा काम हुआ है। वहां की हर पार्टी के लोगों से आपका संपर्क है या नहीं, यह मैं नहीं जानता।

MR. CHAIRMAN: The Leader of the House.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, यह बात भी समझ लीजिए कि PDP की नेता, महबूबा जी को आज house arrest करने का क्या कारण है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि सुबह एलजी साहब ने स्पष्ट कर दिया है। वे जहां जाना चाहें, जा सकती हैं, उसके लिए हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे। अब जबरदस्ती कोई बाहर नहीं ले जा सकता। कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, यह मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Leader of the House.

श्री दिग्विजय सिंह : *

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री पीयूष गोयल: सर, यह तो बड़ा गलत आरोप है।...(व्यवधान)... यह हम कैसे टॉलरेट करेंगे?...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: This is expunged. ...(*Interruptions*)... Digvijaya Singhji, this is a personal observation and prejudicial. It is expunged. ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह : सर, महबूबा जी की पुत्री ने अपना वीडियो जारी किया है।

श्री पीयूष गोयल : सर, यह तो नुक्कड़ पर जैसे भाषण देना होता है, वैसी बात है।

MR. CHAIRMAN: Now the Leader of the House. ...(*Interruptions*)...

श्री पीयूष गोयल: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। इन्होंने अभी-अभी अपने वक्तव्य में एक बात कही कि बाहर के लोग वहां जाकर काम करते हैं और लोकल लोगों को काम नहीं मिल रहा है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं? वहां बाहर के लोगों से जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, क्या यह जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया है?...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Digvijayaji, please. ...(*Interruptions*)... No, please. ...(*Interruptions*)...

श्री पीयूष गोयल : जिसके कारण इनकी सरकार के रहते बहुत बड़े वर्ग और बहुत बड़े समाज को वहां से विस्थापित कर दिया गया। आज भी वहां जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, क्या ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं?...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Parliamentary Affairs Minister. ...(*Interruptions*)... I would...(*Interruptions*)... Wait for a minute. ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह : सर, मैं तैयार हूँ। सदन के नेता मेरे साथ जम्मू चलें, मैं वहां के लोगों से...

MR. CHAIRMAN: Sir, this is such a condition. ...(*Interruptions*)... Hon. Parliamentary Affairs Minister. ...(*Interruptions*)... One minute, Digvijaya Singhji. ...(*Interruptions*)...

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, मेरा छोटा सा प्वाइंट है। जब माननीय गृह मंत्री जी ने सफाई दी और एलजी के स्टेटमेंट का जिक्र किया, तो दिग्विजय सिंह जी ने जो कमेंट किया है, यह तो personal allegation है।

MR. CHAIRMAN: The comment is expunged.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, इसे expunge करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: It is already expunged. That will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, one second. Before you expunge it, please allow me one minute. These are the facts which were brought to our notice and if the hon. Home Minister says it is incorrect, I accept this fact. ...*(Interruptions)*... I accept this...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, one second. ...*(Interruptions)*... Please.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: But the fact remains that this was the comment...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This was the statement made by Mehboobaji, ...*(Interruptions)*...who was their coalition partner when Mufti saheb ...*(Interruptions)*...headed the Government and BJP participated.

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Digvijaya Singhji, your observations were not befitting your position. Please don't rise. They were prejudicial and they may be far distanced from the ground reality also. So let us not engage into a situation where we make reflections against each other. They are expunged. Dr. Radha Mohan Das Agrawal. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बातें...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Dr. Radha Mohan Das Agrawal...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I need your direction, I need your decision. ...*(Interruptions)*... Whatever I said, was it unparliamentary? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You will have a decision. ...*(Interruptions)*... Yes, you will have a decision and...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Okay, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, I can tell you, I can assure you. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: If whatever I said is unparliamentary, I would like to know from you in writing. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I can assure you, I have already decided three matters, two of them being raised by the Leader of the Opposition. I will give my ruling on this. If someone were to tell me that this is moon, well, I will not accept it. Your observations were absolutely personal, prejudicial and not fitting a Member of your stature. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, it is not that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sorry! I don't...*(Interruptions)*... Expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I reserve the right to speak the words I want to use. But whatever I said is parliamentary and if it is unparliamentary, please expunge. ...*(Interruptions)*... If it is not unparliamentary, please retain it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Factually untenable, prejudicially motivated and not appropriately utilizing...*(Interruptions)*... No, sorry! ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: * ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Dr. Radha Mohan Das Agrawal. I am fully alive to what I am saying. One second. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात कांग्रेस के प्रतिनिधि माननीय विवेक के. तन्खा जी की बात से शुरू करूंगा।

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Take your seat. Digvijaya Singhji, first you make an observation which is tangential to constitutional provisions, tangential to Supreme Court judgment. I just slightly reminded you, please don't go that far. Secondly, in making personal observation against the Home Minister, under the Rules--let me give a ruling--if you seek to make a personal allegation against a person holding constitutional position, it has to be by a substantive motion. That motion is not there.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, whatever I have said, I stand by...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Dr. Radha Mohan Das Agrawal. ...*(Interruptions)*... Not good.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात माननीय विवेक के तन्खा जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने कुछ कश्मीरियों का नाम लिया, कुछ कश्मीरी पंडितों का नाम लिया और उनको श्रद्धांजलि दी। मैं यह समझ रहा था कि वे स्वर्गीय श्री टीका लाल टपलू जी को श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी हत्या 1989 में हुई थी। कांग्रेस ने न उस समय श्रद्धांजलि दी और न आज इस मंच से श्रद्धांजलि दी। हम जो यह संविधान ला रहे हैं, वह स्वर्गीय श्री टीका लाल टपलू जी को श्रद्धांजलि है। मैं समझता था कि वे नीलकंठ गंजू को श्रद्धांजलि देंगे, जो आतंकवादी घटना में मारे गए थे, लेकिन उन्होंने यह काम न उस समय किया और न आज ही किया। मैं समझता था कि 1993 में डोडा नरसंहार में जिन पन्द्रह हिंदुओं की हत्या हुई थी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन आज उन्होंने यह काम नहीं किया। यह कानून उन पन्द्रह हिंदुओं को श्रद्धांजलि देता है। मैं समझता था कि संग्रामपुर नरसंहार में 1997 को जिन सात कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन आज तक कांग्रेस के लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। यह कानून उन सात कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि देता है। मैं समझता था कि वंधामा नरसंहार में 1998 को जिन 23 हिंदुओं को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था, माननीय तन्खा जी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन वे चुप रहे। मैं समझता था कि वे पठानकोट नरसंहार के 1998 के उन 11 बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की थी, लेकिन उनके मुंह से उनके लिए एक शब्द नहीं निकला। मैं समझता था कि अनंतनाग के पहलगाम में जिन 30 अमरनाथ के यात्रियों को मारा गया था, यह श्रद्धांजलि उनके लिए होगी, लेकिन कांग्रेस न उस समय बोली और न आज बोल रही है। मैं समझता था कि चित्तिसिंह पोरा में जो नरसंहार हुआ था, 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने हत्या कर दी गई थी, कांग्रेस एक बार शर्म करेगी और उन्हें श्रद्धांजलि देगी, लेकिन आज भी उन्होंने उस काम को नहीं किया। यह कानून उन 36 सिखों को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। डोडा में जो 6 हिंदू मारे गए थे, जम्मू-कश्मीर रेलवे स्टेशन पर जो 11 लोग मारे गए थे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर 30 मार्च और 24 नवंबर को 15 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, कासिम नगर नरसंहार में जिन 29 हिंदू मजदूरों को मारा गया था, नदिमर्ग नरसंहार में पुलवामा के जिन 24 हिंदुओं को मारा गया था, मैं समझता था कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये लोग थोड़ी शर्म का एहसास करेंगे, अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और खड़े होकर उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि न उस समय कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी और न

ही आज इस बात की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज मैं कांग्रेस के ही एक सांसद की चर्चा करूंगा। वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। मैंने उस माननीय सदस्य का ट्विटर देखा है और मुझे शर्म आती है यह बताते हुए कि उस सदस्य ने लिखा कि अमेरिका में 50 राज्य चलते हैं, 50 संविधान चलते हैं, 50 झंडे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 50 राज्य चलते हैं, 50 प्रधान मंत्री होते हैं, अगर भारत में हो गए, तो क्या हुआ। आज भी कांग्रेस की मानसिकता वही है, जो 1947 में थी। आज मैं इस मंच से उनकी निंदा करता हूँ।

सभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी पूछ रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ? मैं इन्हें बहुत पढ़ा-लिखा समझता था। वर्ष 2018 में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएं 228 थीं और आज 15 नवंबर, 2023 तक वे घटकर 41 हो गई हैं। 189 मुठभेड़ें थीं, आज वे घटकर 44 हो गई हैं। 55 नागरिकों की हत्या हुई थी, वह संख्या घटकर 13 हो गई है। कार्रवाई में मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 थे, आज माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह संख्या घटकर 20 हो गई है। यह तीन साल का अंतर है, जिसके बारे में आप आज चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं आज इस मौके पर भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल जी को श्रद्धांजलि दूंगा। यह सच है, जो इतिहास आप यहां विकृत रूप से बता रहे थे - सरदार वल्लभभाई पटेल की चली होती, तो जम्मू-कश्मीर आज पूरा का पूरा भारत में होता और बिना धारा 370 के होता। वे इस देश के गृह मंत्री थे। कश्मीर उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यह सच है, जो आप भी जानते हैं।...(व्यवधान)...आप भी इस बात को जानते हैं। आपकी गर्दन हिलाने से वह बदलने वाला नहीं है।...(व्यवधान)... सर, मैं इस कानून के माध्यम से भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दूंगा, जिन्होंने मजबूती के साथ इस बात का विरोध किया था कि भारत के संविधान में धारा 370 नहीं आनी चाहिए।...(व्यवधान)... उन्होंने मना किया था। उन्होंने एक लॉ मिनिस्टर के रूप में संविधान सभा की बैठक में इस कानून को लाने से मना किया था।...(व्यवधान)... नेहरू जी, उनको हटाकर ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : दिग्विजय सिंह जी, यह ऑथेंटिकेट होगा। Digvijaya Singhji, you are a very well-informed person. All this is in documentation.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में धारा 370 लाने से मना किया था। ... (व्यवधान)... नेहरू जी ने उनको हटाकर गोपालस्वामी अयंगर के माध्यम से धारा 370 को लाने की बात की। 18 अक्टूबर, 1949 को जब धारा 370 पारित कराई गई, तो भीमराव अम्बेडकर विरोध में संविधान सभा की मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। ... (व्यवधान)... इतिहास के पन्ने हैं, आप इन्हें भुला नहीं सकते हैं। मैं श्रद्धांजलि दूंगा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी को, जिनकी जघन्य हत्या 23 जून, 1953 को कश्मीर की जेल में आपके द्वारा समर्पित ... (व्यवधान)... यह कानून आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम करता है। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: दिग्विजय सिंह जी प्लीज़, यह अच्छा नहीं लगता है कि आप बार-बार उठें।
...(व्यवधान)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: ये इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आरक्षण किसे दिया जाता है। जब भारत पर आक्रमण हो रहा था, पख्तूनी कबायली भारत पर पाकिस्तानी सेना के साथ आक्रमण कर रहे थे, तो ये गुर्जर ही थे, ये बकरवाल ही थे, जो भारत की सेनाओं के साथ गुप्तचरी करके भारत की रक्षा करने का काम करते थे। आप 70 सालों में उन्हें दंडित करते रहे, क्योंकि वे भारत के साथ खड़े थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार आई है, जो उन राष्ट्रभक्त गुर्जर, बकरवालों और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को अधिकार देने का काम कर रही है। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ।

मित्रो, आज ट्राइबल आरक्षण की बात हो रही है। उनका क्या अपराध था? पूरे देश में हम ट्राइबल आरक्षण देते हैं, संविधान के तहत देते हैं। उनका जम्मू-कश्मीर में कौन सा अपराध था कि उनको वह आरक्षण नहीं दिया गया? हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देंगे। आज 75 सालों के बाद, आजादी के अमृतकाल के अवसर पर वास्तव में स्वतंत्रता का एहसास अगर किसी ने किया है, तो हमारे गद्दी वर्ग के लोगों ने, हमारे गुर्जर वर्ग के लोगों ने, हमारे बकरवाल के लोगों ने किया है। यह ऐतिहासिक न्याय हुआ है। कभी इन शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पूछिए, वे देश की सीमाओं पर आज भी गड़ेरिए का काम करते हैं। आज भी वे primitive agriculture करते हैं, आज भी वे गरीबी की हालत में जीते हैं और आज भी वे अशिक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने लाइन दी थी कि हम इस देश में particularly vulnerable tribal group को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम अपने प्रधान मंत्री के एहसानमंद हैं, जिन्होंने इस काम को वास्तव में ईमानदारी के साथ अगर पूरे देश में लागू किया, तो जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया। आप एम्स का जिक्र कर रहे थे। क्या यह सच नहीं है कि सात सरकारी नए मेडिकल कॉलेजेज़ दिए गए? जम्मू-कश्मीर इस देश का पहला अकेला प्रांत है, जहां दो एम्स बनाए गए हैं। जम्मू का एम्स चालू हो चुका है और श्रीनगर का एम्स चलने की प्रक्रिया में है। इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत पैदा करिए। क्या यह सच नहीं है कि विकास पैकेज के नाम पर हमने 58,477 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को देने का काम किया है? क्या यह सच नहीं है कि 4,134 मेगावाट बिजली के संयंत्र लगाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में किया गया है?

माननीय सभापति महोदय, अगर हम उन उपलब्धियों को गिनाएं ...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मेरा माननीय गृह मंत्री से एक ही आग्रह है। माननीय विजयसाई रेड्डी जी ने वह आग्रह किया था। विधान सभा में 24 सीटें भरने का इंतजार कर रही हैं। माननीय विजयसाई रेड्डी जी ने कहा कि उनका नामांकन कर दिया जाए। हम उनका नामांकन नहीं चाहते हैं। हम भाजपा के लोग वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चुनकर भारत के जनप्रतिनिधि लाना चाहते हैं। 1947 में जो

हमारी अधूरी यात्रा हुई थी, अटल जी ने लिखा था —

"पन्द्रह अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है,
सपने पूरे होने बाकी, रावी की शपथ न पूरी है।
जिनकी लाशों पर पग धर कर, आजादी भारत में आई,
वे हैं अब तक खानाबदोश, गम की काली बदली छाई"।

हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वह समय आ गया है जब हम उस इतिहास के पन्ने को बदलें और भीख मांगकर नहीं, बल्कि अधिकार के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas. ..(Interruptions).. It is not appropriate. I gave main opposition party 25 minutes in excess of their time. Yes, please check up.

DR. JOHN BRITTAS: I want only ten minutes.

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas, three minutes, extendable to five minutes, but not beyond that.

DR. JOHN BRITTAS: Thank you, Sir. Mr. Chairman, Sir, hon. Home Minister is anxiously waiting to hear what I am going to say here. If there was no Jawaharlal Nehru, what would this BJP have done? ..(Interruptions).. If there was no Nehru, there would not have been discussion on J&K. Fifty per cent of the time has been devoted to Jawaharlal Nehru. ..(Interruptions)..

श्री अमित शाह: सर, एक सेकंड। मैं इनसे सहमत हूँ। नेहरू जी न होते, तो यह समस्या ही नहीं होती, डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

DR. JOHN BRITTAS: Since hon. Home Minister has confided and accepted my proposition, I would urge upon the Home Minister to create a Ministry for Nehru, exclusive Ministry. ..(Interruptions).. Please do it today. नहीं, नहीं, आज नेहरू के बारे में एक मिनिस्ट्री बना दीजिए। Sir, my submission is that tomorrow if somebody is going to blame hon. Prime Minister for a decision, say, on Jammu & Kashmir, after 40 years, can you absolve the Home Minister, Mr. Amit Shahji? Who was the Home

Minister at that time? Sardar Patel! Who was the Home Minister? So, can you segregate? ..(Interruptions)..

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Please, Sir. ..(Interruptions).. Sir, just a light factual, I want to put this before John Brittas. I don't understand this beautiful irony, it is such a wonderful irony, Sir, that in 1959, the Communist Government in India-- it made history-- headed by E.M.S. Namboodari pad was removed by Jawaharlal Nehru. They don't mind today being hand in glove and supportive of Nehru. My God! The friendship even defeats federalism, Centre-State relations. Amazing, Sir, they don't mind this! ..(Interruptions).. Centre-State relations. ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, निर्मला जी जहां रुकीं, वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल जी ने जो पहली सरकार गिरा दी, इसीलिए आज कांग्रेस की कु-सेवा वे यहां पर खड़े होकर कर रहे हैं। इसीलिए नेहरू का चैंप्टर खोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि चैंप्टर खोलने से अच्छा कुछ नहीं निकलेगा।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am thankful to the mighty interventions of the Home Minister and the Finance Minister. Literally, Sir, I am flabbergasted. 1959 dismissal of Namboodari pad, we all know history. That is why they have been punished and penalized, and they are sitting there. I am often saying that. ..(Interruptions).. Yes, that is the cumulative effect. ..(Interruptions).. That is the cumulative effect of all these omissions and commissions. That is why they are put there. Further,(Interruptions).. Mr. Muraleedharan's job is only interruptions whether in Kerala or in Parliament. He will never do any creative thing either in Kerala or in Parliament. So, I have nothing to say about it. Sir, I will tell you that if there was no verdict on S.R. Bommai case, they would have dismissed most of the opposition Governments. Further, even though they have not dismissed the State Governments, that they are effectively doing the same using the tool of Governors, disruptions.

MR. CHAIRMAN: Come to the subject. Dr. John Brittas, come to the subject.

DR. JOHN BRITTAS: I am coming to the subject. Sir, it is a very important thing.

MR. CHAIRMAN: And, you are left with only two minutes.

DR. JOHN BRITTAS: No, Sir. I have been completely disrupted by them.

MR. CHAIRMAN: Go ahead.

DR. JOHN BRITTAS: I know you are very benevolent.

MR. CHAIRMAN: You are in big mistake. I can tell you; I am not. Use your two minutes; you will be lucky.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my submission to the hon. Home Minister is this. It is almost four years. Why am I a little perturbed or shocked is that he had the panache to declare a full State as a Union Territory at the drop of a hat? It means they don't respect federalism. What was the need of making J&K a UT? They could have done it even otherwise without converting it into a UT. They could have done that. Even then, the Treasury Benches are harping on the fact that they are the upholder of federalism. We know what is happening in all the States. Even the Governors are sitting on Bills. Anyway, since it is before the Supreme Court, I would not say anything. I am sure, the hon. Home Minister would refer to today's verdict. But, there are certain other references. I would say, Justice Sanjay Kaul — I am referring it and I will also authenticate; since you don't ask them, but you may ask...

MR. CHAIRMAN: This is an allegation against the Chair!

DR. JOHN BRITTAS: No, no, Sir.

MR. CHAIRMAN: Don't be that audacious.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you are one person who accepts so much of humour. You wanted the House be in humour.

Justice Sanjay Kaul, in his opinion, had recommended for setting up of a Truth and Reconciliation Commission in J&K.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, ...

DR. JOHN BRITTAS: Piyushji, please, why do you want to disturb me?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, since he is talking of humour, I am sure, we want humour, but we don't want * in the House. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Sir, it is unparliamentary. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Expunged. ...*(Interruptions)*... It is expunged. ...*(Interruptions)*... You go ahead. ...*(Interruptions)*... You don't appreciate your Chairman for acting with such promptitude. ...*(Interruptions)*... No, no. Go ahead. ...*(Interruptions)*... I have very promptly done it. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, excuse me. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One second. ...*(Interruptions)*... One second. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, at a time...

MR. CHAIRMAN: One minute. दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं reprimand करूँ। मैं बुजुर्गों को reprimand नहीं करता, वरना मुझे कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Digvijaya Singhiji, please. ...*(Interruptions)*... At that time, when Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi become *, I don't mind being a *, Sir. ...*(Interruptions)*... For you everybody is a *. For you only Syama Prasad Mukherjee, Veer Savarkar are all genuine people. Nehru, Gandhi, for you, are all *. So, you wouldn't accept genuine humour. That shows your animosity.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

DR. JOHN BRITTAS: No, Sir. I have not yet started, Sir.

Sir, Justice Sanjay Kaul talked about setting up of a Truth and Reconciliation Commission. He further said to look into the alleged violations of human rights by both State and non-State actors in J&K. He further said, 'Armies are meant to fight battles against enemies, not to control law and order in the State. The entry of the Army created its own ground realities in the State. Men, women and children have

* Expunged as ordered by the Chair.

paid a heavy price.’ I would, certainly, expect the hon. Home Minister to have a comprehensive view of the verdict.

Further, Sir, there have been so much of deliberations on the revelations.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, जस्टिस संजय कौल ने जो कहा, वह पास्ट के लिए कहा है। आज जम्मू-कश्मीर में सिविलियन एरिया में कहीं पर भी आर्मी नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर है। सदन का रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए। महोदय, शायद ये अखबारों की कटिंग से ही भाषण तैयार करते हैं, इसलिए इनकी यह प्रॉब्लम होती है।

MR. CHAIRMAN: You conclude now, Dr. Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Amit Shahji, he said it and if at all you wanted to pitch it with a historical perspective, I have no issue. You are the Home Minister. You have the authority. I am seeking what is the correct perspective on that. Sir, there have been a lot of deliberations on the revelations by none other than former Governor of J&K.

MR. CHAIRMAN: Conclude now. Smt. Seema Dwivedi. ...*(Interruptions)*... Mr. Brittas, take your seat. Smt. Seema Dwivedi. Nothing will go on record now. Just one minute. ...*(Interruptions)*... Dr. John Brittas, in all fairness, I wanted to give time to every Member of the House to focus on the subject. If you engage in diverse tactics, that is not appropriate. ...*(Interruptions)*... You conclude in 30 seconds without getting into those areas. Focus on the subject. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: I am sure that Home Minister would be declaring as to what the tentative date of elections could be. Of course, it is Election Commission's prerogative, but still he can tentatively indicate as to when the elections are going to be held in J&K.

My next submission is that this nomination business of three Members should be left to the wisdom of Cabinet. It should not be given to the LG. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Next, Shrimati Seema Dwivedi. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Even those duties with ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you. You have made great points. ...*(Interruptions)*... You should be satisfied that you have made great points. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, just one more point. ...*(Interruptions)*... Why I am underlining that is because even the normal duties and powers of the Cabinet will be usurped by Governors. ...*(Interruptions)*... So, in that context, it should be the prerogative of the elected Government. ...*(Interruptions)*... Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shrimati Seema Dwivedi.

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में (संशोधन) विधेयक के समर्थन में खड़ी हूँ। मैं इस बिल का समर्थन इसलिए करना चाहती हूँ कि इस बिल ने देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान बढ़ाया है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का सम्मान बढ़ाया है, सामान्य वर्ग के लोगों का सम्मान बढ़ाया है, वीकर सेक्स के लोगों का सम्मान बढ़ाया है। महोदय, मैं बहुत दिल से यह बात कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने इस बिल को लाकर परिसीमन आयोग के माध्यम से पहली बार यह स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में सीटों की संख्या को 83 से बढ़ा कर 90, पाकिस्तान के कब्जे वाली पीओजेके की 24 सीटों को छोड़ कर, कर दिया गया है। महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कश्मीरी विस्थापितों के संदार्यों से दो सदस्य होंगे, जिनमें से अनिवार्य रूप से एक महिला को भी रखना पड़ेगा। महोदय, अभी कुछ समय पहले इसी पार्लियामेंट में 'नारी शक्ति वंदन' का जो विधेयक पारित हुआ था, उससे भी हमारे देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और कश्मीर में भी यह काम करके हमारी सरकार ने उनके सम्मान को बढ़ाया है।

महोदय, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ और मैं किसी एक की पत्नी हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि हम कश्मीर में वह दृश्य देखते थे, जब हमारा सैनिक पिटता था, उसके ऊपर पत्थर चलाए जाते थे। उसके पास तमाम आधुनिक असलहे रहते थे, लेकिन उसको अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का आदेश नहीं था। मैं माननीय गृह मंत्री, आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी की, जिन्होंने सैनिकों को इतनी आजादी दी कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। जब हमारे लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम आपके सामने है।

महोदय, कश्मीर दुनिया की जन्नत माना जाता था। देश की सबसे अच्छी जगह है कश्मीर। वहाँ की घाटियाँ खून से लाल होती थीं। मान्यवर, वहाँ खून बहता था, चाहे खून हिंदू का बहे, चाहे मुसलमान का बहे, चाहे सिख का बहे, चाहे ईसाई का बहे। मान्यवर, मैं कह सकती हूँ कि वह खून सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी का होता था।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करना चाहती हूँ। मेरे सामने जो तमाम नेता बैठे हैं, मैं अभी उनका भाषण सुन रही थी। मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि ये अच्छी बात की तारीफ नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहूँगी, एक लाइन के साथ, माननीय सभापति जी, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं थोड़ा और बोलूँ। मैं आपके सामने यह भी बात कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह से हमारे देश में इतना बड़ा माहौल बना, ये हमारी बात का

समर्थन अब तक नहीं कर रहे थे। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई हो, अगर उसके बारे में भी कोई ऐसी बात करे, तो मैं समझती हूँ कि वह दुनिया का सबसे नासमझ इंसान होगा।

मान्यवर, मैं बस एक और बात कहूँगी। हम जब चुनाव लड़ते थे, तो एक नारा लगाते थे - "क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में"। अब आप टक्कर मत लो। आज देश की जनता ने मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर, हमारी सरकार के नाम पर एक ठप्पा लगा दिया है। मैं बहुत खुशी के साथ इस बात को कहना चाहूँगी कि आज कश्मीर में अमन-चैन का वातावरण है। मैं इस बिल को समर्थन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. V. Sivadasan.

श्री पीयूष गोयल: सर, ...(व्यवधान)... इस important Bill पर इतनी अच्छी चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)... इस बिल पर और भी कोई बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं। मैं विशेष कर अपने मित्र जयराम रमेश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर वे अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan.

श्री पीयूष गोयल: सर, अगर इस पर और भी कोई बोलना चाहें, तो बोलें। हम सब बैठने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I had opened the floor.

श्री पीयूष गोयल : हम सभी की बात सुनना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN: I know. Now, Dr. V. Sivadasan. He is last but one speaker. There is one more after you.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Mr. Chairman, Sir, basically, this Bill is a gimmick to hide the reality of Jammu and Kashmir. They are saying that now the situation in Kashmir is developing. But, what kind of development is taking place there, Sir? There, human rights are violated. Continuous violation of human rights is being reported from the field. During the period of this Government, Internet was banned for a period of 18 months. The way our Leader, Mohamed Yousuf Tarigami, was treated, he was unable to walk out. The political leaders and the human right workers are unable to raise their voice in Kashmir. This is the reality there. The people are unable to conduct their programmes or organize their own meetings. There is no peaceful life there, Sir. What is the history of Kashmir? The local economy was always better

than that of the national average. But, they are saying that Kashmir's economy is better than that of the national average now. Sir, earlier also, the local economy of the Kashmir was better than that of the national average.

Look at the education sector, health sector, women empowerment — everywhere; earlier also, the performance of Kashmir was better than that of the national average. That was because of the land reforms. Land reforms were introduced in Jammu and Kashmir not during the period of the BJP regime, but much before they had introduced the land reforms. This is the base of the development of Kashmir. You have forced the people of Jammu and Kashmir to accept your ideology, your political view through the barrel of a gun. Sir, this is not the democratic way; this is not for the development of the nation. Political leaders are unable to express their views. Common people are also unable to express their views. The media is unable to report the reality. We are unable to get the real picture of what is happening in Kashmir because a majority of the media is worried about the intervention of the Government. The Government is controlling the media. So, the media is not reporting the reality, just like in Manipur. The people of Kashmir, the people of India are requesting for peace; they are requesting for democratic rights. So, my humble request to the Government is to promote the democratic process and development, and not the politics of hate. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sushil Kumar Modi; not present. Any one else who is keen to make any intervention on this important issue? Shrimati Sangeeta Yadav.

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूँ।

माननीय सभापति जी, यह जो बिल है, यह क्यों आया है, इस पर मैं सुबह से अपने सभी माननीय सदस्यों को सुन रही हूँ। मैं वे बातें रिपीट नहीं करूँगी, जो माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ-कुछ बातें ऐसी आयी हैं, जो मैं बोलना चाह रही हूँ। जैसे, अभी कई माननीय सदस्यों ने बोला कि यह बिल लाने की जरूरत क्यों है, तो मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि यह कोई नया बिल तो है ही नहीं। जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, यह उसी समय लिख दिया गया था कि न्यायिक delimitation किया जाएगा। यह उसी की अगली कड़ी है।

माननीय सभापति जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने लोक सभा में कहा भी है कि जिनके साथ 70 साल से अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए हैं, जिनकी आज तक अनदेखी की गई है, यह उनको न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का बिल है। जिनके पास सब कुछ रहते हुए वे एक शरणार्थी के रूप में दर-दर भटककर जीवन जीते रहे और अपनी हैसियत से बहुत नीचे

का स्तर जिये, यह उनको न्याय दिलाने का बिल है। माननीय सभापति जी, उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि वे चुनाव लड़कर सदन में जा सकें। यह बिल हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी की संवेदनशीलता को दिखाता है, दूरदर्शिता को दिखाता है कि ऐसे लोगों की आवाज सदन में कैसे पहुंचे। मैं इसके लिए उन दोनों लोगों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने यह बात सोची कि कैसे पीओके के क्षेत्र में भी आरक्षण की एक सीट का प्रावधान किया जाए। महोदय, मैं इस बिल पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। जैसा कि अभी सीमा बहन ने भी यह बोला कि घाटी में से दो नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है, तो यही लोकतंत्र का मंदिर है। पिछली बार हम लोगों ने नारी शक्ति वंदन बिल को पास किया है, तो यह उसी की कड़ी में नारियों को सशक्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर में किया गया है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्रीमती संगीता यादव: माननीय सभापति जी, मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि इसमें एक चीज़ और आई है। इस विधेयक में 'दुर्बल और शोषित वर्ग' की जगह 'अन्य पिछड़ा वर्ग' लिखा गया है। जब लोग इसके बारे में बोल रहे थे, तो मैं उनको सुन रही थी। चूंकि मैं ओबीसी समाज से ही आती हूँ, तो यह ओबीसी समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं इस बिल से हटकर एक और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। मैं यादव समाज से हूँ और आज एक बहुत बड़ी बात हुई है, इसलिए मैं इस बिल पर चर्चा के बीच में थोड़ा लीक से हटकर बात करना चाहूँगी।

माननीय सभापति जी, मैं यादव समाज से हूँ और यादव समाज के लिए आज एक बहुत बड़ी बात हुई है, जो कि गर्व की बात है। चूंकि मैं यादव हूँ और यूपी से हूँ, तो मुझे ही कई बार कहते थे कि क्या बीजेपी से जुड़ी हो? ऐसा मैंने खुद सुना है। जो आज हुआ है, उससे उन सब के गाल पर एक तमाचा टाइप का लगा है। हमारे एक बड़े भाई, मोहन यादव, जो महाकाल की नगरी के विधायक हैं, वे आज मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बनाए गए हैं। यह बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, दोनों के लिए यादव समाज ऋणी हो गया है। मैं आज यहीं से बैठकर यूपी के अपने सभी भाई-बहनों से भी कहना चाहूँगी कि जो भी यह सोचता है कि यादव समाज का बीजेपी में जाना गलत है, उनके लिए इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल अब हो नहीं सकता। इससे बड़ा कोई पद नहीं है।

माननीय सभापति जी, मैं अब बिल पर थोड़ा बोलना चाहूँगी। सर, मैं पाँच मिनट और लूँगी। चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और लॉ की स्टूडेंट रही हूँ। मैं जब भी टेंपरेरी शब्द पढ़ती थी, तो मुझे चिढ़ होती थी। मुझे ही क्यों, आम जनता को भी चिढ़ होती थी कि टेंपरेरी शब्द को हटाने में इतना टाइम! लेकिन बाद में जब मैं पॉलिटिक्स में आई, तब मुझे मालूम पड़ा कि उस टेंपरेरी शब्द को हटाने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, लोगों की सहमति चाहिए, सब कुछ चाहिए। यह करने का साहस केवल हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी में था, गृह मंत्री जी में था और भारतीय जनता पार्टी में था।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्रीमती संगीता यादव : सर, मैं थोड़ा सा और बोल लेती हूँ।

MR. CHAIRMAN: Okay. Last one minute.

श्रीमती संगीता यादव : ठीक है, सर। सर, जब से धारा 370 हटी है, मुझे घाटी में दो बार जाने का अवसर मिला। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि इससे पहले मुझे मेरा परिवार भी कभी परमिशन नहीं देता था कि उधर घूमने जाओ, लेकिन वहाँ मैं दो बार गई। वहाँ मेरी नाविकों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मैंने होटल के वेटर से बात की। जब मैं वैष्णो देवी गई तो वहाँ मेरी घोड़े वालों से बात हुई। मैंने उनसे जनरली पूछा कि यहाँ क्या चेंज आया है? उन्होंने सिर्फ तीन-चार बातें बताईं। उन्होंने बताया कि मैडम, हमारे बच्चे कम से कम टाइम पर स्कूल जा रहे हैं, अब दहशत का माहौल नहीं है। पर्यटन बढ़ा है तो रोजगार बढ़े हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह बताई कि अब यह लग रहा है कि हम भारत से अलग नहीं हैं। यह जो शब्द था -- मैं माननीय गृह मंत्री जी की स्पीच सुन रही थी, उन्होंने वर्ष 2019 में ही यह बोला था कि रातोंरात कुछ नहीं होगा, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अलगाववाद की समस्या खत्म होगी। माननीय सभापति जी, यह मैंने अपने दोनों बार की रिपीट में महसूस किया। चूंकि हमारे भाई-बहन आंकड़ों के बारे में बहुत बोल चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, ताकि इन बातों की पुष्टि हो सके कि मैंने जो बात कही और उन्होंने जो कहा, वह सही है। मैं लास्ट एक मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ। वर्ष 2004 से आतंकवाद की टोटल घटनाएं 40,164 थीं। वर्ष 2014 से वर्ष 2023 में वे 2,000 के करीब हो गई हैं, उनमें 70 परसेंट की कमी आयी है। मैं रिपीट नहीं करूँगी, जो लोग बोल चुके हैं, वे निश्चित रहें। मैं पत्थरबाजी का जिक्र करती हूँ, हम लोग अखबार में पढ़ते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी।

MR. CHAIRMAN: Madam, you have made your point, very impactful point.

श्रीमती संगीता यादव : ठीक है, सभापति महोदय, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Chander Jangra; just three minutes.

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, कुछ लोग जगबीती सुनाते हैं, मैं थोड़ी आपबीती सुना देता हूँ। हमने कश्मीर की वादियों का अवलोकन पिक्चर्स में किया था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कभी 'जब-जब फूल खिले', कभी 'आरजू' मूवी में बहुत वादियां दिखाई देती थीं। मैं हरियाणा सरकार में चेयरमैन था, उस समय मैं पहली बार श्रीनगर गया था। मैं आपको आपबीती सुनाता हूँ। मेरे एक cousin वहाँ BSF में DIG थे। मैंने कहा कि इंतजाम करवा देना। उस समय गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती लगाने की प्रथा थी, तो उन्होंने पहला मार्गदर्शन यह किया कि भाई साहब, आप लाल बत्ती उतार लेना और सरकारी गाड़ी मत रखना। प्राइवेट गाड़ी में आना, नहीं तो कहीं से भी बुलेट आ सकती है। यह देख कर आ सकती है कि कोई वीआईपी इसमें होगा। महोदय,

वहां ऐसे हालात थे। जब हम श्रीनगर पहुंचे, तब रात में बीएसएफ कैम्पस में ही रुके। अगले दिन हम डल झील में घूमने के लिए गए। मैंने पूछा कि यहां डल झील में कोई मार्केट है, तो हमारे साथ जो बीएसएफ का सिपाही सादी वर्दी में था, उसने कहा कि कहीं से भी कोई पत्थर आ सकता है, आप डीआईजी साहब के भाई हैं, मैं यह रिस्क नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं उस मार्केट में आपको नहीं ले जाऊंगा। वहां ये हालात थे।

मान्यवर, मैं एक और interesting बात बताता हूं। मैं धोती बांधता हूं तो मैंने वहां भी धोती बांध ली। इस पर वह सिपाही बोला कि सर, इसको बदल दीजिए। आपको देख कर लगेगा कि कोई न कोई लीडर है, कोई वीआईपी है, तो कहीं से भी कोई पत्थर या बुलेट आ सकती है। यानी अपने ही देश में अपना सांस्कृतिक पहनावा भी नहीं पहन सकते थे, अपनी identity नहीं बता सकते थे, अपना नाम नहीं बता सकते थे और अपना पद भी नहीं बता सकते थे। अपने ही देश की उस जन्नत के अंदर ये हालात थे। हम तो माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उस जम्मू-कश्मीर को, जहां हम अपने ही देश के अंदर इतना खतरा महसूस करते थे, आज एक निर्भय प्रदेश बना दिया है। अभी हम पिछले दिनों कमिटी लेकर गए थे। वहां लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउस में convert कर दिया है। एक कमरा रहने के लिए रख कर बाकी गेस्ट हाउस बना दिया है। वहां 2 करोड़ पर्यटक गए हैं, आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में इतने पर्यटक गए हैं। सर, मैं इसलिए यह चर्चा कर रहा हूं कि अपने ही देश के अभिन्न प्रदेश में हम इतने भयभीत थे, आतंकियों से खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। आज धारा 370 और 35A समाप्त होने के बाद यह हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग तो पहले भी था, लेकिन आज सब लोगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भाव आया है। अभी पिछले दिनों हम वहां गए तो निःसंकोच सब लोग घूम रहे थे, वहां किसी किस्म का भय नहीं था। मैं इल बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वहां पर सबके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है, खास तौर पर ओबीसी के लिए की है, जब से, वर्ष 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आई है, मैं ओबीसी वर्ग से संबंध रखता हूं, प्रधान मंत्री जी ने उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया है और पूरे देश में ओबीसीज को अधिकार दिया है, यहां तक कि मंत्रिमंडल में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण दिया है। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में जो deprived लोग थे, जो बकरवाल थे, मैं बकरवालों की झोंपड़ियों में गया। उन्होंने सारी व्यथा बताई, यह बहुत लम्बा विषय है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, जब से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोक सभा में पंडित नेहरू के 'Himalayan blunder' का जिक्र किया है, तब से नेहरू पर चर्चा होने लगी है। अमित शाह जी ने दो बातें कहीं कि युद्ध विराम का फैसला पंडित नेहरू ने लिया और दूसरी बात यह कही कि UN Security Council में जाने का जो फैसला था, वह पंडित नेहरू का था, बल्कि उनका सामूहिक फैसला था।

7.00 P.M.

सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि उस समय देश के कमांडर इन चीफ Francis Robert Roy Bucher थे। उन्होंने पंडित नेहरू को कई पत्र लिखे थे। जिसमें उन्होंने यह लिखा कि सेना थक गई है, सेना को refreshment चाहिए, सेना को आगे लड़ने में दिक्कत हो रही है, तो पंडित नेहरू ने Robert Roy Bucher के सुझाव पर युद्ध विराम का फैसला किया। मैं सदन से यह जानना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति एक ब्रिटिश कमांडर के कहने पर कोई फैसला लेता है। क्या उनका स्वविवेक, स्वनिर्णय नहीं था? मैं तो यह कहूंगा कि अंग्रेजों ने पंडित नेहरू का इस्तेमाल किया। He was dancing to the tune of the Britishers. इतना ही नहीं, जब सरदार पटेल ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने का विरोध किया और पटेल ने कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान बुलेट खरीदने में करेगा, तब अंग्रेजों ने नेहरू तक पहुंचने के लिए माउंटबेटेन का इस्तेमाल किया, ताकि नेहरू गांधी को प्रभावित करें, तब जाकर 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिये गये। महोदय, 27 दिसंबर, 1947 को गांधी यूनाइटेड नेशन में जाने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैठकर मामले को सुलझा लें, मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। तब सरदार पटेल ने कहा कि Security Council has become insecurity council. डा. अम्बेडकर ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया था। जब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग के लिए तैयार नहीं हुए, तब पंडित नेहरू ने महाराज हरि सिंह के मंत्री गोपालस्वामी अयंगर को 370 के आर्टिकल की ड्राफ्टिंग का जिम्मा दिया। सरदार पटेल ने जब ऑब्जेक्शन किया, पंडित नेहरू विदेश में थे और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने धारा 370 का प्रस्ताव रखा गया, तब मौलाना आजाद और स्वयं गोपालस्वामी अयंगर, दो लोगों को छोड़कर पूरी वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यदि आप कहेंगे, तो मैं authenticate करने के लिए तैयार हूँ। नेहरू जी बाहर थे और पटेल जी से उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कन्विस करने की जिम्मेवारी आपकी है। पटेल दुविधा में थे, वे नेहरू से कटुता नहीं चाहते थे। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, तो मेम्बर्स ने उसका विरोध किया, तब पटेल ने कहा कि नेहरू की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पंडित नेहरू ने स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने के लिए शेख अब्दुल्ला को वचन दिया है। पटेल जी इसके दुष्प्रभावों को देखने के लिए जीवित नहीं थे। जब Constituent Assembly में यह बिल आया, तब सीपीआई के हसरत मोहानी ने कहा कि यह भेदभाव क्यों, वड़ोदरा को क्यों नहीं? जब Constituent Assembly में इसका विरोध हुआ, तब temporary रूप में इसको शामिल किया गया।

सभापति महोदय, पटेल जी के बायोग्राफर वी. शंकर जी ने उनकी बायोग्राफी में लिखा कि पंडित नेहरू ने सन् 1952 में संसद में गलतबयानी की और यह कहा कि कश्मीर के मामले में मैं अकेला नहीं था, सारे लोग शामिल थे। Sardar Patel was, all the time, dealing with this matter. महोदय, वी. शंकर जी ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। सर, अमित शाह जी ने जिस बात का जिक्र किया है, उन्होंने इतिहास को तथ्यों के साथ रखा है, आज भले ही कांग्रेस के लोगों ने इसको नकार दिया। महोदय, मैं नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस बिल के अंदर ओबीसी के लिए पहले जो कमजोर और वंचित

वर्ग शब्द प्रयोग हुआ करता था, उसके स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग शब्द रखे जाने का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, कास्ट सेंसस की बहुत चर्चा होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा बनाया गया। उसकी हवा निकल गई, कास्ट सेंसस का क्या हुआ और मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ और जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वे यह बताएं कि कर्णाटक में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ, सर्वे हुआ। आज आठ साल बीत गए, तो आज तक क्यों नहीं सिद्धारमैया की सरकार ने कास्ट सेंसस के सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का काम किया?

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, come to the subject.

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है।

श्री सभापति: मैं यह क्यों कह रहा हूँ - खरगे जी इस बारे में बहुत सेंसेटिव हैं। जब माननीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे, तब खरगे जी ने कहा कि आप मेरी कांस्टिट्यूएंसी में ज्यादा क्यों आते हो? मुझे आपके ओबीसी बोलने पर कोई एतराज नहीं है, पर खरगे जी के प्रांत तक नहीं पहुंचिए, इसको जनरल रखिए।

श्री सुशील कुमार मोदी: इसलिए खरगे साहब बताएं कि कर्णाटक में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होने वाली है? अब तो आपकी सरकार बन गई है। ...**(व्यवधान)**... डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डी.के. शिवकुमार ने मेमोरेण्डम पर साइन किये कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। अब तो तेलंगाना में ...**(व्यवधान)**... खरगे साहब, आप बाद में बोल लीजिएगा।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : सर, मैंने तो आपकी काफी वकालत की। आपने प्रधान मंत्री जी को जब कहा कि आप बार-बार मेरी कांस्टिट्यूएंसी में क्यों आते हैं...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: उनका काम है, बस उनको छोड़ दो। जोशी साहब ने कहा कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे हैं। वे भी कर रहे हैं और ये लोग भी कर रहे हैं।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, हमने तो विरोध किया ही नहीं, लेकिन जो सरकार में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं और वीरशैव महासभा के अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों ने विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कास्ट सेंसस को पब्लिक करते हैं, तो हम विरोध में जाएंगे। खरगे साहब, यह स्पष्ट रूप से कहा है। आप भी कर्णाटक से ही आते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप और वे एक ही हैं।...(व्यवधान)...

श्री प्रहलाद जोशी: आपने ऐसे लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है।...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यह कास्ट का सवाल है। जब आप लोग अपर कास्ट के हैं, तब अंदर से सब लोग मिल जाते हैं और दूसरों को यह बोलते हैं।...(व्यवधान).... आप भी हैं और वे भी हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री सुशील कुमार मोदी: खरगे साहब यहां बैठे हैं, मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि अगर हिम्मत है, तो इसी सदन में एलान करें कि अगले एक महीने के भीतर कर्णाटक के कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। अब तो आपकी सरकार तेलंगाना में बन गई है। समग्र कुटुम्ब सर्वे हुआ, के.सी.आर. थे, आज तक जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आप घोषणा करें कि तेलंगाना का जो समग्र कुटुम्ब सर्वे हुआ था, उसमें जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा और फिर जिन राज्यों में आपकी बची-खुची सरकार है, वहां जातीय गणना कब प्रारंभ करेंगे। हिमाचल में तो एक साल हो गया, आज तक आपने जातीय गणना प्रारंभ नहीं की और बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुई, जातीय सर्वे हुआ, उसकी तो हवा निकल गई। सारी जातियां विरोध में खड़ी हैं। घर बैठे सर्वे कर लिया गया। जिसकी संख्या 40 लाख थी, उसकी संख्या 20 लाख दिखा दी गई। कुछ खास जातियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया।

सभापति महोदय, यह जो कांग्रेस पार्टी है, यह तो हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? क्यों नहीं काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 1955 में सुपुर्द हो गई, उसको स्वीकार क्यों नहीं किया गया? 15 साल तक क्यों कांग्रेस बैठी रही? सेकंड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन का गठन क्यों नहीं किया? क्यों अटल जी और आडवाणी जी का इंतजार करना पड़ा, मोरारजी देसाई का इंतजार करना पड़ा? 1979 में सेकंड मंडल कमीशन का गठन हुआ और फिर दस साल बैठे रहे और उसको लागू नहीं किया! फिर बीजेपी के समर्थन से जब वी. पी. सिंह जी की सरकार आई, तब जाकर उसको इम्प्लिमेंट किया गया।...(व्यवधान).... सभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी ने तो यह कहा है कि अब कोई जाति नहीं है। केवल चार जातियां हैं - युवा, महिला, गरीब, किसान और ये सभी जातियां इसी के अंदर समाहित हो गईं।...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You see, Dr. John Brittas is very brilliant. You start reacting means he succeeds. Don't do that.

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? बी.के. हांडिक इनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। वे बैकवर्ड क्लासेज कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने पार्लियामेंट को तीन बार रिपोर्ट दी कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कभी वह दर्जा नहीं दिया। जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, तब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। सभापति महोदय, चाहे वह सेन्ट्रल स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, उसमें ओबीसी का आरक्षण किसने दिया, ईडब्लूएस का आरक्षण किसने दिया, नीट में किसने आरक्षण दिया? केवल मेनिफेस्टो में कास्ट सेंसस डाल देने से ओबीसी समाज आपको वोट देने वाला नहीं है। आज तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्य मंत्री बनाकर नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया है कि जो कुछ बचा-खुचा भी ओबीसी का वोट महागठबंधन के पास था, INDI Alliance के पास था, उसकी भी पूरी की पूरी हवा निकल गई।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, फिर से एक बार आदरणीय प्रधान मंत्री जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्व-सम्मति से धारा 370 को upheld करने का काम किया है। सर्व-सम्मति से पांच जजों की बेंच ने उसको upheld किया है और कहा है कि यह कभी temporary नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को और देश के प्रधान मंत्री जी को इन बिलों को लाने के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत!

MR. CHAIRMAN: Shri Amit Shah to reply to the discussion.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, आज मैं इस महान सदन के सामने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023, इन दोनों विधेयकों को कानून बनाने के लिए, इस सदन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, आज ये दो बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त, 2019 को इस सदन में – मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुमोदन से लेकर आया था, उस बिल को, बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार करना और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, स्वीकार किया है।

मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाये गये। परसों भी लोक सभा में कहा गया कि यह बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे, वे न्याय के लिए नहीं थे, नरेन्द्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था, उस निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया और ढेर सारी चीजों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था

कि राजनैतिक बातें कर रहे हैं, इन सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमलीजामा पहना दिया है। न्यायालय ने माना कि जम्मू-कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो कि हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को स्वीकार किया।

मान्यवर, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका, कुशंका नहीं है। यह संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान है। यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं, उनको भी पसंद नहीं आता है, जो हम कहते हैं। मगर मैं उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है, जिसके सामने temporary शब्द का उपयोग किया गया, वह स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग ऐसा कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वे संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है - यह जो कहा गया है कि धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि धारा 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वह सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। संविधान को और देश की संसद के सदनों को धारा 370 हटाने का पूरा अधिकार है।

मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्धोषणाएँ हुईं, उन पर भी ढेर सारे सवाल उठाए गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्धोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, यह पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। मान्यवर, अनुच्छेद, 370(3) में जो प्रावधान है, वह संविधान सभा ने ही तय किया है। जब इस प्रोविज़न को टेम्पररी किया गया, तब सवाल यह आया कि टेम्पररी है, तो हटेगा कैसे? धारा 370(3) के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त, 2019 का जो आदेश सीओ था, उसके माध्यम से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का पूर्ण अधिकार है - आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सर्वानुमति से होल्ड कर दिया है, उस पर मुहर लगाई है। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन हैं - वह सभी लोग जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नाम लेकर क्या करेंगे, वे तो यहाँ बोले ही हैं, इसलिए इसमें एक्सपोज़ करने जैसी कोई बात नहीं है। मान्यवर, धारा 370 के तहत कोई भी घोषणा करने से पहले जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की परमिशन जरूरी है, अनुमोदन जरूरी है - यह उनका क्लेम था। वे उस क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की परमिशन के बगैर धारा 370 (3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गई है। मान्यवर, ऐसा आर्ग्यूमेंट मैंने अपने जीवन में शायद ही देखा हो। मैंने अपने पाँच धाराशास्त्रियों से पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या यह डिमांड गड़बड़ है? यह लगा कि डिमांड तो गड़बड़ है ही, लेकिन

जो आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी समझ में भी प्रॉब्लम है। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370 (3) समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि धारा 370 (3) यथावत रहती है।

मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एकतरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसका संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए - सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी मान लिया है। मान्यवर, जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सी.ओ. ठीक नहीं है, आज उसका जवाब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मान्यवर, उपयुक्त बिंदुओं का सी.ओ. 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, यह भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371(1) (डी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है - इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि चूँकि जब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू-कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। बहुत सारे लोग, चूँकि अब इसमें तो इतना सारा लुट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए, तो एक पूँछ पकड़ कर वे बाइट देते हैं। वे क्या पूँछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग को आर्डर कर दिया। क्या आर्डर कर दिया, मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएँगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है! इसी सदन में कहा है, लोक सभा में कहा है। ऐज़ ए गृह मंत्री, ऑन रिकॉर्ड कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का स्टेटस वापस देंगे, तो यह भी मैंने कहा है कि एप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जो कहा है, उसमें मेरे सदन के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को क्वोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए कि इसमें विजय कहाँ से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूँढ़ना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले। इतने बड़े घोर पराजय में विजय कैसे ढूँढ़ना! साथ-साथ इसका कोई अभ्यास और हिसाब रखना चाहिए, यह बहुत बड़ी कला है। आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख कर डिप्रेसन के मारे मैं एक महीना सदन में न आता, मगर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि यह जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, अब देश की संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदन दे दिया, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया, ठीक है, सबका अधिकार है करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, पाँच जजों की बेंच बनी और पाँच सीनियरमोस्ट जज इसमें बैठे, लंबी बहस हुई, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया, मगर इस फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता। मेरी तो मर्यादा है, मैं नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें यह समझना चाहिए कि 42 हजार लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? सवाल हिंदू-मुस्लिम का नहीं है। कश्मीर से ज्यादा मुसलमान गुजरात में हैं, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में हैं, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान असम में हैं। क्यों वहाँ अलगाववाद नहीं हुआ, क्यों वहाँ टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं। राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है।

ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं चाहते। एक गलत फैसला हो जाता है। कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे कि यह फैसला गलत है, तो देश के हित में वापस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ कि वापस आइए, वरना जितने बचे हो, इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले से चिपक कर रहना चाहते हो, तो देश की जनता देख रही है, 2024 में दो-दो हाथ भी हो जाएँगे, जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री भी होंगे।

मान्यवर, मैं जिन दो बिल्स को लेकर आया हूँ, उन दोनों बिल्स पर एक प्रकार से सभी पार्टियों को मैंने सुना है। सबने सर्वसम्मति से बिल्स के तत्वों का समर्थन किया है और बिल्स का जो तत्व है, content है, इसको स्वीकार किया है। मुझे लगा था कि ब्रिटास जी खड़े हो कर बोलेंगे कि हम इसको oppose करने को खड़े हैं। मगर मैं जब सभी पार्टियों की बात कहता हूँ, तो यह तो काउंट करता ही हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मतलब बाकी दलों से है।

मान्यवर, 'कमजोर और वंचित वर्ग' - यह जो नाम है, किसी भी नागरिक की dignity को बहुत hurt करने वाला नाम है, अन्तर की गहराइयों तक दूर खड़ा करने वाला नाम है। यह बहुत समय से था और प्रधान मंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें 'कमजोर और वंचित वर्ग' की जगह 'अन्य पिछड़ा वर्ग' - यह नाम जोड़ने का फैसला किया गया है, जो कि एक संवैधानिक term है, संवैधानिक शब्द है। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, जो दूसरा बिल है, वह जम्मू-कश्मीर में सालों से अलग-अलग प्रकार के विस्थापित हुए लोगों के लिए है। 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से यह चरमसीमा पर पहुँचा और ढेर सारे कश्मीरी हिन्दू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़ कर पूरे देश भर में बिखर गए। वे जम्मू में गए, बंगलुरु में गए, गुजरात, दिल्ली, फरीदाबाद गए, वे देश भर में बिखरे। सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया और कई राज्यों ने तो उनको नौकरी में priority भी दी। पूरे देश ने कश्मीरियों को गले लगाने का काम किया है, पूरे देश की जनता ने किया है। मान्यवर, वे बिखरे और ऐसे बिखरे कि वे अपने ही देश में विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों-खरबों की सम्पत्ति थी, वे दर-दर की ठोकें खाने के लिए मजबूर हो गए। यह उन लोगों को सम्मान देने के लिए है। यह आंकड़ा कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड हैं, वे वहाँ से विस्थापित हुए थे और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयासों के बाद - 2019 के बाद हमने एक अभियान चलाया है, हर शहर में जाकर advertisement दिया है, उनका online registration हो गया है और इतने लोग अब तक register हुए हैं। तन्खा साहब ने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी register करना चाहिए। मैं तो उनको निमंत्रित करता हूँ कि तन्खा साहब, ऐसे जितने भी लोग छूट गए हैं, आप उनकी सूची लाइए, मैं आधे सेकंड में उनको register करके आपको उसका acknowledgement दूँगा। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, यह online प्रक्रिया है। मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और विस्थापितों को कहना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए committed है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर को लिखिए, किसी भी चीज के बगैर आपका registration कर दिया जाएगा, आप मतदान भी करेंगे, चुनाव भी लड़ पाएँगे और जम्मू-कश्मीर के अन्दर आप मंत्री बन कर भी जा सकते हैं। आपको पूरे अधिकार दिए जाएँगे।
...(व्यवधान)...

मान्यवर, 3 युद्ध भी हुए। 1947 में और 1948 में युद्ध हुआ, तो 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। फिर 1965 और 1971 में युद्ध हुए, तो छंब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3,500 परिवार 1965 के युद्ध में विस्थापित हुए और करीब-करीब इतने ही परिवार 1971 के युद्ध में भी विस्थापित हुए। अब तक 1947, 1965 और 1971 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनके बारे में भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिन्ता की है, यह मैं आगे बताता हूँ। मगर यह जो बिल है, इसके तहत उनके लिए 3 सीटें - 2 जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट Pak-occupied Kashmir से विस्थापित होकर आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया है।

मान्यवर, यह जो फैसला है, यह उसी एक्ट का हिस्सा है, जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब आप 5 अगस्त, 2019 के बिल को चैलेंज करते हो, तब आप डीलिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। यह मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो।

मान्यवर, डीलिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की और जम्मू-कश्मीर प्रशासन, जो आज स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डीलिटेशन कमीशन को दिया था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि उनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि जब वे अपनी जमीन में ही नहीं हैं, तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं? उन्होंने यह आदेश प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं इस बिल को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।

मान्यवर, डीलिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं। मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूँ। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीटें थीं, अब नए डीलिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट्स जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम किया है। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब 46 की जगह 47 सीटें बनाने का काम किया गया है। इस तरह से, जम्मू और कश्मीर, दोनों को मिलाकर 83 सीटें थीं। लद्दाख की सीटें निकाल दी गईं, क्योंकि वहाँ यूटी बन चुकी है। जो पहले 83 सीटें थीं, उनकी जगह अब 90 सीटें डीलिटेशन कमीशन ने की हैं, जिसको भारत सरकार ने मान लिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी यह मानते हैं, जिसको जो बोलना है वह बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है, मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ कि पाक ऑक्युपाइड

कश्मीर भारत का है, हमारा है और वह हमसे कोई नहीं छीन सकता। मान्यवर, हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें दी हैं।

मान्यवर, अब तक एससी-एसटी की सीटों में बड़ी विसंगतियाँ भी थीं। दिग्विजय जी कह रहे थे कि संवेदनशील एप्रोच होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, तो एससी-एसटी के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले एससी की जो 7 सीटें थीं, उनको हमने बरकरार रखा और एसटी की शून्य थी, क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी, लेकिन अब परमिट करती है और उनके लिए अब हमने 9 सीटों को रिज़र्व कर दिया है। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गुर्जर-बकरवालों ने इस देश को बचाया है। मान्यवर, मैं इस सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते यह कहना चाहता हूँ कि जब कभी युद्ध हुआ, जब भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, तो मेरे गुर्जर-बकरवाल भाइयों ने भारत के सिर को हमेशा ऊँचा किया। आज सालों के बाद उनको न्याय मिलने जा रहा है, इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है, किसी को संवेदनशीलता दिखे या ना दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार, जो भारत के संविधान ने दिया था, उसको कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू-कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोककर बैठा था? मान्यवर, उसको ये तीन परिवार रोक कर बैठे थे, जो 370 को एंजॉय कर रहे थे। वे इसके अलावा भी ओपन सीट्स पर लड़ सकते हैं।

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि इसमें स्पष्टता नहीं है कि इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि यह इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल मंत्रालय और सोशल जस्टिस मंत्रालय से अलग से इसके बिल्स आएंगे, जिनमें उनकी रिज़र्वेशन की सीटों को चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वह एक अलग प्रक्रिया है, मगर वह स्पष्टता से होगी।

सभापति महोदय, मैं दिग्विजय सिंह जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वे जब भी हंस कर बोलते हैं, तब समाज के अंदर बहुत disturbance होती है। उनका बड़ा रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड को जानता हूँ, आज भी वे हंस कर बोले। मैंने सोचा क्या निहितार्थ है, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज़ को याद किया और सोचा, तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि किसी का छीन कर तो नहीं ... ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, मैं आज फिर से कह देता हूँ। ...**(व्यवधान)**... दिग्विजय जी, आप बैठ जाइए। लोग आपको समझ चुके हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, he is not yielding. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... Hon. Home Minister, go ahead.*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुर्जर बकरवाल भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़ी संवेदनशीलता से पहाड़ी भाइयों को दिया जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। गुर्जर बकरवाल भाइयों को जो फायदा मिला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ट्राइबल के सारे फ़ायदे - एजुकेशन में और सारी नौकरियों के रिज़र्वेशन में जितने भी फ़ायदे पहाड़ियों को मिल रहे हैं, उन पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वह उसके अलावा मिलेगा। न एक भी नौकरी खत्म होगी, न ही

एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी - आपका भी पूरा अधिकार रहेगा और उनका भी पूरा अधिकार रहेगा।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए conduct और इस पर हमारा नज़रिया थोड़ा तंग है। महोदय, जहां तक तंग नज़रिये का सवाल है, देश की एक भी इंच ज़मीन का सवाल होगा, तो हमारा नज़रिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भू-भाग देश से चला जाए और वह मूक-दर्शक बनकर खड़ा रहे, यह अधिकार किसी को नहीं है। मैं आज फिर से कहता हूँ कि इस आरोप से मैं सहमत हूँ। हमारा नज़रिया तंग है, देश की एक इंच भी ज़मीन जाती है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमारे लिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।

मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यहां बहुत कुछ कहा गया। अभी कहा गया कि नेहरू जी के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी न होते तो शायद यह बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं - इस तरह से कहा गया। मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज़ादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं, उनको मालूम होगा कि हैदराबाद में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्या वहां जवाहरलाल नेहरू जी गए थे?...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: गवर्नमेंट ने...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू!...**(व्यवधान)**... खरगे जी, क्या कर रहे हैं? अभी भी वापस आ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर कैबिनेट में हैं, कहां हैं? वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट में...

श्री अमित शाह: एक मिनट, सब रिकॉर्ड पर है। कश्मीर पर दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम लिया, शेख अब्दुल्ला का और दूसरा नाम लिया जवाहरलाल नेहरू का। वे होम मिनिस्टर थे, क्यों नाम नहीं लिया? ...**(व्यवधान)**... दिग्विजय जी, सुनिए। अब सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सबको धैर्य से सुना है। मान्यवर, क्या जूनागढ़ में जवाहरलाल नेहरू गए थे, क्या हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे, क्या लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे, क्या जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू-कश्मीर में काम देखते थे, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते थे। मान्यवर, दूसरा यह कि विलय लेट क्यों हुआ - सभी लोग जानते हैं - इतिहास को एक हजार फीट नीचे दफन कर दो, लेकिन वह ऐसा बीज है, जो वट वृक्ष बन कर सच्चाई के रूप में बाहर आ जाता है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष ध्यान देने का आग्रह था। शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज यह पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर भी धारा 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, न

जोधपुर में है, न जूनागढ़ में है, न हैदराबाद में है और न लक्षद्वीप में है, वहां पर क्यों 370 नहीं है? यह संवेदनशील हृदय के कारण धारा 370 है। मान्यवर, कंडिशन किसने रखी, किसने स्वीकार की, इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, आप इतिहास से भाग नहीं सकते हैं। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? ...(व्यवधान)... और ये कहते हैं कि ...(व्यवधान)... इसके बाद भी देरी हुई है। सर, मैं एक reference Sam Manekshaw का देना चाहता हूँ। Field Marshal Sam Manekshaw तब Director of Military Operations थे, उन्होंने एक जगह पर कहा है कि कबाइली हमलावर आक्रमण और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में Sam Manekshaw मौजूद थे। सरदार पटेल ने नेहरू जी को कहा कि जवाहर, आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ। आपको जवाब देना पड़ेगा। दिग्विजय जी, मैं आपको पुस्तक ही भेज दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह: सर, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: The Home Minister is not yielding... (*Interruptions*)... He is not yielding. ... (*Interruptions*)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, एक बात सर्वविदित है। अगर असमय ceasefire नहीं होता, तो आज Pak occupied Kashmir नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं कि अंग्रेज सेनापति ने लिखा है, मैं इसको जरूर देखूंगा, अगर किसी ने लिखा है तो और इसको जरूर देखना चाहिए, परन्तु अफसर कुछ भी कहे, देश के प्रधान मंत्री को देश की ज़मीन के लिए संवेदनशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए - इतना छोटा सा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी और वे भाग रहे थे। दो दिन रुक जाते, तो पूरा Pak occupied Kashmir तिरंगे के तले आ जाता। ऐसा क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को UN में ले जाया गया, अब इन सारी चीज़ों के लिए आप कहते हैं कि reference लाइए। ...(व्यवधान)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It was a unanimous decision of the Cabinet.

श्री अमित शाह: मान्यवर, मुझे मालूम था कि दिग्विजय सिंह जी खड़े हो जाएंगे। आप बैठ जाइए। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। मैं एक क्वोट पढ़ता हूँ - "यूनाइटेड के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज़फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले पर हम ठीक से नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हमें सीज़फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था, हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं।" यह जो क्वोट है किसी और का नहीं है। यह जवाहरलाल नेहरू का है। ...(व्यवधान)... अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे, जब उन्होंने गलती स्वीकार की है? सर, मैं इसका सोर्स भी बता देता हूँ, Nehru Memorial Museum and Library; JawaharLal Nehru Collection, JNSG-143 Part-I और उस वक्त ...(व्यवधान)... स्वयं नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरी

गलती थी, क्यों पूछ को इतना पकड़ कर रखा है? चलो, संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था, तो अनुच्छेद 35 के तहत क्यों लेकर गए? जहां पर भारत के अधिकार सीमित होते थे। अनुच्छेद 51 के तहत जाते, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। यह भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। मान्यवर, मैं बताता हूँ, जब कि ये कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी, अगर कल को ये 40 साल के बाद — मनोज झा जी जोर से बोले कि 40 साल के बाद, क्योंकि हम मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा। मैं तो 60 का हो गया हूँ। मेरी आयु 40 साल और हो ही नहीं सकती है। वे कहते हैं कि 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा, तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा! मैं बताना चाहता हूँ कि दो सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है, तो वह मेरी सरकार का फैसला है, मेरा फैसला है। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है। न मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, न हमारी कैबिनेट भाग सकती है और न हमारी पार्टी भाग सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी own करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसे own भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इतिहास इस तरह से नहीं चलता है। दिग्विजय जी, मेरी बात आज भी मानकर चलिए कि इतिहास किसी को नहीं बखशाता है।

मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आया हूँ, उसे लेकर काफी लोगों ने पूछा कि क्या बदलाव आया है। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो नहीं है, जिससे मैं किसी को वास्तविकता दिखाने का चश्मा पहना सकूँ। सबको अपने-अपने चश्मे से देखना पड़ेगा। अगर चश्मे का काँच गलत है, तो दृश्य गलत हो जाता है। मान्यवर, पूरा कश्मीर - पूरे देश से दो करोड़ यात्री जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा करके आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं और सौ से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है, वे सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन सा चश्मा पहनकर देखते हैं!

मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूँ कि जिस कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई पिता अपने कंधों पर अपने बेटों के जनाजे लेकर गए हैं, कई लोग अपनी बेटी की डोली तक नहीं देख पाए और कई बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया। अगर हृदय संवेदनशील है, तभी इनकी वेदना का अनुभव कर सकते हैं। मगर जिनके हाथ में हथियार है, हमारे हृदय में उनके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। हमारे मन में कश्मीर के युवाओं के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद और इससे पहले भी, जब से 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, बल्कि स्कूल का ब्लैकबोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वे पढ़ाई-लिखाई करते हैं। जो युवा पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधान मंत्री ने उनके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। धारा 370 को आधार बनाकर आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग आज जो बात करते हैं, कश्मीर की जनता उनकी उस बात को अनसुना करती है और डेमोक्रेसी एवं डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, यह आज बदलाव हुआ है। अभी-अभी कह रहे थे कि मैंने सदन में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं अपने जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूँ और जो बोलता हूँ, उसे own करता हूँ। मैंने कहा था कि धारा 370 के कारण अलगाववाद की

भावना समाप्त हो जाएगी और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, शनैः-शनैः आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।

मान्यवर, इन्होंने बीच मंझधार में 40 साल गलतियाँ कीं। 80 के दशक से गलतियाँ करते आए। संवेदनशील हृदय से सोचते रहे हैं, इन्होंने हथियार उठाने वालों के लिए संवेदनाएं रखीं और इस 40 साल की गलती को लेकर ये ऐसा सोचते हैं कि यह मोदी जी के चार साल में सुधर जाएगी, मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी रखनी ही चाहिए। मैं अब विषय पर आता हूँ।

मान्यवर, मैं बहुत पास्ट में नहीं जाता हूँ। जब चरम सीमा पर थे, तब तो आँकड़े बहुत भयावह थे। 90 के दशक में बहुत भयावह आँकड़े थे, परंतु मैं यूपीए के शासनकाल की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, वर्ष 2004 से 2014 के बीच में जब सोनिया जी और डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुल 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई हैं। यह पिछले दस साल की बात है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सभापति महोदय, ...

श्री अमित शाह: खरगे जी, आप सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा कीजिएगा। सर, इसमें 70 प्रतिशत की कमी हुई है। ...**(व्यवधान)**... उसमें धारा 370 हटने के बाद केवल चार साल ही अभी बीते हैं। करीब-करीब 2,900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सों के लोग मारे गए। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, तीन हजार नागरिक उस वक्त, 2004 से 2014 के दौरान मारे गए और 2014 से 2023 के बीच में 891 नागरिक मारे गए। इस प्रकार से नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सों में 70 प्रतिशत की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सों में भी 50 प्रतिशत की कमी हुई है। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आँकड़े बताना चाहता हूँ और खासकर मनोज जी देखें, आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुनें, सोच और विचार में परिवर्तन होता है, तो ईश्वर के लिए करें।

मान्यवर, organized stone pelting की 2010 में 2654 घटनाएं हुई थीं, 2023 में सिर्फ चार साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई है जबकि stone pelting में 2010 में 112 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। क्योंकि अब stone pelting ही नहीं हुई है, तो मृत्यु भी नहीं हुई है, इसलिए ज़ीरो मृत्यु है। मान्यवर, मैं stone pelting में जख्मी नागरिकों की बात करता हूँ, सिक्योरिटी फोर्स की नहीं, जो नागरिक घाटी के हैं, उनकी संख्या 6,035 थी, क्योंकि अब stone pelting नहीं हुई है, तो ज़ीरो जख्मी हैं। यह इनको दिखाई नहीं देता है। सीजफायर वॉयलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थीं और 2023 में 6 घटनाएं हुई हैं। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, अब सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 2010 में 281 थे, अभी 18 आतंकवादी घाटी छोड़कर चले गए हैं। यह नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता का नमूना है।

मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ टेरेरिज़्म के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई है, बल्कि इस पर आक्रामक कार्रवाई की है। हमने टेरेरिज़्म के ecosystem को खत्म करने का काम किया है, जो टेरेरिज़्म को फाइनेंस करते थे, उन पर भी एक्शन लेने का काम किया है। NIA द्वारा terror finance के 32 केस रजिस्टर किए गए और 2014 के पहले एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं था। State Investigating Agency ने terror

finance के 51 केस रजिस्टर किए हैं, पहले State Investigating Agency की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी!

मान्यवर, 229 लोग terror finance के केस में अरेस्ट हुए हैं, 150 करोड़ रुपये की प्राप्ति सीज़ हुई है तथा 57 प्रापर्टीज़ सीज़ हुई हैं और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट्स में लगभग 1.22 करोड़ से ज्यादा की रकम को फ्रीज़ करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं कि क्या बदलाव आया है, मैं आपको बताता हूँ कि बदलाव क्या आया है।

मान्यवर, मैं आज इतना कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत बड़े और कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से उठाये हैं, जिनके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ कि 2014 के पहले और आर्टिकल 370 के हटने के पहले आपने देखा होगा कि आतंकवादियों के जनाजे में 25-25 हजार की भीड़ आती थी। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि क्या किसी ने देखा है धारा 370 के हटने के बाद से कोई ऐसा करता है? अब कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हमने निर्णय किया है कि जो भी आतंकवादी मारा जाएगा, उसको उसी जगह पर सम्पूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति-रिवाज के दफना दिया जाएगा। यह स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई है? नौकरियों की जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट है, उसमें सरकार ने तय कर लिया है कि अगर स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस रजिस्टर है, तो उस परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं, वे लोग क्यों डरे हुए हैं? वे लोग इसलिए डरे हुए हैं, क्योंकि हमने तय किया है कि जिसके परिवार का जन पाकिस्तान में बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर अगर प्रस्थापित होता है कि किसी के परिवार का व्यक्ति आतंकवाद को बढ़ावा देने में लिप्त है और वह नौकरी में है, तो भी हमने उसे डिसमिस करने के सर्विस रूल्स बनाए हैं। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूँ कि जेलें अड्डा बनकर पड़ी हुई थीं, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती करने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है, जो सिर्फ टेररिस्ट्स के लिए होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस जेल की सुरक्षा को कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। मान्यवर, बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे, उन्हें भी संदेश दे दिया गया है। रोजगार पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीज़ें की हैं। मान्यवर, आदत पड़ गई थी - हमले हों, तो भुला देना, इधर-उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना, जिससे अखबार के अगले दिन के टाइटल्स बदल जाएं। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं। शुरू-शुरू में हमारे समय में भी हमले हुए हैं, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी हुई थी। ऊरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एअर स्ट्राइक करके घर में घुसकर जवाब देने का काम किया है। हममें कश्मीर के युवाओं के लिए संवेदनशीलता है, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं है। दिग्विजय जी, माफ करना, हमारे मन में टेररिस्टों के लिए कोई संवेदना नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि वे हथियार डाल दें और मेनस्ट्रीम में आएँ, तो उनका स्वागत है। नॉर्थ-ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेनस्ट्रीम में आए हैं। भले ही कश्मीर में भी युवा ने हाथ में हथियार पकड़ा हो, वह हथियार डाल दे, कानून की, अदालत की शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर है। मान्यवर, हमने जो

किया है, वह युवाओं के लिए किया है। ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ? हमने धारा 370 और 35ए को हटा दिया। मान्यवर, धारा 370 और 35ए कश्मीर के लोगों के साथ तो अन्याय करती ही थी, मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती थी। यह सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, मनोज झा जी, सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, बल्कि 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान कैसे हो सकते हैं। ये नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई, वे शहीद हो गए। मान्यवर, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिस-जिस ने बलिदान दिया है, उन सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से दो विधान, दो निशान और दो प्रधान समाप्त करके संतुष्टि की साँस ले रही होगी। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है और मैं इस फैसले का बहुत मन से 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। मान्यवर, आज एक संविधान, एक राष्ट्र ध्वज और एक प्रधान मंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। दो राजधानी रखी, दो दरबार रखे, सालाना दो सौ करोड़ रुपये का खर्च भी होता था, लेकिन अब एक केंद्रीय कानून है और वह जो केंद्रीय कानून है, वह जैसे सभी राज्यों में जाता है, वैसे ही कश्मीर में भी जाता है। मान्यवर, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को पहली बार मान्यता देने का काम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। धारा 35ए के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

8.00 P.M.

मान्यवर, शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। पहली बार एसटी समुदाय को विधान सभा में आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार धारा 370 जाने के बाद वहाँ लागू हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजे का कानून पहली बार जम्मू-कश्मीर में धारा 370 जाने के बाद हुआ। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहली बार धारा 370 समाप्त होने के बाद लागू किया गया। एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट पहली बार जम्मू-कश्मीर में धारा 370 जाने के बाद लागू हुआ। व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार जम्मू-कश्मीर में धारा 370 जाने के बाद लागू हुआ। सर, यह व्हिसल ब्लोअर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था। जम्मू-कश्मीर के किसी भी नागरिक को पूछिए, तो वह बताएगा कि वहाँ सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। बड़ी परेशानी थी, भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि तीन परिवारों का ही शासन था। वे वहाँ क्यों व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाएँगे? अभी-अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, वे किस दल के हैं, मैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतना सारा कैश मिला कि बैंक के कैशियर कहते हैं कि हमने भी इतना कैश कभी देखा नहीं है। गिनते-गिनते 5 दिन हो गए! मान्यवर, 27 मशीनें गर्म हो गईं। मशीनें गर्म हो गईं, मशीनें बंद हो गईं, मगर यह अभी समाप्त नहीं हुआ है! एक भी घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया है।

...(व्यवधान)... एक भी! ...(व्यवधान)... मान्यवर, ये खड़े हो गए। ...(व्यवधान)... चलो, इंडी एलायंस ने ...(व्यवधान)... मान्यवर, इंडी एलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Correction is enacted. ...(*Interruptions*)..

श्री अमित शाह: मान्यवर, अभी ये कहेंगे,.. ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Correction is enacted. ...(*Interruptions*).. Please sit down. ...(*Interruptions*).. बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मुझे मालूम है, ...(व्यवधान)... मान्यवर, मुझे मालूम है कि ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि ओबीसी को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है। ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ...(व्यवधान)... ये वॉक आउट करेंगे। ...(व्यवधान)... कितनी भी कटु बात को हमने सुन लिया, अब आप जवाब नहीं सुनेंगे! ...(व्यवधान)... क्या बात है? ...(व्यवधान)... 6 घंटे तक मैंने आपको सुना है, आप मुझे कैसे नहीं सुनेंगे! ...(व्यवधान)... चलिए खरगे साहब, प्लीज़ बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... मेरा निवेदन है, शायद आप बड़े नेता हैं, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record. Only what the hon. Home Minister says will go on record.

श्री अमित शाह : मान्यवर, ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है? ...(व्यवधान)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: If he talks like this, we are not going to listen. We walk out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

श्री अमित शाह: मान्यवर, बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को विश्वास था कि ये जवाब सुनेंगे, मैं इनके ऑफिस में कॉफी पीने के लिए जाऊंगा, तो मैंने कहा कि ये नहीं सुनेंगे। पीयूष भाई ने मुझसे पूछा कि ये क्यों नहीं सुनेंगे? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित है कि ये नहीं सुनेंगे। इन्होंने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। मान्यवर, अभी-अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लिख कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है, मालूम नहीं, कभी कोई फुल फॉर्म पूछ ले, तो तकलीफ आ जाए, परंतु अभी लिख कर दिया है, तो ओबीसी-ओबीसी-ओबीसी कर रहे हैं। एक पत्रकार मुझसे कह रहा था कि ये इतना बोल रहे हैं, मैंने कहा कि इसकी एक तिथि होती है, 180 दिन। पहली बार कब बोले, वह देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल

जाएगा। साहब, इसमें मन से कुछ नहीं होता है। इनके पिता जी ने पूरा जीवन संसद के लोक सभा में खड़े रह कर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया, वे आज ओबीसी की बात कर रहे हैं! मुझे तो भरोसा था कि ये नहीं बैठेंगे, मगर ये पूछ रहे थे कि क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूँ कि मुरली मनोहर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नरेन्द्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे। वहाँ लाल चौक पर तिरंगा फहराना था, जिसमें हम सभी गए थे। हमें वहाँ जाने नहीं दिया गया। मोदी जी और कुछ अन्य लोग जान की परवाह किये बगैर वहाँ पर गए और वहाँ तिरंगा फहराया। भारत के हिस्से पर तिरंगा फहराने के लिए सेना को दखल करना पड़ता था! मान्यवर, उसी लाल चौक पर 26 जनवरी को घर-घर तिरंगा फहराया गया। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, ये कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। वहाँ 30 साल से थिएटर्स बन्द थे। कश्मीर में थिएटर्स नहीं चलते थे। वे क्यों नहीं चलते थे, मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना चाहता, परन्तु आज कश्मीर में 3 थिएटर्स चालू हो गए हैं और 18 थिएटर्स घाटी में खुलने को तैयार हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**... और कई लोगों ने loan के लिए application दी है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, वहाँ शूटिंग नहीं होती थी। 2021 से लेकर अब तक वहाँ 100 शूटिंग्स हो चुकी हैं। ये सब कुछ और कहेंगे, ये इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूँ कि मुहम्मद का जुलूस भी 30 साल तक वहाँ नहीं निकला था, अब नरेन्द्र मोदी सरकार के समय निकला है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, इनको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इनके चश्मे में खराबी है, वे आज भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मगर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यह देश आपकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है, देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू की गलतियाँ थीं। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, GSDP development का बड़ा द्योतक होता है। 2014-15 में GSDP 1 लाख करोड़ का था और आज यह 2,27,927 करोड़ का है। यह डबल हो चुका है। ...**(व्यवधान)**... डिग्री कॉलेजेज़ 94 थे, जो आज 147 हैं। तब न तो IIT था, न IIM था और न ही AIIMS था, लेकिन अब वहाँ IIT भी खुल चुका है, IIM भी खुल चुका है और 2 AIIMS खुलने की प्रक्रिया चल रही है - एक खुल चुका है और दूसरा भी खुल जाएगा। पहले 4 मेडिकल कॉलेजेज़ थे, अब 7 नये मेडिकल कॉलेजेज़ खुले हैं। वहाँ नर्सिंग कॉलेज एक भी नहीं था, अब 15 नर्सिंग कॉलेजेज़ खुले हैं। पहले मेडिकल सीट्स 500 थीं, आज 1,300 मेडिकल सीट्स हैं। 70 सालों में पीजी मेडिकल सीट्स 367 थीं, आज 297 नयी सीट्स जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। Mid day meal के तहत सिर्फ रिकॉर्ड पर - करप्शन तो जो होता होगा, वह तो होता ही होगा, लेकिन रिकॉर्ड पर 6 लाख बच्चों को भोजन मिलता था, जबकि आज 9,31,000 बच्चों को भोजन मिलता है। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, टूरिस्ट्स का आंकड़ा 30 लाख से बढ़ कर 2 करोड़ को पार कर गया है। ...**(व्यवधान)**... उनको पता है कि घाटी में स्थिति बिल्कुल ठीक है। ...**(व्यवधान)**... वहाँ 1,485 से अधिक home stay चल रहे हैं। जांगड़ा जी ने अभी बताया कि पहले वहाँ पहचान छुपाकर जाना पड़ता था, आप अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे, लेकिन अब घाटी के मुसलमान भाइयों के यहाँ home stay चल रहा है। वहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति उनके घर में रह कर, खाना खा कर घाटी का लुत्फ उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)... लगभग 10,000 बिस्तर home stay के अन्दर हो गए हैं। 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' में प्रति वर्ष 1,100 किलोमीटर का एवरेज था, अब चार वर्षों में 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। Smart city के तहत 47 योजनाएँ थीं, जो आज 173 हैं। प्रधान मंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं। घरेलू नल कनेक्शंस सिर्फ 7,82,000 थे, आज 13,54,000 हैं। गठित किये गये सेल्फ हेल्प गुप्स 4,000 थे, जो आज 19,000 हैं।

मान्यवर, शिशु मृत्यु दर, जो कि सबसे कठिन health parameter है, इसमें गिरावट बहुत कठिनता के साथ होती है। जो लोग health के parameters को जानते हैं, उनको यह मालूम होगा। पहले 1,000 पर 22 शिशु मारे जाते थे, आज 1,000 पर सिर्फ 16 शिशु ही मारे जाते हैं। पहले 47 जन-औषधि केन्द्र थे, आज 227 जन-औषधि केन्द्र वहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। मान्यवर, यह इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। आज वे चले गए हैं, मगर मैं दिग्विजय जी को कहना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के हृदय की संवेदना है कि घाटी और जम्मू में बहुत बड़ा बदलाव development के क्षेत्र के अन्दर हुआ है मान्यवर, सिर्फ हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। रेलवेज का पैसा अलग है, डिजिटल हाईवे का पैसा अलग है। मान्यवर, पेंशन के लाभार्थी लगभग छः लाख थे, जम्मू की साइड से रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन के बाद पेंशन के दस लाख लाभार्थी हो गए हैं। फूड सिक्योरिटी का कवरेज 43.8 परसेंट था, आज 100 परसेंट हो गया है। देश भर में एक मात्र राज्य ऐसा है, जहाँ पर "प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना" सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं है, बल्कि गरीब से गरीब से लेकर धनी से धनी तक, फारूक अब्दुल्ला जी तक, सभी को इसका फायदा मिलता है। ओपन डेफिकेशन फ्री 50 से 60 परसेंट था, अब 100 परसेंट है, ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ 60 सेवाओं में थीं, आज 1,100 सेवाओं में हो गई हैं। स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ दो लाख थी, आज 2022 में जम्मू-कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया है। मान्यवर, ये पूछते हैं कि क्या बदलाव आया है, तो मैं इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि ढेर सारी चीजें हैं। अब ये चले गए हैं। मैंने दूसरे सदन में भी बताया है। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस देश को वादा किया था और मोदी सरकार एवं प्रधान मंत्री स्वयं इस बात पर अड़े हुए हैं कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक उटानी नहीं पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे। इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें होंगी, नए कश्मीर की शुरुआत होगी। आतंकवाद-मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, तब कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहाँ पर खड़ा होगा। ऐसे कश्मीर की रचना के लिए दुनिया भर के यात्री आएंगे। मैं जो दो विधेयक लेकर आया हूँ, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इन्हें सर्वसम्मति से पारित करें।

MR. CHAIRMAN: I shall first put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023, to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendment moved by Dr. John Brittas for reference of the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there are six Amendments - Amendments (Nos. 1 and 2) by Dr. John Brittas; not present. Amendment (No.3) by Shri Sandosh Kumar P.;

not present. Amendment (No. 4 to 6) by Dr. Fauzia Khan; not present. Amendments are not being moved.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

SHRI PIYUSH GOYAL : Both the Bills are passed unanimously.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the House has had involved interaction on a very important issue. It is gratifying to note that the Bills have been passed unanimously. There has been no dissent.

The House stands adjourned to meet at 11.00 A.M. on Tuesday, the 12th December, 2023.

The House then adjourned at seventeen minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 12th December, 2023.

